सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2013-2014

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
(भारत सरकार)
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
(Government of India)
दूसरी मंजिल, शास्त्री भवन एनेक्सी
2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe
26, हडोस रोड़, चेन्नै – 600 006, भारत
26, Haddows Road, Chennai - 600 006, India
दूरभाष / Tel.: +91 44 2823 4683, फैक्स / Fax : +91 44 2821 6552
ई–मेल / E-mail : aquaauth@vsnl.net वेबसाइट/ website: www.caa.gov.in

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
Coastal Aquaculture Authority

05.09.2013 13

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
दूसरी मंजिल, शास्त्री भवन एनेक्सी
चैन्नै– 600006, तमिल नाडु
दूरभाषा : 91-44-28213785, 28216552
फैक्स : 044-28216552
ई–मेल : aquaauth@vsnl.net वेबसाइट : www.caa.gov.in

प्रकाशक
अध्यक्ष
तटीय जलकृषि प्राधिकरण

संकलन तथा संपादन
पी. रविचन्द्रन
एस. मणि
जी. डी. चन्द्रपाल
डी. विन्सेंट

मुद्रक
ऐकोण प्रिनट सोल्यूषन

Published by
Chairman
Coastal Aquaculture Authority

Compilation & Editing
P. Ravichandran
S. Mani
G. D. Chandrapal
D. Vincent

Printed by
Ikon Print Solutions

विषय वस्तु

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	v
I.	प्राधिकरण की संरचना, प्रचालनात्मक लक्ष्य और उद्देश्य	1
	वर्ष 2013-2014 के दौरान प्राधिकरण की संरचना	1
	प्राधिकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य	2
	प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य	2
	एसपीएफ लिटोपिनस वेन्नामई पालन का भारत में विनियमन	4
II.	लक्ष्य तथा कार्य निष्पादन	5
	वार्षिक लक्ष्य	5
	निष्पादन की संक्षित समीक्षा	6
III.	क. कार्यकलाप व उपलबधियां	7
	प्राधिकरण की बैठक और प्राधिकरण द्वारा समितियों का गठन	7
	झींगा फार्मों का पंजीकरण	10
	झींगा फार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण	13
	सीएए द्वारा अक्वाफार्मों के पंजीकरण/नवीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास	17
	ख. एसपीएफ लिटोपेनियस वेन्नामई पालन	18
	एसपीएस एल. वेन्नामई ब्रूड स्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का चयन	18
	वर्ष 2013-14 में एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूड स्टॉक का आयात और बीज उत्पादन	19
	वर्ष 2013-14 के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों का राज्यवार निष्पादन	22
	अनाधिकृत एल. वेन्नामई बीज उत्पादन के विरूद्ध की गई कार्रवाई	27
	एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए झींगा फार्मों की अनुमति	28
	एल. वेन्नामई पालन का राज्य वार निष्पादन	35
	एल. वेन्नामई पालन के लिए गैर–अनुमोदित फार्मों के विरूद्ध की गई कार्रवाई	38
	एसपीएफ एल. वेन्नामई का उत्पागदन	39
	एल. वेन्नामई हैचरीज/फार्मों की निगरानी	40
IV.	जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला	43
V.	वेबसाइट का अद्यतन	43
VI.	सीएए अधिनियम, नियमों, दिशा–निर्देशों और विनियमनों के संग्रह का अद्यतित संस्करण	44
VII.	सीएए के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों और अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव	44
VIII.	चेन्नै में सीएए मुख्यालय की स्थापना	44
IX.	सीएए द्वारा हिन्दी शिक्षण योजनाओं के आयोजन	45
X.	सीएए के अतिरिक्त कार्यकलाप	45
XI.	वर्ष 2014-15 के दौरान किए जाने वाले संभावित कार्यकलाप	49
XII.	वर्ष 2013-14 क वित्त	50
XIII.	स्टाफ और प्राधिकरण की मौजूदा संगठनात्मक रचना	51
XIV.	भर्ती/सेवा निवृत्ति/वापस भेजना	52
XV.	सूचना का अधिकार अधिनियम	52
अनुबंध:	वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक लेखें और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट	53
	तुलन पत्र	54
	आय एवं व्यय खाते	55
	प्राप्रियां एवं और भुगतान खाते	56-57
	तुलन पत्र अनुसूचियां (1-6)	58-62
	आय एवं व्यय अनुसूचियां (7-13)	63-64
	लेखाकारण नीतियां (अनुसूची-14)	66
	आकस्मिसक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियां (अनुसूची-15)	69
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोट	70

CONTENTS

Sl. No.	Subject	Page No.
	Preface	79
I.	Composition, Operational Goals and Objectives of the Authority	81
	Composition of the Authority during 2013-14	81
	Aims and Objectives of the Authority	82
	Powers and Functions of the Authority	83
	Regulation of SPF *Litopenaeus vannamei* culture in India	85
II.	Targets and Performance	86
	Annual Targets	86
	Brief review of Actual Performance	87
III.	A. Activities and Achievements	88
	Meetings of the Authority and Committees Constituted by the Authority	88
	Registration of Shrimp Farms	92
	Renewal of Registrations of Shrimp Farms	95
	Efforts taken by CAA to Promote Registration / Renewal of Aquafarms	99
	B. SPF *Litopenacus vannamei* Farming	100
	Selection of SPF. *L. vannamei* Brooodstock Suppliers	100
	Import of SPF *L. vannamei* broodstock and seed production during the year	101
	State-wise performance of SPF *L. vannamei* Hatcheries during the year	104
	Action taken against unauthorized *L. vannamei* seed production	109
	Permission to shrimp farms to culture SPF *L. vannamei*	110
	State-wise performance of *L. vannamei* farming	117
	Action taken against the unapproved farms for *L. vannamei* culture	120
	Production of SPF *L. vannamei*	121
	Monitoring of *L. vannamei* hatcheries and farms	122
IV.	Water Quality Monitoring Laboratory	125
V.	Website updation	125
VI.	Updated version of the Compendium of CAA Act, Rules, Guidelines and Regulations	126
VII.	Proposal for Creation of Regional Centres and Additional Posts for CAA	126
VIII.	Setting up of CAA Headquarters at Chennai	126
IX.	Implementation of Offical Language (Hindi) in CAA	127
X.	Outreach Activities of CAA	127
XI.	Activities likely to be taken up during 2014-15	131
XII.	Finance during the Financial Year 2013-14	132
XIII.	Staff and Existing Organizational Structure of the Authority	133
XIV.	Recruitment / Retirement / Repatriation	134
XV.	Right to Information Act	134
Annexure : Annual Accounts of CAA and Separate Audit Report of the C&AG for the year 2013-14		135
	Balance Sheet	136
	Income and Expenditure Account	137
	Receipts and Payments	138-139
	Schedules forming part of Balance Sheet (1-6)	140-144
	Schedules forming part of Income and Expenditure (7-13)	145-146
	Accounting Policies (Sehedule 14)	148
	Contingent Liabilities and Notes on Accounts (Sehedule 15)	151
	Spearate Audit Report of the C&AG of India	152

न्यायमूर्ति के. रविराजा पान्डियन
अध्यक्ष
Justice K. Raviraja Pandian
Chairperson

सत्यमेव जयते

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार कृषि मत्रांलय
शास्त्री भवन अनेक्स दूसरी मंजिल
सं. 26, हडोस रोड, चैन्नै–600 006.
तमिलनाडु, भारत.
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Government of India, Ministry of Agriculture
Shastri Bhavan Annexe, 2nd Floor,
No.26, Haddows Road, Chennai - 600 006.
Tamilnadu, INDIA.

प्राक्कथन

तटीय जलकृषि, जिसमें समग्र रूप से भूमि आधारित और समुद्र आधारित खारी और समुद्री जलकृशि शामिल है, का अन्य अनुशंगी उद्योगों और साथ ही घरेलू तथा अंतर्राश्ट्रीय व्यापारको बढ़ावा देने के अलावा तटीय अर्थव्यवस्था, तटीय आबादी को जीविका उपलब्ध करवाने, ग्रामीण आबादी को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। आमतौर परजलकृशि और खासतौर पर झींगा कृशि ने पूर्व में उत्पादन, व्यापार संबंधी प्रतिबंधों, पूंजीकरण और तटीय क्षेत्रों मेंपर्यावरण संबंधी चिंताओं से जुड़ी अनेक विकास संबंधी समस्याओं का सामना किया है। अभी भी, वैश्विक खाद्य उत्पादन क्षेत्र, संसाधनों के प्रबंधन और तटीय क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक प्रभाव में इसके योगदान को अब पूरी तरह समझा जाता है और सभी के द्वारा सराहा जाता है। हाल ही में तटीय जलकृषि के विकास को एक जिम्मेदाराना, सतत रूप से चलने वाले और पारिस्थितिकी के अनुकूल कार्य बनाने के क्रम में अनेक विशिष्ट उपलबधियां हासिल की गईहैं।

तटीय जलकृशि प्राधिकरण की स्थापना संसद के एक अधिनियम अर्थात् तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के द्वारा की गई थी और यह अधिसूचित क्षेत्रों अर्थात् उच्च ज्वार रेखा से 2 कि.मी. तक के क्षेत्रों में तटीय जलकृषि के सतत, विनियमित विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य तटीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर उपयुक्त विनियामक उपायों के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसमें तटीय क्षेत्रों में जलकृशि फार्मो के निर्माण और प्रचालन, तटीय क्षेत्रों में सभी हैचरियों के पंजीकरण के लिए विनियम, विभिन्न कार्यकलापों के लिए जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना का पता लगाने के लिए इन सुविधाओं का निरीक्षण, प्रदूषण फैलाने वाली ऐसी कंपनियों को समाप्त करना और ध्वस्त करना, तटीय जलकृषि में प्रयुक्त होने वाले आदानों के लिए मानक निर्धारित करना और प्रचालनों की निगरानी करना आदि शामिल हैं।

हमारे समुद्री भोजन के निर्यात में झींगा प्रमुख रही है, इसमें फिनफिश, सीपियों और केकड़ों आदि का भी कुछ योगदान है। झींगा क्षेत्र में पूर्व में बार–बार बीमारी की समस्याएं रही हैं जिसके कारण उत्पादन और व्यापार में अचानक गिरावट आई है और वैकलपिक प्रजातियां तलाश करने की जरूरत महसूस की गई है। मोहक सफेद झींगा एसपीएफ लिटोपेनज वेन्नामई शुरू करने से देश में झींगा कृषि क्षेत्र का भविष्य बनाने में मदद मिली है और इसका असर झींगा क्षेत्र की समग्र उत्पादकता और साथ ही भारत से झींगा के निर्यात पर भी पड़ रहा है।

देश में तटीय जलकृषि विकास की मदद करने में सांविधिक विनियमन प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं जिनसे पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखना, पर्यावरण के नकारात्मक प्रभावों को कम करना और तटीय संसाधनों के लिए इनका ईष्टतम उपयोग सुनिशचित होता है। उपर्युक्त मुद्दों के संबंध में सीएए द्वारा किए गए विभिन्न उपाय इस संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में विस्तार पूर्वक बताए गए हैं।

प्राधिकरण ने अनेक जागरूकरता कार्यक्रमों और हैचरी प्रचालकों और किसानों के साथ इन हाउस बैठकों के जरिए पणधारकों के बीच अनुभवों के आदान–प्रदान और उनकी समस्याओं के समाधान में मदद की है।

प्राधिकरण देश में तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विगत वर्षों में स्पष्ट रूप से प्रगति करता रहा है। तटीय जलकृषि में सामाजिक, आर्थिक और जैविक मसलों से संबंधित विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। इस प्रकार, सतत् विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनुकुलतम लाभ लेने हेतु समनवित प्रबंधन और विनियमन महत्वपूर्ण है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में इस क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही अनेक समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया है, जैसा कि इस संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट से देखा जा सकता है। तटीय जलकृषि क्षेत्र के पणधारकों द्वारा जैव सुरक्षा और विनियमित विकास की संकल्पना को तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा उठाए गए विभिन्न विनियामकउपायों द्वारा हासिल किया जा रहा है। किसानों को तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इन पहलुओं की जानकारी दी जाती है और कार्यशालाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी तथा समीक्षाधीन अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में आयोजित समुद्री खाद्यान मेलों के माध्यम से भी उन्हें अवगत कराया जाता है। झींगा जलकृषि के अलावा, इस क्षेत्र को खारा जल प्रजातियों के फिनफिश पालन में भी विविधता की आवश्यकता है, जिससे हमारे व्यापक संसाधनों के समग्र उपयोग में मदद मिलेगी और आगे चलकर देश के तटीय क्षेत्रों में उत्पादन और आर्थिक विकास में सुधार होगा। तटीय जलकृषि गतिविधियों को विकसित और विनियमित करने में आवश्यक घटकों के रूप में बेहतर जलकृषि प्रणालियों को शुरू करने के अलावा, भविष्य में रोग निगरानी और प्रबंधन को भी सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

समुद्री खाद्यान व्यापार में बदलते हुए परिदृश्य को देखते हुए, जहां उपभोक्ता समुद्री खाद्यान संसाधनों का दोहन करने में अपनाई जा रही खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता प्रणालियों के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं, हमें भविष्य में इन महत्वपूर्ण मसलों की ओर भी ध्यान देना होगा जिसमें तटीय जलकृषि प्राधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी जिससे बेहतर भविष्य के लिए विभिन्न विनियामक उपायों के अनुपालन का सुनिश्चय किया जा सकेगा।

मैं, देश में तटीय जलकृषि के सतत विकास के लिए हमारे लक्ष्य हासिल करने में लगातार दिए गए समर्थन के लिए भारत सरकार (कृषि मंत्रालय) का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्राधिकरण के सुचारू रूप से कार्यकरण में अपने जबर्दस्त सहयोग के लिए प्राधिकरण के सभी सदस्यों और तटीय राज्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।

के. रविराजा पान्डियन

न्यायमूर्ति के. रविराजा पान्डियन
अध्यक्ष

I. प्राधिकरण की संरचना, प्रचालनात्मक लक्ष्य और उद्देश्य

तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत अपनी स्थापना के समय से ही तटीय जल कृषि प्राधिकरण (सीएए) ने पिछले 8 वर्षों में विभिन्न विनियनामक उपायों को कार्यान्वित करके एक दीर्घकालिक और पारिस्थितिकी के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए देश में झींगा क्षेत्र के विकास में काफी योगदान किया है। सीएए का मुख्य उद्देश्य 'तटीय क्षेत्र', अर्थात् समुद्रों, नदियों, संकरी खाड़ियों और अप्रवाही जल की हाई टाइड लान (एचटीएल) से दो किमी. की दूरी के भीतर की भूमि के क्षेत्र में तटीय जल कृषि के विनियमित विकास को बढ़ावा देना है। इस प्रक्रिया में सीएए यह सुनिश्चित करने की कोशिश भी करता है कि सभी के द्वारा उत्तरदायी तटीय जल कृषि की अवधारणा का अनुपालन किया जाए।

1. वर्ष 2013-2014 के दौरान प्राधिकरण की संरचना

(i)	**जस्टिस के. रविराजा पान्डियन** (दिनांक 20-05-2013 से उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश)	...	अध्यक्ष
(ii)	**डॉ. पी. रविचन्द्रन** प्रधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान, चेन्नै (तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ)	...	सदस्य
(iii)	**डॉ. आर. किरुभागरन** वैज्ञानिक 'एफ' 'राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै (तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ) (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)	...	सदस्य
(iv)	**डॉ. सुश्री मंजू रैना** निदेशक (सी.पी. प्रभाग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार (पर्यावरण संरक्षण/प्रदूषण के क्षेत्र में विशेषज्ञ)	...	सदस्य
(v)	**डॉ. राजशेखर वुंद्रू, आई.ए.एस.** संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी), पशुपालन, डेरी तथा मत्स्यपालन विभाग, (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि) **श्री तरूण श्रीधर, आई.ए.एस.** संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) अप्रैल, 2013 तक	...	सदस्य
(vi)	**सुश्री लीना नायर, आई.ए.एस.** अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि) **श्री असित कुमार त्रिपाठी, आई.ए.एस.** संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, मई, 2013 तक	...	सदस्य
(vii)	**डॉ. डी.एच. ब्रम्हभट्ट, आई.ए.एस.** आयुक्त एवं सचिव, (मात्स्यिकी और पशु संसाधन विभाग) गुजरात सरकार, (गुजरात राज्य के प्रतिनिधि)	...	सदस्य
(viii)	**श्री के. प्रवीण कुमार, आई.ए.एस.** मात्स्यिकी आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार (आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)	...	सदस्य

(ix) **श्री सईद अहमद बाबा, आई.ए.एस.**
प्रधान सचिव (मात्स्यिकी)
मात्स्यिकी, जलकृषि, जलीय संसाधन और मात्स्यिकी पत्तन विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता (पश्चिम बंगाल राज्य के प्रतिनिधि)
श्री सुबेश कुमार दास, आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, जनवरी, 2014 तक ... सदस्य

(x) **डॉ. एस. विजय कुमार, आई.ए.एस.**
सचिव (मात्स्यिकी), तमिलनाडु सरकार,
पशुपालन, डेरी और मात्स्यिकी विभाग, चेन्नै
(तमिलनाडु के प्रतिनिधि)
श्री गगनदीप सिंह बेदी, आई.ए.एस.
सचिव (मात्स्यिकी, तमिलनाडु सरकार, मई, 2013 तक ... सदस्य

(xi) **डॉ. आर. पाल राज**
(केन्द्रसरकार द्वारा नियुक्त सदस्य) ... सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य

प्राधिकरण के लक्ष्य एवं उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा 'तटवर्ती क्षेत्रों के रूप में' अधिसूचित क्षेत्रों से तटीय जलकृषि गतिविधियों को तथा इससे संबंधित सभी मामलों को विनियमित करना है। प्राधिकरण को तटवर्ती क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और संचालन के लिए विनियमन बनाने और फार्मों तथा हेचरियों के पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन करने के लिए लिटोपेनज वेन्नामई हेतु फार्मों तथा हैचरियों का निरीक्षण करने, जलकृषि फार्मों और हेचरियों का पंजीकरण करने, प्रदूषण फैलाने वाले तटवर्ती जलकृषि फार्मों को हटाने अथवा नष्ट करने तथा तटीय जलकृषि में सभी तटीय जलकृषि आगतों जैसे बीज, बीजवृद्धि उपकरण, तटीय जलकृषि में प्रयुक्त रसायनों आदि के लिए मानकों को तय करने की शक्ति दी गई है।

3. प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य

प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य सीएए अधिनियम, 2005 के चौथे अध्याय तथा इसके तहत बनाए गए नियम एवं 2008 में अधिसूचित तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिश्ट है। सीएए अन्य बातों के साथ-साथ तटीय जलकृषि क्षेत्र के सुव्यवस्थित तथा सतत विकास के लिए विनियम बनाता है ताकि गतिविधि में संलग्न विभिन्न अंशधारकों के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण अनुकूल तथा समाज स्वीकृत तटीय जलकृषि की ओर उन्मुख हुआ जा सके।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व देश में अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर बीज उत्पादन और एल. वेन्नामई के फार्मों में शामिल अथवा शामिल होने जा रहे सभी प्रकार के तटीय खारा और लवणीय जल जलकृषि फार्मों और हेचरियों का पंजीकरण सुनिशचित करना है। यह एक सतत प्रक्रिया है। सभी पात्र जलकृषि फार्मों का पंजीकरण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा कई उपाय आरंभ किए गए हैं। इसमें तटीय राज्यों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करना, जागरूकता शिविरों का आयोजन और समाचारपत्रों के जरिए प्रचार आदि शामिल हैं। तटीय क्षेत्रों में जलकृषि करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम और नियम में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अपने फार्म का तटीय जलकृषि प्राधिकरण में पंजीकरण कराएं। पंजीकरण पांच वर्षों की अवधि के लिए किए जाते हैं जो आगे समय-समय पर नवीनीकृत किए जा सकते हैं। भविष्य में तटीय जलकृषि गतिविधियों

को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण प्रक्रियाओं को नए फार्मों के लिए तथा मरम्मत किए जाने वाले पुराने फार्मों के लिए जारी रखा जाएगा।

तटीय विनियम जोन के भीतर हाई टाइड लाइन और खाडियों में नदियों तथा पश्च जल से 200 मीटर के भीतर जलकृषि की अनुमति नहीं है। तथापि, यह शर्त तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के विधिकरण से पहले स्थापित मौजूदा फार्मों तथा सरकार अथवा सरकार के किसी भी अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित गैर–वाणिजयिक तथा प्रयोगात्मक जलकृषि फार्मों पर लागू नहीं है। यद्यपि ऐसे सभी फार्म तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास पंजीकृत होने चाहिए। ऐसे प्राधिकरण के बिना किसी व्यक्ति द्वारा तटीय जलकृषि करने पर उसे अधिनियम के अनुच्छेद 14 में यथा–निर्धारित कारावास का दंड जिसे तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना अदा करना पड़ेगा जिसे एक लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों दंड भुगतने पड़ेंगे।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण की सभी मामलों में सहायता, संबंधित तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण में, राज्य स्तरीय समितियों (एसएलसी) एवं जिला स्तरीय समितियों द्वारा की जाती है। 2 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र वाले फार्मों के मामले में, डीएलसी मानकों की अनुपालना के बारे में संतुष्ट होने पर पंजीकरण हेतु विचार करने के लिए सीएए को सीधे आवेदनों की सिफारिश करेंगे: और 2 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र से बड़े फार्मों के मामले में, डीएलसी मानकों के सत्यापन की पुष्टि करने के लिए फार्मों का निरीक्षण करेंगे और एसएलसी को आवेदनों की सिफारिश करेंगे, जो संतुष्ट होने पर, पंजीकरण के लिए सीएए को इनकी सिफारिश करेंगे।

पशुपालन, डेरी तथा मत्स्यपालन विभाग (डीएएचडी एंड एफ), भारत सरकार ने दिनांक 15 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना द्वारा लाइवस्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट, 1898 के तहत और दिनांक 30 अप्रैल, 2009 की एक अन्य अधिसूचना के जरिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2009 के तहत तटीय जलकृषि प्राधिकरण को आकर्षक झींगा अर्थात एल. वेन्नामई की वाणिज्यिक शुरूआत को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है जिसमें जैव सुरक्षा सुविधाओं के उपयुक्तत: निरीक्षण, योग्य फार्मों को एल. वेन्नामई कृषि के लिए विशेष अनुमोदन जारी करने से पिले सीएए के अधीन एक निरीक्षण दल द्वारा फार्मों का निरीक्षण और प्रजाति के अनधिकृत प्रजनन और कृषि को राकने के लिए कार्यक्रमों की निगरानी आदि शामिल हैं। यह कार्य सतत रूप से चलने वाला कार्य है और इसके लिए तटीय राज्यों, एनएफडीबी, एमपीईडीए के साथ बेहतर समन्वय अपेक्षित है। आकर्षक प्रजाति होने के कारण एल. वेन्नामई की आकर्षक रोगाणु के तौर पर शुरूआत, जैव सुरक्षा पर प्रभाव और सामाजिक–आर्थिक प्रभावों को रोकने के लिए इसे उपयुक्तत: विनियमित किए जानेकी आवश्यकता है।

सीएए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीएए द्वारा पूरे किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले तटवर्ती समुदाय की आजीविका को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कृषि भूमि, लवण पटल जमीन, कच्छीय वन, नम जमीन, वन भूमि, गांव की आम प्रयोजन की भूमि तथा सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि और राष्ट्रीय उद्यानों तथा मृग वनों को जलकृषि फार्मों में परिवर्तित न किया जाए;
- पारिस्थिकीय अनुकूल विकास हासिल करने के लिए उचित कार्यनीति तैयार करने के लिए देश के समूचे तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करना जिसमें सैटेलाइट इमेजरीज, जीआईएस, हाइड्रोग्राफिक मैप्स के जरिए सूचनाओं का समेकन तथा दीर्घकालिक तटीय जलकृषि हेतु भावी स्थलों का मानचित्रण करने के लिए संबंधित राज्यों की तटीय प्रबंधन योजनाओं के साथ एकीकरण और समन्वय शामिल है।

- सामान्य अवसंरचना लाइन, सामान्य जल अंतर्ग्रहण, निकासी नहर एवं सार्वजनिक बहिस्राव उपचार प्रणाली के निर्माण के लिए राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को सलाह एवं समर्थन देना;
- बीज, आहार, वृद्धि संवर्धकों तथा जल निकायों एवं पाले गए जीवों एवं अन्य जलजीव के रखरखाव के लिए प्रयुक्त रसायनों के लिए मानक निर्धारित करना;
- पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अध्ययनों/योजनाओं को आरम्भ करना या अन्वेषणों को प्रायोजित करना और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन;
- तटीय जलकृषि से संबंधित आंकड़ों एवं अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक–आर्थिक सूचना एकत्रित एवं वितरित करना। इसमें झींगा फार्मों के पंजीकरण से संबंधित डाटाबेस को सुदृढ़ करना, संगठन की वैबसाट को अद्यतन बनाना शामिल है।
- तटीय जलकृषि के सतत विकास एवं तटीय जलकृषि के क्रियाकलापों से संबंधित सामग्री तैयार करना;
- तटीय संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग तथा न्याय संगत एवं उचित हिस्सेदारी के संबंध में जागरूकता अभियान चला कर प्रचार करना तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना;
- प्रचालनात्मक समस्याओं के संबंध में विभिन्न तकनीकी समितियां, उप–समितियां, कार्य दल आदि गठित करना;
- तटीय पर्यावरणीय पर होने वाले प्रभावों को कम से कम करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए फार्म के मालिकों को निर्देश देना;
- सततता को सुनिश्चित करने के लिए; या पर्यावरणीय सततता को बनाए रखने के हित में एवं तटीय पर्यावरण के हित में आजीविका के संरक्षण के लिए मौसमी बंदी का आदेश देना;
- अनधिकृत बीज उत्पादन, कृषि कार्यकलापों और सीएए दिशा–निर्देशों के तहत बताई गई शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई करना।
- विभिन्न स्थानों पर विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित मात्स्यिकी संबंधी प्रदर्शनियों में भागीदारी।
- तटीय राज्यों के मात्स्यिकी अधिकारियों के साथ स्वच्छता कार्यशालाएं आयोजित करके जिम्मेदाराना जलकृषि पद्धतियों के लिए जागरूकता लाना।
- तटीय जलकृषि से संबंधित मसलों को निपटाना जिनमें ऐसे मसले भी शामिल हैं जिन्हें केन्द्र सरकार को संदर्भित किया जाना है।
- समय–समय पर दिशा–निर्देशों में संशोधन करने के लिए सरकार को उचित सिफारिशें देना।

4. एसपीएफ लिटोपिनस वेन्नामई पालन का भारत में विनियमन

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (पशुधन आयात अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) के तहत जारी 15.10.2008 की अधिसूचना द्वारा तटीय जलकृषि प्राधिकरण को एसपीएफ एन. वेन्नामई के ब्रूड स्टॉक के आयात के लिए अनुमति देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए) और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के परामर्श से तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अनुवांशिकी आधार और रोग संबंधी स्थिति के आधार पर ब्रूड स्टॉक आपूर्तिकर्ता चुने गए थे। उक्त अधिसूचना में शामिल उक्त दिशा–निर्देश में संगरोध के लिए जैव सुरक्षा अपेक्षाए, आयात परमिट, प्रवेश के लिए बंदरगाह, पूर्व–सरहद संगरोध अपेक्षाएं, संक्रमणयुक्त प्रक्रिया इत्यादि का विवरण दिया गया है।

तटीय जलकृषि(संशोधन) नियम, 2009 से एल. वेन्नामई की शुरूवात करने के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियंत्रित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा–निर्देशों में एल. वेन्नामई नस्ल के अनुप्रयोग के लिए मानक, तकनीकी आवश्यकताएं, एसपीएफ एल. वेन्नामई के उत्पादन और बिक्री के लिए प्रक्रिया शामिल है और फार्मों के अनुमोदन और प्रचालन के लिए मानक और विनयम विनिर्दिष्ट हैं।

हैचरी संचालकों और झींगा कृषकों के सुचारू प्रचालन के लिए, भारत सरकार ने वयस्क ब्रूड स्टॉक पालन के लिए 10 ग्राम तक एन. वेन्नामई के एसपीएफ बच्चों के आयात, अनुमति प्राप्त हैचरियों से नोपली की बिक्री, पर्याप्त सूखा काल के बाद एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में पालन को बदलने के लिए अनुमति प्रदान करते हुए मार्च, 2012 में अधिसूचना के तहत सीएए नियम, 2005 में और आगे संशोधन किया है। इस अधिसूचना से अप्राधिकृत बीज उत्पादन से निपटने की निरीक्षण प्रक्रिया और सीएए के टीम निरीक्षण द्वारा अप्राधिकृत स्टाक को नष्ट करने के जरिए एल. वेन्नामई पालन को भी सुदृढ़ किया गया।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण एल. वेन्नामई पालन आरंभ करने के लिए हैचरियों एवं फार्मों को अनुमति प्रदान करने में इस उद्यम के सतत विकास के लिए संपूर्ण प्रचालन के निरीक्षण और मानिटरिंग में सावधानीपूर्वक अनुपालन कर रहा है।

II. लक्ष्य तथा कार्य निष्पादन

1. वार्षिक लक्ष्य

- क्रियान्वयन के लिए निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण की प्रत्येक दो महीनों में कम से कम एक बैठक आयोजित करना।
- तटीय जल कृषि फार्मों का पंजीकरण तथा उनका नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसका न तो लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है और न ही परिणाम बताया जा सकता है। जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) और राज्य स्तरीय समितियों (एसएलसी) से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर अगले एक वर्ष के दौरान अतिरिक्त 3,000 तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत किए जाने की संभावना।
- वर्ष 2013-14 के लिए लगभग 2,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करने के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन का विस्तार जिसमें एक वर्ष में लगभग 20,000 मीट्रिक टन प्रत्याशित अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा।
- तकनीकी समिति द्वारा आवश्यकता और मौजूदा ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं के निष्पादन की समीक्षा पर निर्भर करते हुए ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का चयन।
- ब्रूड स्टॉक के आयात और सीएए द्वारा अनुमोदित कृषकों को आपूर्ति करने के लिए एसपीएफ बीजों के उत्पादन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए पर्याप्त जैव सुरक्षा सुविधाएं रखने वाले भावी हैचरी मालिकों के आवेदनों के संबध में कार्रवाई करना।
- बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए समीक्षा बैठकों की सिफारिशों के अनुसार तकनीकी समिति द्वारा एल. वेन्नामई के ब्रूड स्टॉक की आवश्यकता हैचरी क्षमता और एल. वेन्नामई पालन के लिए पालन क्षेत्र का पता लगाना।
- कृषकों से प्राप्त सभी आवेदन–पत्रों को प्रक्रम में लाना, जो पी. मोनोडान, एसपीएफ एल. वेन्नामई या किसी अन्य प्रजाति को अपने फार्म में अपेक्षित और उपयुक्त जैव सुरक्षा सुविधा और अपशिष्ट उपचार प्रणाली सृजित करते हुए पालन करना चाहते हैं और तत्पश्चात पंजीकरण तथा/या अनुमति प्रमाण–पत्र जारी करना।

- बीज उत्पादन और एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया बिना किसी विलंब के आरंभ करना।
- इस प्रयोजन के लिए अन्य सुविधाओं के साथ–साथ जैव सुरक्षा अपेक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दल द्वारा हैचरियों और फार्मों का निरीक्षण करना।
- निरीक्षण दल द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों पर मंजूरी प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनी नियमित बैठक में विचार करना।
- हैचरियों और फार्मों की निगरानी सावधिक रूप से करना और अनुमोदन की शर्तों का उल्लंघन करने पर उपयुक्त कार्रवाई करना।
- तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित जल गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए ईटीएस से निकलने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता नमूने प्राप्त करना एवं परीक्षण करना।
- पालकों को हैचरियों के पंजीकरण, एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन और क्रेब फार्मिंग तथा प्रतिबंधित दवाओं के मुद्दों और अन्य महत्वपूर्ण बातों के विषय में जागरूक बनाने के लिए जब कभी आवश्यक हो, तटवर्ती राज्यों में जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करना।
- सतत कृषि प्रक्रियाओं को दर्शाते हुए तटीय जलकृषि से संबंधित कार्यशालाओं और प्रदर्शिनियों में भाग लेना।
- पणधारियों को वितरित करने के लिए जलकृषि की अच्छी प्रणाली पर ब्रॉशर/हैंडआउट तैयार करना।
- समीपवर्ती भूमि पर झींगा कृषि के प्रभावों से संबंधित मुकदमों का काम देखना।

2. निष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा

- अप्रैल 2013 और मार्च 2014 के बीच प्राधिकरण की पांच बैठकें आयोजित की गई थीं। एसएलसी/डीएलसी से प्राप्त पंजीकरण के लिए 1,458 आवेदन–पत्रों पर अनुमोदित करने के लिए विचार किया गया था। प्राधिकरण में 1,329 आवेदनों को अनुमोदित किया और शेष को संशोधन के लिए डीएलसी/एसएलसी को वापस भेज दिया गया।
- सीएए द्वारा सभी 1,329 फार्मों को पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया।
- वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने पंजीकरण के नवीकरण के लिए 362 आवेदनों पर विचार किया है और सभी 362 फार्मों को अनुमोदित कर दिया है। अनुमोदन के बाद सभी संबंधित मूल पंजीकृत प्रमाणपत्रों को अभ्यर्पित कर दिया गया और नवीकरण के संबंध में आवश्यक पृष्ठांकन के पश्चात् वापस कर दिया गया।
- निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर 44 नई हैचरियों को निरीक्षण के बाद एसपीएफ एल. वेन्नामई के बीज उत्पादन के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई थी और 2012-13 के दौरान 31-03-2014 तक सीएए द्वारा चयनित 9 ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूड स्टॉक आयात करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
- एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए फार्मों से प्राप्त आवेदनों की जांच और निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर 457.07 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र सहित 105 फार्मों को अनुमोदित किया गया है जिनमें से 442.76 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र सहित 101 फार्मों को वर्ष के दौरान एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए एलओपी जारी किए गए थे।
- वर्ष 2013-14 के दौरान आयात के लिए सीएए द्वारा कुल 70,208 जोड़े ब्रूड स्टॉक को अनुमोदित किया गया था।

- इस वर्ष के दौरान अनुमोदित हैचरियों द्वारा लगभग 5,044.75 मिलियन पोस्ट-लार्वा एसपीएफ एल. वेन्नामई का उत्पादन किया गया था जिसकी आपूर्ति पंजीकृत झींगा किसानों को कर दी गई।
- वर्ष के दौरान 4 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनमें से 3 ऑल इंडिया श्रिम्प हैचरीज एसोसिएशन के साथ आंध्र प्रदेश के पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों में थे तथा अन्य गुजरात के वलसार जिले में थे। कुल मिलाकर 750 जल किसानों, हैचरी प्रचालकों और राज्य मत्स्य पालन अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।
- मार्च, 2014 तक सीएए अधिनियम, नियम, दिशा-निर्देशों, विनियमनों और अन्य संबंधित अधिसूचनाओं को शामिल करते हुए एक संग्रह को अद्यतन बनाकर द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) प्रकाशित किया गया था ताकि सभी पणधारक सीएए के मौजूदा तटीय जलकृषि कानूनों और विनियामक उपायों, अधिसूचित विधियों, नियमों, दिशा-निर्देशों और विनियमनों का अनुपालन आसानी से कर सकें।

III. क. कार्यकलाप व उपलब्धियां

1. प्राधिकरण की बैठक और प्राधिकरण द्वारा समितियों का गठन

चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल 2013 और मार्च 2014 के दौरान सीएए में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अन्य बैठकों के अलावा पांच नियमित बैठकें की। बैठकों व उनमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त ब्यौरा सारणी-1 में दर्शाया गया है। पंजीकरण के लिए दिए गए आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने के अलावा प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे सीएए के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अनुमति प्राप्त हैचरियों/फार्मों को कारण बताओ नोटिस का मुद्दा, बगैर अनुमोदन वाली हैचरियों के विरूद्ध कार्रवाई, हैचरियों के पंजीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा और फार्मों और हैचरियों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की निगरानी आदि पर विचार-विमर्श किया।

प्राधिकरण की हो रही बैठकें

तालिका 1 तटीय जलकृषि प्राधिकरण की बैठकें (अप्रैल 2013 से मार्च 2014)

बैठकें	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
एकतालीसवीं बैठक	21 जून, 2013, चेन्नै	• 472 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान किया। • 45 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया। • एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए 40 झींगा फार्मों (डब्ल्यू एसए– 218-71 हेक्टेयर) को अनुमति प्रदान की गई। • बिना अनुमोदन है फार्मों एवं हैचरियों से स्टॉक को नष्ट करने या निपटारा करने के तरीका ढूँढ़ने के लिए एक विशेषज्ञ समिति को बनाने का जरूर। • 8 हैचरियों को बंद करने का आदेश जारी करने का संकल्प। ये हैचरियां अनाधिकृत रूप से एल. वेन्नामई के बीज उत्पादन में संलग्न थी। • आंध्र प्रदेश के पन्नपुणी लक्ष्मीपुरम्, विदावलूर मंडल, नेल्लोर जिले में पंजीकरण के लिए अपने आवेदनों में झूठी सूचना देने के लिए 4 किसानों को जारी किए गए पंजीकरण को रद्द करने का संकल्प। • तरीय जलकुषि प्राधिकरण के वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखों का अनुमोदन।
बयालीसवीं बैठक	10 सिंतबर, 2013, चेन्नै	• 308 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान किया गया। • 203 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया। • एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन हेतु 8 झींगा फार्मों (डब्ल्यूएसए - 26.70 हेक्टेयर) को अनुमति प्रदान की गई। • मुख्यालय के लिए 4 अतिरिक्त पदों के सृजन और केन्द्र सरकार के विचारार्थ पर्याप्त औचित्य बताते हुए क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव पर जोर देने का संकल्प।
43वीं बैठक	12 नवंबर, 2013, चेन्नै	• 53 झींगा फार्मों के पंजीकरण का अनुमोदित किया गया। • 32 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया। • एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए 13 झींगा फार्मों (डब्ल्यूएसए-119.58 हेक्टेयर) को अनुमति प्रदान की गई। • वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया। • एल. वेन्नामई फार्मों के ईटीएस से निकले जल में अनुषंगी जलकृषि शुरु करने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए एक तकनीकी समिति गठित करने का संकल्प। • हैचरियों में एल. वेन्नामई के अवैध स्टाक को नष्ट करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया।

43वीं बैठक	12 नवंबर, 2013, चेन्नै	• सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने के बाद सीएए के भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की सिफारिश करने और आगे की कार्रवाई के लिए डीएएचडीएंडएफ को भेजने का संकल्प। • यह संकल्प किया गया कि किसान पंजीकरण के लिए प्राधिकरण को डीएलसीज के जरिए फार्मों का वैध लीजडीड प्रस्तुत करें। • तमिलनाडु में एक हेचरी और आंध्रप्रदेश में 2 हेचरियों को भविष्य में सीएए नियमों और विनियमनों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी का नोटिस जारी करने का संकल्प। • मरक्कनम, तमिलनाडु में एक हैचरी को उन्हें जारी एलओपी के उल्लंघन के लिए चेतावनी पत्र भेजने का संकल्प। • संस्थाओं नामत: अब्दुल हलीम कालेज, वेल्लोर और कालेज आफ फिशरीज, तूतीकोरिन, तमिलनाडु और कालेज आफ फिशरीज, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश को एल. वेन्नामई के संबंध में रोग संबंधी निगरानी की जांच के लिए फार्मों से नमूने एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करने का अनुमोदन किया गया।
44वीं बैठक	27 दिसंबर, 2013, चेन्नै	• ईएमएस के संबंध में एमपीडीए द्वारा जारी दिनांक 21.11.2013 के कार्यालय आदेश के संबंध में कार्रवाई पर विचार-विमर्श। • सीएए अधिनियम, नियम के प्रावधानों की तुलना में एमपीईडीए के तहत आरजीसीए की TASPARC हेचरी के प्रचालन के मुद्दे पर विचार-विमर्श।
45वीं बैठक	27 फरवरी, 2014, चेन्नै	• 496 झींगा फार्मों के पंजीकरण का अनुमोदित किया गया। • 82 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया। • एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए 44 झींगा फार्मों (डब्ल्यूएसए - 92.08 हेक्टेयर) को अनुमति प्रदान की गई। • हैचरियों के पंजीकरण और बीज उत्पादन के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक का आयात करने की अनुमति के 44 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। • एक्वा फार्मों में प्रवेश को प्रतिबंधित करने के संबंध में सीएए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना को पृष्ठांकित करने का संकल्प और संबंधित राज्य सरकार की सहायता से सार्वजनिक सूचना को कार्यान्वित करने का भी निर्णय लिया गया। • आरजीसए के हैचरी के पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र को निरीक्षण दल द्वारा संस्तुत उत्पादन क्षमता और एल. वेन्नामई हैचरियों के पंजीकरण के लिए सीएए के मानकों के अनुसार इसे सीएए को पुन: प्रस्तुत करने के लिए वापस भेजने का संकल्प। • सीएए पंजीकरण के बगैर TASPARC हैचरी के प्रचालन के लिए आरजीसीए को आगे अनुमति जारी नहीं करने के लिए मंत्रालय से अनुरोध करने का संकल्प क्योंकि हैचरियों द्वारा किया जाने वाला कोई भी आयात सीएए नियम, 2005 के तहत यथा अधिसूचित एसपीएफ एल. वेन्नामई की शुरूवात के लिए हैचरियों और फार्मों के विनियमन हेतु दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

45वीं बैठक	27 फरवरी, 2014, चेन्नै	• सीएए की निरीक्षण समिति का पुनर्गठन करने के लिए संकल्प। • झींगा फार्मों के आवेदनों पर आनलाइन कार्रवाई करने पर विचार करने का निर्णय। • रोग निगरानी परियोजना की जांच के लिए झींगा फार्मों से नमूने एकत्रित करने हेतु एनवीएफजीआर, लखनऊ द्वारा अग्रेषित 24 संस्थाओं को इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान करने का संकल्प कि कार्यक्षेत्र का कोई दोहराव नहीं होना चाहिए और एनवीएफजीआर यह सुनिश्चित करे कि संबंधित संस्थाएं उन्हें आबंटित क्षेत्रों में ही कार्य करें। • सरकारी अनुसंधान संस्थानों के पंजीकरण हेतु दिशा–निर्देशों के तहत परांगीपेटी में राज्य मत्स्यपालन फार्म के पंजीकरण हेतु सहायक निदेशक, मत्स्य पालन, परांगीपेटी, कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन। • सरकारी अनुसंधान संस्थाओं के पंजीकरण के लिए दिशा–निर्देशों के तहत सीएमएफआरआई, कोचीन से तमिलनाडु में स्थित उनके अनुसंधान सुविधाओं (सीएमएफआरआई का मंडापम क्षेत्रीय केन्द्र और कोवलम फील्ड लेबोरेटरी और मद्रास रीजनल सेंटर) और केरल (विझिंगजम एंड कालीकट रिसर्च सेंटर्स आफ सीएमएफआरआई और केवीके आफ सीएमएफआरआई, मरक्कल) के पंजीकरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन। • निरीक्षण के बाद हैचरियों को एलओपी जारी करने और भविष्य में कार्योत्तर अनुमोदन के लिए बाद की बैठक का स्थान तय करने का संकल्प।

2. झींगा फार्मों का पंजीकरण

राज्य और जिला स्तरीय समितियों, जिन्हें इसी कार्य के लिए गठित किया गया है, उनकी सिफारिशों पर झींगा फार्मों का पंजीकरण कार्य सीएए द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य है।

- प्राधिकरण ने हर दो महीने में एक बार नियमित रूप हुई अपनी बैठक में झींगा फार्मों के पंजीकरण के लिए जिला स्तरीय समितियों और राज्य स्तरीय समितियों द्वारा संस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार किया और मार्च, 2014 तक (सीएए के आरंभ होने से) में झींगा किसानों को 27,447 पंजीकरण प्रमाण–पत्र अनुमोदित किए गए तथा जारी किए।
- सभी 12 समुद्रतटीय राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों सभी समुद्रतटीय राज्यों में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण–पत्रों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण तालिका-2 में दिया गया है और प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत राज्यवार और क्षेत्रवार फार्मों को दर्शाने वाला चार्ट भी चित्र 1 और चित्र 2 में दिया गया है।
- पंजीकृत फार्मों के ब्यौरे प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अंत्य प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं और इस वेबसाइट को आवधिक रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

तालिका-2 45वीं बैठक (दिसंबर 2005 – मार्च 2014)
तक सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्यों के नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टे.) के तहत फार्मों की संख्या						फार्म का क्षेत्रफल	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40-01 से अधिक	योग	टीएफए (हेक्टे.)	डब्ल्यूएसए (हेक्टे.)
1	पश्चिम बंगाल	1,880	165	6	0	0	**2,051**	2,273	1,525
2	ओडिशा	5,028	419	27	10	0	**5,484**	7,080	4,543
3	आंध्र प्रदेश	14,754	1,047	120	52	9	**15,982**	23,252	16,455
4	तमिलनाडु	899	630	131	19	1	**1,680**	4,963	3,428
5	पुदुच्चेरी	5	1	0	0	0	**6**	22	16
6	केरल	701	165	15	4	0	**885**	1,729	1,166
7	कर्नाटक	258	41	2	2	0	**303**	408	315
8	गोवा	19	14	1	2	0	**36**	117	85
9	महाराष्ट्र	91	112	23	18	6	**250**	1,996	1,251
10	गुजरात	140	603	8	1	2	**754**	3,436	2,451
11	दमन और दीव	0	12	0	0	0	**12**	60	38
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	1	0	0	0	**4**	22	5
	योग	**23,778**	**3,210**	**333**	**108**	**18**	**27,447**	**45,358**	**31,278**

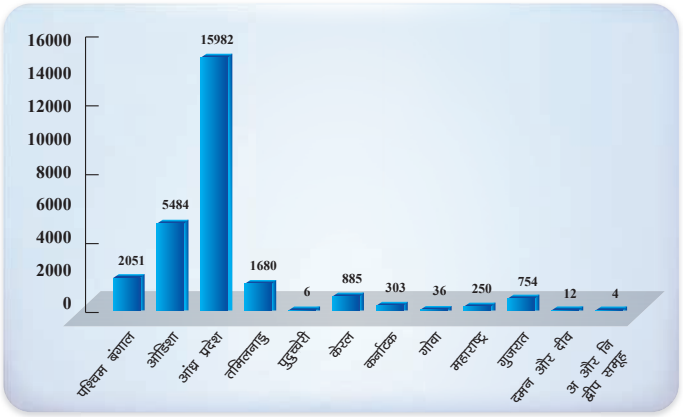

चित्र-1 दिसंबर 2005 से मार्च 2014 तक सभी तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (राज्य-वार)

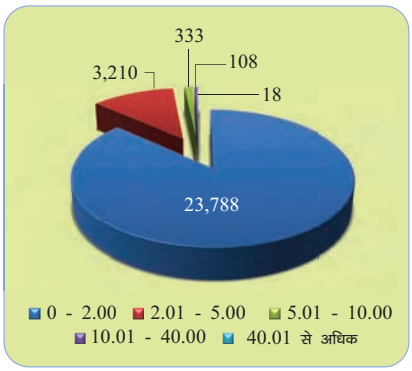

चित्र-2 दिसंबर 2005 से मार्च 2014 तक सभी तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (क्षेत्र-वार)

- वर्ष के दौरान (अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014) प्राधिकरण ने 1329 आवेदनों पर विचार किया और अनुमोदन किया। पंजीकरण प्रमाण-पत्र किसानों को सीधे जारी किए गए थे और सुपुर्द न किए जाने के कारण वापस लौटे प्रमाण-पत्रों को किसानों को जारी किए जाने के लिए राज्यों के एसएलसी के सदस्य संयोजकों को भेज दिया गया था।

- सभी 12 तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान प्राधिकरण में पंजीकृत फार्मों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण तालिका 3 में दिया गया है। प्राधिकरण के पास पंजीकृत फार्मों (राज्यवार और क्षेत्रवार) के ब्यौरे को दर्शाने वाली सारिणी चित्र 3 और 4 में दी गई है।

तालिका 3: चालू वर्ष के दौरान सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों के ब्यौरे (अप्रैल 2014 - मार्च 2014)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टे.) के तहत फार्मों की संख्या						फार्म का क्षेत्रफल	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40-01 से अधिक	योग	टीएफए (हेक्टे.)	डब्ल्यूएसए (हेक्टे.)
1	पश्चिम बंगाल	162	0	0	0	0	**162**	139	84
2	ओडिशा	681	0	0	0	0	**681**	775	490
3	आंध्र प्रदेश	206	32	5	4	0	**247**	612	425
4	तमिलनाडु	13	33	3	0	0	**49**	489	152
5	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	**0**	0	0
6	केरल	125	1	0	1	0	**127**	237	123
7	कर्नाटक	2	1	0	0	0	**3**	7	5
8	गोवा	0	0	0	0	0	**0**	0	0
9	महाराष्ट्र	11	0	0	0	0	**11**	14	10
10	गुजरात	1	48	0	0	0	**49**	227	167
11	दमन और दीव	0	0	0	0	0	**0**	0	0
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	योग	**1,201**	**115**	**8**	**5**	**0**	**1,329**	**2,500**	**1,456**

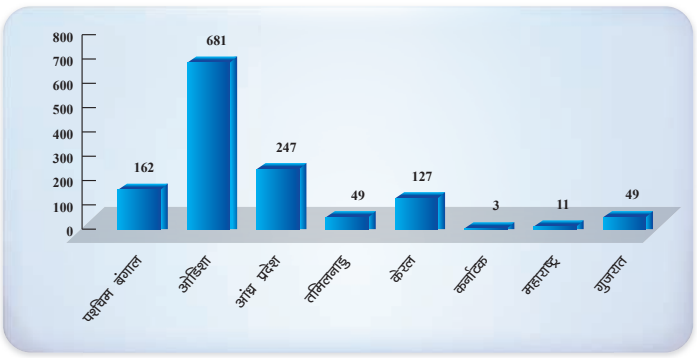

चित्र-3 वर्ष 2013-14 सभी तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (राज्य-वार)

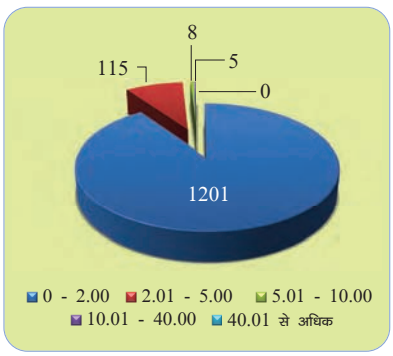

चित्र-4 वर्ष 2013-14 सभी तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (क्षेत्र-वार)

- मार्च, 2014 तक पंजीकृत फार्मों (27,447) का कुल क्षेत्रफल 45,358 हेक्टेयर था और जल प्रभावित क्षेत्र 31,278 हेक्टेयर था और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों (1,329) का कुल क्षेत्रफल और जल प्रभावित क्षेत्र क्रमश: 2,500 हेक्टेयर और 1,456 हेक्टेयर था जैसा तालिका 2 और 3 में प्रस्तुत किया गया है और चित्र 5 और 6 में दर्शाया गया है।

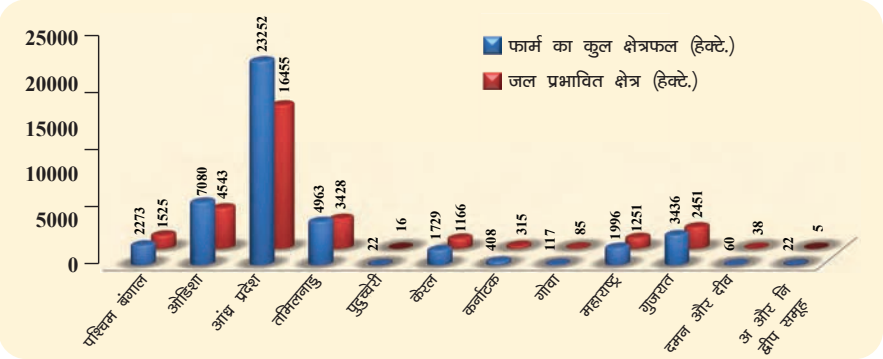

चित्र-5 दिसंबर, **2005** से मार्च, 2014 तक पंजीकृत फार्मों (राज्य–वार) का कुल क्षेत्रफल और डब्ल्यूएसए कुल फार्म क्षेत्रफल (हेक्टे), जल प्रभावित क्षेत्र (हेक्टे.)

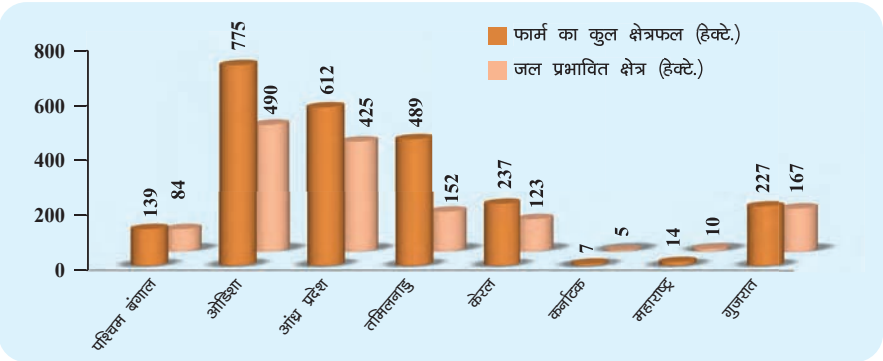

चित्र-6 वर्ष 2013-14 के दौरान पंजीकृत फार्मों (राज्य–वार) का कुल क्षेत्रफल और डब्ल्यूएसए कुल फार्म क्षेत्रफल (हेक्टे), जल प्रभावित क्षेत्र (हेक्टे.)

3. झींगा फार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण

- प्राधिकरण द्वारा तटीय एक्वाफार्मों के पंजीकरण के अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के बाद पंजीकरण का नवीकरण अनिवार्य है। सितंबर, 2012 के दौरान शुरू हुई 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद पंजीकरणों का नवीकरण शुरू किया गया था और 2013-14 तक 1,037.5 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल (डब्ल्यूएसए 756.83 हेक्टेयर) सहित 381 फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया।
- वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने 1,050.83 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल (डब्ल्यूएसए 730.46 हेक्टेयर) सहित 362 फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण के आवेदनों पर विचार किया और सभी 362 फार्मों को अनुमोदित कर दिया। प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद फार्मों के मूल पंजीकरण प्रमाण–पत्रों में आवश्यक पृष्ठांकन किए गए थे।
- सभी 12 तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में मार्च, 2014 तक प्राधिकरण में नवीकृत किए गए फार्मों के पंजीकरण की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण तालिका 4 में दिया गया है और चालू वर्ष (अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014) के दौरान नवीकृत फार्मों के राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरे तालिका 5 में दर्शाए गए हैं। वर्ष के पंजीकरण के नवीकरण के राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरे चित्र 7 और 8 में दिए गए हैं।
- किसानों को अवधि समाप्त होने की तारीख से बहुत पहले ही पंजीकरण का नवीकरण करवाए जाने की जरूरत के संबंध में सार्वजनिक सूचना और साथ ही एसएलसी/डीएलसी के जरिए नवीकरण करने की सलाह दी गई है क्योंकि बगैर नवीकरण के फार्मिंग के कार्यकलापों को जारी रखना अनाधिकृत गतिविधि मानी जाएगी और इस अपराध के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

तालिका 4 सितंबर, 2012 से मार्च, 2014 के दौरान सीएए द्वारा जारी पंजीकरण के नवीकरण प्रमाणपत्रों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्यों के नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टे.) के तहत फार्मों की संख्या					
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40-01 से अधिक	योग
1	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	**0**
2	ओडिशा	43	2	0	0	0	**45**
3	आंध्र प्रदेश	6	0	0	0	0	**6**
4	तमिलनाडु	190	12	0	0	0	**202**
5	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	**0**
6	केरल	11	0	0	0	0	**11**
7	कर्नाटक	13	5	0	0	0	**18**
8	गोवा	0	0	0	0	0	**0**
9	महाराष्ट्र	25	0	0	0	0	**25**
10	गुजरात	4	60	0	0	1	**65**
11	दमन और दीव	0	9	0	0	0	**9**
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	**0**
	योग	**292**	**88**	**0**	**0**	**1**	**381**

तालिका 5 अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान सीएए द्वारा जारी पंजीकरण के नवीकरण प्रमाणपत्रों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्यों के नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टे.) के तहत फार्मों की संख्या					
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40-01 से अधिक	योग
1	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	**0**
2	ओडिशा	43	2	0	0	0	**45**
3	आंध्र प्रदेश	1	0	0	0	0	**1**
4	तमिलनाडु	176	12	0	0	0	**188**
5	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	**0**
6	केरल	11	0	0	0	0	**11**
7	कर्नाटक	13	5	0	0	0	**18**
8	गोवा	0	0	0	0	0	**0**
9	महाराष्ट्र	25	0	0	0	0	**25**
10	गुजरात	4	60	0	0	1	**65**
11	दमन और दीव	0	9	0	0	0	**9**
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	**0**
	योग	**273**	**88**	**0**	**0**	**1**	**362**

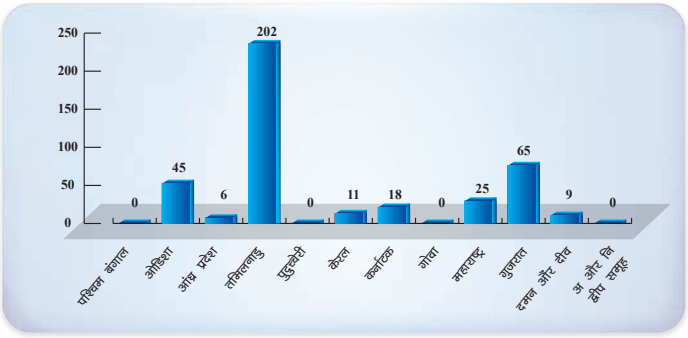

चित्र-7 सितम्बर 2012 से मार्च 2014 तक सभी तटीय राज्यों में फार्मों की पंजीकरण के नवीनीकरण की जंयया (राज्य–वार)

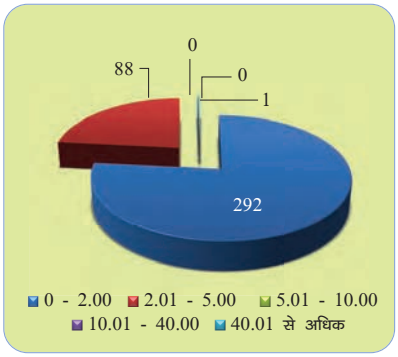

चित्र-8 सितम्बर 2012 से मार्च 2014 तक सभी तटीय राज्यों फार्मों के पंजीकरण के नवीनीकरण की संख्या (क्षेत्र–वार)

- 12 तटीय राज्यों और संघ शाषित प्रदेशों में से 7 राज्यों (उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात) में प्राधिकरण में झींगा फार्मों का पंजीकरण और पंजीकरण का नवीकरण दोनों कार्य किए गए और अकेले पंजीकरण का कार्य पश्चिम बंगाल में और अकेले नवीकरण का कार्य दमन और दीव में किया गया। क्षेत्र–वार ब्यौरे चित्र 9 से 17 में दिए गए हैं।

ओडिशा

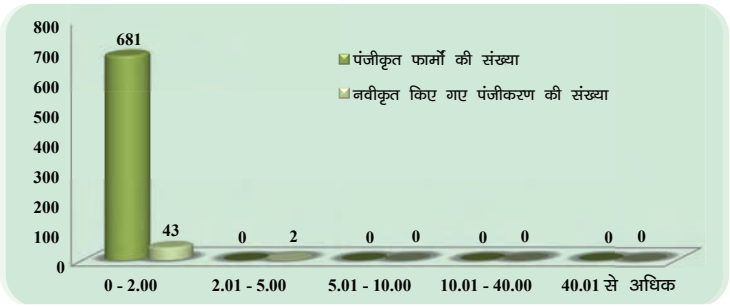

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीकृत किए गए पंजीकरण की संख्या
0 - 2.00	681	43
2.01 - 5.00	0	2
5.01 - 10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

आंध्र प्रदेश

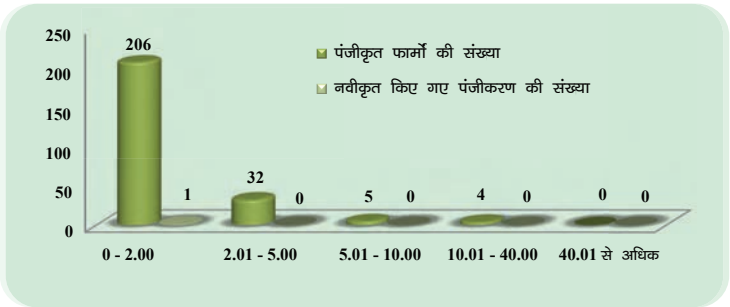

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीकृत किए गए पंजीकरण की संख्या
0 - 2.00	206	1
2.01 - 5.00	32	0
5.01 - 10.00	5	0
10.01- 40.00	4	0
40.01 से अधिक	0	0

तमिलनाडु

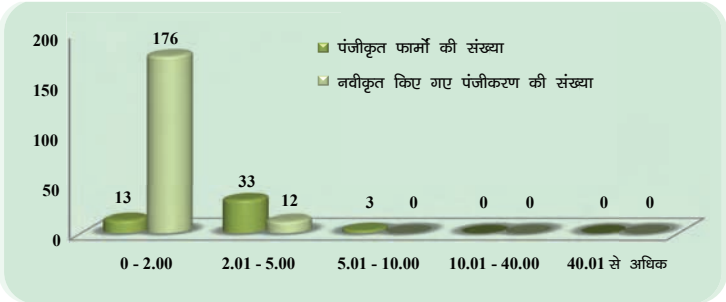

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीकृत किए गए पंजीकरण की संख्या
0 - 2.00	13	176
2.01 - 5.00	33	12
5.01 - 10.00	3	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

केरल

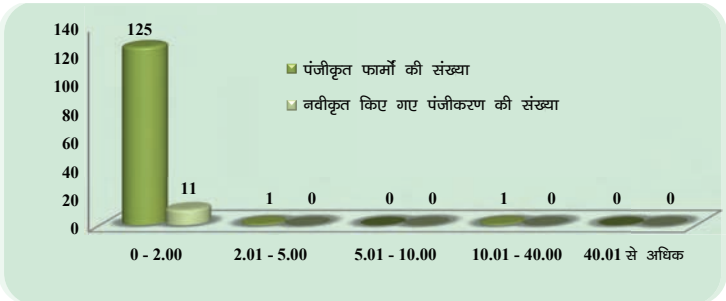

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीकृत किए गए पंजीकरण की संख्या
0 - 2.00	125	11
2.01 - 5.00	1	0
5.01 - 10.00	0	0
10.01- 40.00	1	0
40.01 से अधिक	0	0

कर्नाटक

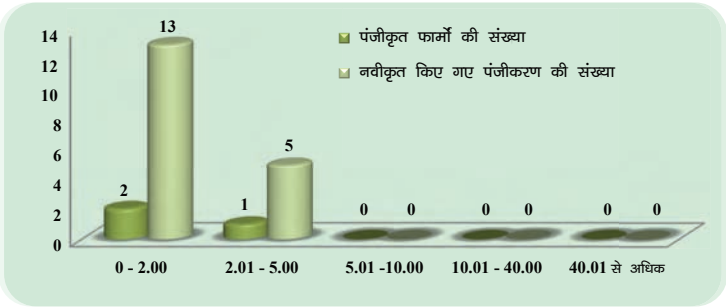

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीकृत किए गए पंजीकरण की संख्या
0 - 2.00	2	13
2.01 - 5.00	1	5
5.01 - 10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

महाराष्ट्र

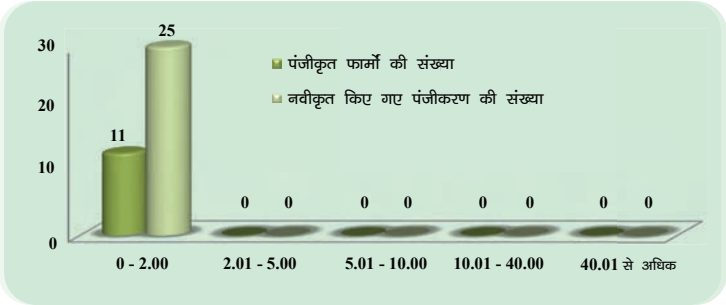

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीकृत किए गए पंजीकरण की संख्या
0 - 2.00	11	25
2.01 - 5.00	0	0
5.01 - 10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

गुजरात

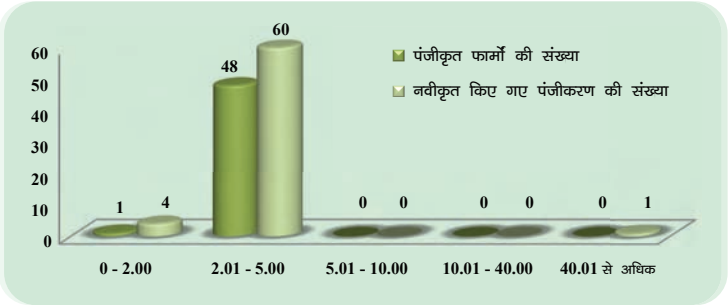

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीकृत किए गए पंजीकरण की संख्या
0 - 2.00	1	4
2.01 - 5.00	48	60
5.01 - 10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
40-00 से अधिक	0	1

पश्चिम बंगाल

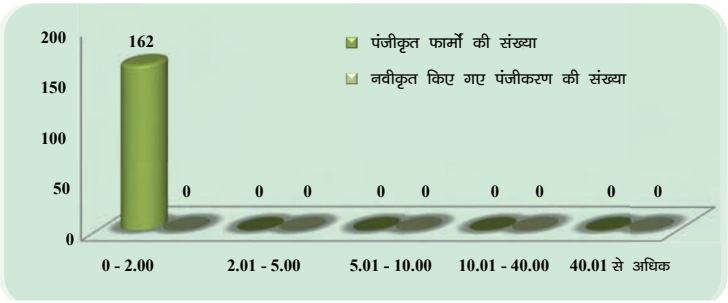

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीकृत किए गए पंजीकरण की संख्या
0 - 2.00	162	0
2.01 - 5.00	0	0
5.01 - 10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

दमन और दीव

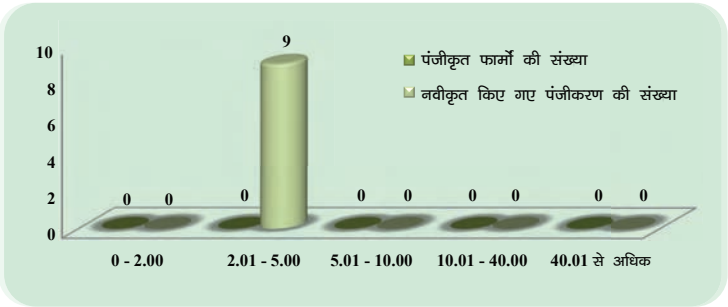

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीकृत किए गए पंजीकरण की संख्या
0 - 2.00	0	0
2.01 - 5.00	0	9
5.01 - 10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

4. सीएए द्वारा अक्वाफार्मों के पंजीकरण/नवीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास:

- पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न तटीय राज्यों के जिला कलेक्टरों, मत्स्यपालन सचिवों को पत्र भेजे गए थे।
- तटीय जलकृषि फार्मों को सीएए में पंजीकृत कराने की आवश्यकता के संबंध में समाचार–पत्रों में सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी।
- झींगाओं (पी. मोनोडान, एसपीएफ एल. वेन्नामई), पंख वाली मछलियों और केकड़ों का पालन करने के लिए अक्वाफार्मों के पंजीकरण/नवीकरण के संबंध में किसानों को जागरूक बनाने के लिए अधिकांश तटीय राज्यों में नियमित अंतराल पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

- कार्यशालाएं आयोजित करना और सीएए में तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण/नवीकरण के महत्व को बताने वाली तटीय जलकृषि से जुड़ी प्रदर्शनियों में भागीदारी करना।
- तटीय जलकृषि करने के लिए फार्मों के पंजीकरण की जरूरत पर जोर देते हुए जलकृषकों और संबद्ध पणधारकों को स्थानीय भाषाओं में तैयार किए गए ब्रोशर्स और हैंडआउट्स का वितरण। किसानों का ध्यान सीएए में फार्मों का पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में दंड/जुर्माने के प्रावधान की ओर भी आकर्षित किया जाता है।
- निरीक्षण दल द्वारा बगैर अनुमोदन वाले फार्मों से स्टॉक को नष्ट करना/निबटान करना।
- किसानों को अग्रणी समाचार-पत्रों में सार्वजनिक सूचना, सीएए की वेबसाइट और साथ ही एसएलसी/डीएलसी के जरिए फार्म के पंजीकरण/नवीकरण की आवश्यकता और पंजीकरण नहीं करवाए जाने की स्थिति में इसके परिणामों के बारे में सलाह दी गई है।
- फार्मों के पंजीकरण के संबंध में सीएए निगरानी दल द्वारा भी क्षेत्र के अपने दौरों के दौरान फार्मों के पंजीकरण के संबंध में जागरूकता लायी जाती है।
- किसानों/पणधारकों द्वारा सीएए की अधिसूचित संविधियों, नियमों, दिशानिर्देशों और विनियमनों का अनुपालन सुसाध्य बनाने के लिए वर्ष 2006 में सीएए द्वारा सीएए अधिनियम, नियम, दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं के द्विभाषी रूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित संग्रह को सुलभ संदर्भ के लिए मार्च, 2014 तक अद्यतन बनाया गया था और तब से नियमों और दिशा-निर्देशों में अनेक संशोधन किए गए हैं और साथ ही अनेक नई सूचनाएं जारी की गई थीं। संग्रह का अद्यतित संस्करण किसानों/पणधारकों द्वारा उपयोग के लिए सीएए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

III. ख. एसपीएफ लिटोपेनियस वेन्नामई पालन

(i) एसपीएस एल. वेन्नामई ब्रूड स्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का चयन

सीएए में सीआईबीए, एनएफडीबी और एमपीईडीए जैसे अन्य संबद्ध संगठनों के परामर्श से संभावित आपूर्तिकर्ताओं के साथ गहन विचार-विमर्श करके अनुवांशिक और रोग की स्थिति के आधार पर एसपीएस एल. वेन्नामई ब्रूड स्टॉक की आपूर्तिकर्ताओं की सूची बनाने और चयन का कार्य कर लिया है। एसपीएस एल. वेन्नामई के ब्रूड स्टॉक की आपूर्ति हेतु वर्ष 2013-14 के लिए निम्नलिखित नौ आपूर्तिकर्ताओं जिन्हें वर्ष 2011-12 के लिए सूचीबद्ध किया गया था, को चयन-सूची में रखा गया है

1. मै. औसैनिक इंस्टीट्यूट, हवाई
2. मै. कोना बे मेरिन रिसोर्सेज, हवाई
3. मै. श्रिम्प इंप्रूवमेंट सिस्टम, फ्लोरिडा
4. मै. साइक्वा, थाईलैंड
5. मै. वेन्नामई 101 कं.लि. (के साथ संयुक्त उद्यम) थाईलैंड
6. मै. चेरियन पोकफंड फ्रूड्स पबलिक कं. लि., थाईलैंड
7. मै. श्रिम्प इंप्रवमेंट सिस्टम प्रा. लि., सिंगापुर
8. मै. श्रिम्प इंप्रूवमेंट सिस्टम प्रा. लि., हवाई
9. मै. हाई हैल्थ अक्वाकल्चर इंक, हवाई

वर्ष 2012-13 के दौरान अर्ली मोर्टलिटी सिंड्रोम (ईएमएस)/ एक्यूट हेपाटोपैंक्रिएटिक नेक्रोसिस सिंड्रोम (एएचपीएनएस) फैलने के कारण दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से ब्रूडस्टॉक का आयात परमिट जारी नहीं किए गए थे और दिनांक 29.01.2013 की सार्वजनिक सूचना के आधार पर एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरी प्रचालकों को तदनुसार सलाह दी गई थी।

(ii) एआईएसएचए के अधिकारियों के साथ झींगा हैचरियों के संबंध में बैठक

आल इंडिया श्रिम्प हैचरीज एसोएिसशन (एआईएसएचए) के पदाधिकारियों के साथ श्री जस्टिस के. रविराजा पांडियन, अध्यक्ष, सीएए की अध्यक्षता में दिनांक 20 अगस्त, 2013 को चेन्नै में सीएए द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें परिसंघ और हैचरियों के प्रचालन, कतिपय स्थलों पर स्थित एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों में प्रजनन संबंधी समस्याओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। हैचरियों को किसानों द्वारा अपने फार्मों का सीएए में पंजीकरण करवाने के लिए प्रेरित करने और सीएए में पंजीकरण नहीं करवाने वाले फार्मों को बीजों की आपूर्ति नहीं करने हेतु स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाने को कहा गया था।

(iii) ब्रूड स्टॉक के आयात पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठकें

तकनीकी मूल्यांकन समिति ने दिनांक 21 मार्च, 2014 को हैचरी प्रचालकों के साथ बैठक की थी और ब्रूड स्टॉक के आयात विशेष तौर पर वार्षिक आवश्यकता, ब्रूड स्टॉक की गुणवत्ता, अवशेष दरों आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। एक से अधिक फसलों और शुद्ध जल/जमीनी फार्मों में एसपीएफ एल. वेन्नामई बीजों की संभावित मांग के कारण जैसा हैचरी प्रचालकों द्वारा अनुरोध किया गया है वर्ष 2014-15 के लिए ब्रूड स्टॉक की सीमा में 50% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था। रुचि की अभिव्यक्ति मांगकर एसपीएफ ब्रूड स्टॉक के आयात का नया स्रोत तलाश करने की संभावनाएं खोजने पर भी सहमति हुई थी। हैचरियों को तटीय जलकृषि फार्मों खासतौर से एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने को कहा गया था और गैर अनुमोदन वाले फार्मों को बीजों की बिक्री नहीं करने को कहा गया था।

(iv) वर्ष 2013-14 में एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूड स्टॉक का आयात और बीज उत्पादन

- कृषि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण को एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रडस्टॉक का आयात करने और बिक्री के लिए पोस्ट लार्वा (पीएल) का उत्पादन करने के लिए हैचरियों को अनुमति प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था तटीय जलकृषि प्राधिकरण सीएए द्वारा अनुमोदित फार्मों को बिक्री के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूड स्टॉक का आयात करने और पोस्ट लार्वा (पीएल) का उत्पादन करने के लिए हैचरियों को निरंतर अनुमति प्रदान कर रहा है।

हैचरियों का निरीक्षण

- वर्ष 2013-14 के दौरान नए पंजीकरण जारी करने के लिए हैचरी प्रचालकों से 66 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की समीक्षा करने के बाद सीएए द्वारा गठित निरीक्षण दल ने उनकी सुविधाओं का मूल्यांकन करने और उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए हैचरियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा (45वीं बैठक में) वर्ष 2014-15 के लिए 44 नई हैचरियों (36 आंध्रप्रदेश में और 8 तमिलनाडु में) ब्रूड स्टॉक के आयात और एसपीएफ एल. वेन्नामई के बीज उत्पादन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था और एलओपीज जारी किए गए थे।
- चालू वर्ष के दौरान प्राधिकरण की 19.03.2013 को हुई 40वीं बैठक में अनुमोदित 13 हैचरियों के लिए एलओपीज जारी किए गए थे।
- हैचरियों को अनुमति प्रदान करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार 2012-13 के दौरान अनुमोदित 105 हैचरियों में 104 हैचरियों के लिए अनुमति-पत्रों का नवीकरण किया गया था।
- एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूड स्टॉक की अनुमति मात्रा का आयात करने और एसपीएफ एल. वेन्नामई के बीजों का उत्पादन करने के लिए वर्ष 2013-14 में 8,776 मिलियन पीएल/वार्षिक की उत्पादन क्षमता वाली 117 हैचरियों (85 आंध्र प्रदेश में, 27 तमिलनाडु में, 3 गुजरात में 1, उड़ीसा में और 1 कर्नाटक में) को अनुमति-पत्र का नवीकरण जारी किया गया था। नवीकृत अनुमति की वैधता 31.03.2014 तक है। अनुमोदित हैचरियों और उनकी उत्पादन क्षमता के राज्यवार ब्यौरे तालिका-6 में दिए गए हैं, प्रतिशत वितरण चित्र 18 में और जिलावार वितरण चित्र 19 में दर्शाया गया है।

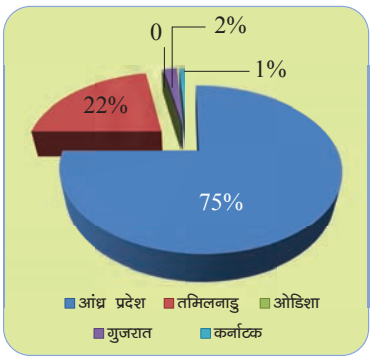

चित्र-18 : 2013-14 के दौरान
एल. वेन्नामई हैचरियों का राज्यवार वितरण

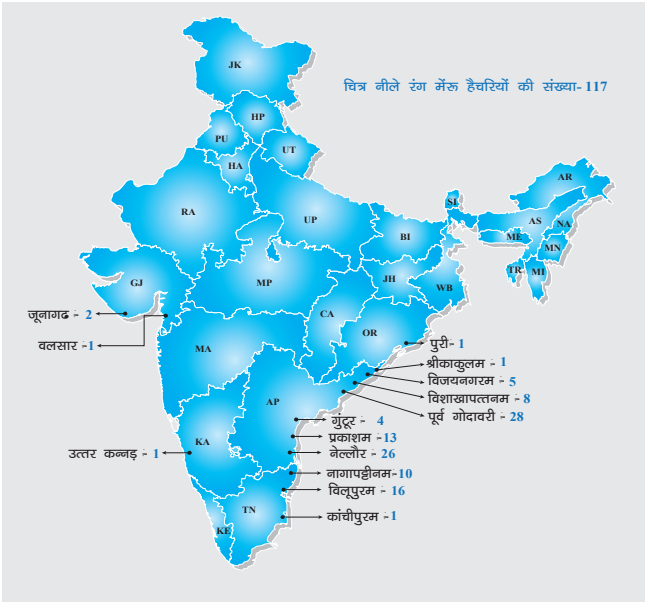

चित्र-19 : अनुमति प्राप्त एल. वेन्नामई हैचरियों का जिलावार
वितरण चित्र नीले रंग में: हैचरियों की संख्या

तालिका 6 सीएए द्वारा अनुमोदित एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों का राज्य–वार वितरण

क्र.सं.	राज्य / जिले का नाम	मौजूदा हैचरियों की संख्या (नवीकृत)	उत्पादन क्षमता (मिलियन/ वार्षिक)	45वीं बैठक में अनुमोदित हैचरियों की संख्या	उत्पादन क्षमता (मिलियन/ वार्षिक)	हैचरियों की कुल संख्या	कुल उत्पादन क्षमता (मिलियन/ वार्षिक)
1	आंध्र प्रदेश						
	क) विजियनगरम	05	470	02	250	07	720
	ख) नेल्लौर	26	2,053	07	570	33	2,623
	ग) विशाखापत्तनम	08	548	07	440	15	988
	घ) पूर्व गोदावरी	28	1,797	19	1,312	47	3,109
	ड़.) गुंटूर	04	283	01	30	05	313
	च) प्रकाशम	13	1,000	-	-	13	1,000
	छ) श्रीकाकुलम	01	140	-	-	01	140
	उप योग	**85**	**6,291**	**36**	**2,602**	**121**	**8,893**
2	तमिलनाडु						
	क) विल्लूपुरम	16	1,440	03	130	19	1,570
	ख) कांचीपुरम	10	710	04	165	14	875
	ग) नागापट्टीनम	01	50	01	50	02	100
	उप योग	**27**	**2,200**	**08**	**345**	**35**	**2,545**
3	उड़ीसा – पुरी	01	90	-	-	01	90
4	गुजरात						
	क) जूनागढ़	02	95	-	-	02	95
	ख) वलसार	01	40	-	-	01	40
	उप योग	**03**	**135**	**-**	**-**	**03**	**135**
5	कर्नाटक उत्तर कन्नड़	**01**	**60**	**-**	**-**	**01**	60
	योग	**117**	**8,776**	**44**	**2,947**	**161**	**11,723**

- अवधि के दौरान 8,776 मिलियन एसपीएफ बीजों की न्यूनतम उत्पादन क्षमता सहित 70,208 जोड़ों के ब्रूड स्टॉक की अनुमति दी गई थी किन्तु हैचरियों ने ब्रूड स्टॉक के केवल 52,818 जोड़ों का ही आयात किया है और 5,044.748 मिलियन बीज (पोस्ट लार्वा) का उत्पादन किया है। पांच वर्ष की अवधि के भीतर (जुलाई, 2009 से मार्च, 2014) इस कार्यक्रम के शुरू होने के समय से एल. वेन्नामई हैचरियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। सीएए ने 161 हैचरियों को अनुमोदित किया है।
- जलीय संगरोध में अपर्याप्त स्थान को ध्यान में रखते हुए दिनांक 23 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.280(ई) के अनुसार सीएए द्वारा अनुमोदित हैचरियों को नौपली की बिक्री करने की अनुमति दी गई थी जिससे पीएल उत्पादन के लिए आयातित ब्रूड स्टॉक का बेहतर उपयोग किया जा सका जैसा पिछले वर्ष में किया गया था।

(v) वर्ष 2013-14 के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों का राज्यवार निष्पादन

अनाधिकृत एल. वेन्नामई बीज उत्पादन और की गई कार्रवाई के ब्यौरे हेचरी मालिकों द्वारा अपनी तिमाही रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों का निष्पादन तालिका 7 में दिया गया है।

तालिका 7 सीएए द्वारा अनुमोदित एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों का निष्पादन

क्र.सं.	निष्पादन संकेत	आंध्र प्रदेश	तमिलनाडु	गुजरात	उड़ीसा	कर्नाटक
1	अनुमति प्राप्त हैचरियों की संख्या	85	27	3	1	1
2	उत्पादन क्षमता (मिलियन/वार्षिक)	6,291	2,220	135	90	60
3	आबंटित ब्रूड स्टाक की संख्या (जोड़े)	50,328	17,600	1,080	720	480
4	स्पानिंग की कुल संख्या	1,14,426	99,347	1,400	0	कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
5	उत्पादित नौपली की कुल संख्या (मिलियन)	11,899	8,006	460	40	
6	कुल उत्पादित पीएल (मिलियन)	3,669	1,157	105	7	
7	कुल बिक्री किया गया पीएल (मिलियन)	3,128	945	93.7	6	
8	कुल नौपली से उत्पादित कुल पीएल की औसत उत्तरजीविता दर (%)	30.83	14.45	23	17.22	

आंध्र प्रदेश

एसपीएफ एल. वेन्नामई के पंजीकरण के लिहाज से आंध्र प्रदेश राज्य का पहला स्थान है और इसमें 85 एसपीएफ एल. वेन्नामई पंजीकृत हैं जो पूर्व गोदावरी (28), नेल्लौर (26), प्रकाशम (13), विशाखापत्तनम (8), विजयनगरम (5), गुंटूर (4) और श्रीकाकुलम (1) जिलों में वितरित हैं। तथापि, प्रति हेचरी औसत उत्पादन क्षमता में राज्य का दूसरा स्थान है। राज्य की हैचरियों ने 38,218 ब्रूड स्टॉक जोड़ों का आयात किया और 1,14,426 अंडों से 11,899 मिलियन नोपली का उत्पादन किया। राज्य ने कुल उत्पादित नोपली से 30.83% की उत्तरजीविता दर सहित 3,669 मिलियन पीएल का उत्पादन किया है।

तमिलनाडु

एसपीएफ एल. वेन्नामई के पंजीकरण के लिहाज से तमिलनाडु राज्य का दूसरा स्थान है और इसमें 27 एसपीएफ एल. वेन्नामई पंजीकृत हैं जो नागापट्टीनम (1), कांचीपुरम (10) और विल्लूपुरम (16) जिलों में वितरित हैं। प्रति हेचरी औसत उत्पादन क्षमता में राज्य का पहला स्थान है। इन हैचरियों ने आयातित 13,470 ब्रूड स्टॉक जोड़ों से 8,006 मिलियन नोपली से 1,157 एसपीएफ एल. वेन्नामई पोस्ट लार्वा का उत्पादन किया है। सीएए को प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टों में उत्पादित पीएल से नोपली की औसत उत्तरजीविता दर 14.45% बताई गई थी।

गुजरात

गुजरात में पंजीकृत 3 हैचरियों (जूनागढ़ में 2, वलसाड़ में 1) ने 590 ब्रूड स्टॉक जोड़ों का आयात किया है और 1,400 अंडों से प्राप्त 460 मिलियन नोपली से 105 मिलियन एसपीएफ एल. वेन्नामई बीजों का उत्पादन किया है।

उड़ीसा

उड़ीसा राज्य में केवल एक पंजीकृत हेचरी है जो पुरी जिले में है। हैचरी ने 17.22% उत्तरजीविता सहित 40 मिलियन नोपली से 7.0 मिलियन एसपीएफ एल. वेन्नामई पोस्ट लार्वा का उत्पादन किया है। हैचरी ने ब्रूड स्टॉक का कोई आयात नहीं किया है अत: इसका उत्पादन पड़ोसी हैचरियों से लाई गई नोपली पर आधारित था।

कर्नाटक

कर्नाटक में केवल एक एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरी पंजीकृत है जो उत्तर कन्नड़ जिले में है। हैचरी ने अभी तक कोई उत्पादन ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए इसके निष्पादन का आंकलन नहीं किया जा सका।

हैचरियों में जैव सुरक्षा–फैसिंग

हैचरी में जैव सुरक्षा - कम्पाउंड वाल तथा टायर वाश

जैव सुरक्षित हैचरी में पृथक रूप से रखे गए औजार

जैव सुरक्षित हैचरी का अंदर का दृश्य

जैव सुरक्षित हैचरी में जल उपचार और फिल्टरेशन सिस्टम

जैव सुरक्षा - सैंड फिल्टर

जैव सुरक्षा - शावर रूम

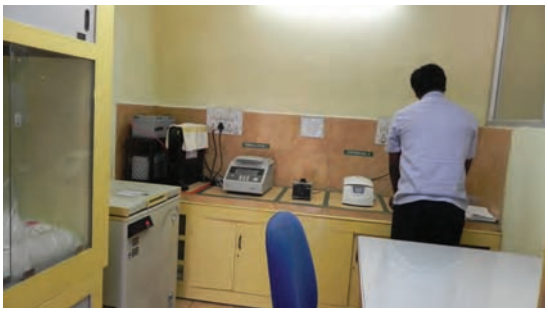

हैचरियों में प्रयोगशाला

इंडोर और आउटडोर टैंकों में नए प्रकार का वातन

जैव सुरक्षा - हैचरियों में ईटीएस

हैचरी में इंडोर और आउटडोर एल्गल कल्चर

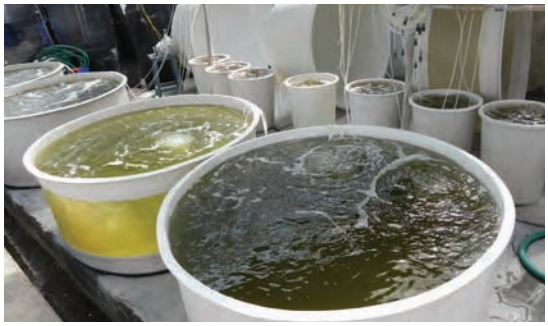

हैचरी में आउटडोर एल्गल कल्चर

आर्टेमिया खंड

अर्ली पोस्टो लार्वा

पोस्टै लार्वा

(vi) सीएए अध्यक्ष का हैचरी का दौरा

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस के. रविराजा पांडियन ने एल. वेन्नामई हैचरियों के लिए लागू विनियामक उपायों के परिवेक्षण के लिए और बीज उत्पा्दन में शामिल हैचरी प्रचालन तकनीकों से परिचित होने की कवायद के एक भाग के रूप में 4.09.2013 को तमिलनाडु के पूर्वी तट में एक पंजीकृत हैचरी का दौरा किया। जैव सुरक्षा उपायों जैसे प्रवेश द्वार पर वाहनों को संक्रमणमक्त करना, विभिन्नक उत्पादन सुविधाओं को भौतिक रूप से प्रृथक/अलग-थलग करना, प्रत्येक कार्यात्मक इकाई में स्वतंत्र जल शोधन सुविधा विनिर्दिष्ट जूतों, वातन प्रणाली, ईटीएस सहित सावर/ड्रेसिंग रूम के जरिए संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों का ही प्रवेश आदि की जांच की गई थी और ब्रूडस्टॉक, स्पांनिंग, लार्वल

रेयरिंग, लाइव फील्डं कल्चर (इंडोर तथा आउटडोर अल्गल कल्चर, आर्टेमिया उत्पादन), उत्पादन इकाइयों और साथ ही प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण और बीजों की गिनती, पैकिंग और अग्रेषण प्रक्रियाओं और अभिलेखों के अनुरक्षण आदि के संबंध में विभिन्न उत्पादन सुविधाओं में जैव सुरक्षा नयाचार का पालन किया जा रहा है या नहीं इसका पता लगाया गया। उन्होंने उत्पादन और गुणवत्ता वाले बीजों की पंजीकृत झींगा किसानों को आपूर्ति करने में सीएए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का सुझाव भी दिया ताकि इस क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए एसपीएफ के दर्जे को बनाए रखा जा सके।

सीएए के अध्यक्ष हैचरियों की तकनीकों से अवगत होते हुए

सीएए के अध्यक्ष हैचरियों की तकनीकों से अवगत होते हुए

(vii) अनाधिकृत एल. वेन्नानमई बीज उत्पादन के विरूद्ध की गई कार्रवाई

झींगा हैचरियों की नियमित निगरानी करने के लिए और साथ ही एल. वेन्नामई के गैर–कानूनी बीज उत्पादन का पता लगाने की विशेष शिकायतों के संबंध में हैचरियों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण दल ने आंध्रप्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में 15 झींगा हैचरियों और तमिलनाडु के नागापट्टीनम जिले में 2 झींगा हैचरियों और उड़ीसा में एक हैचरी का निरीक्षण किया।

इन दौरों के दौरान दल ने कोनापपेटा ग्राम, यूकोथापल्लीऔ मंडल पूर्व गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में एक हैचरी तथा थोडूवई, थिरूमल्लयई वसल ग्राम, सरकाली ताल्लुक, जिला–नागापट्टीनम, तमिलनाडु में एक अन्यत हैचरी में एल. वेन्नामई का ब्रूड स्टॉक और पोंड रियर्ड ब्रूड स्टॉक से उत्पाादित लार्वा देखा। कृषि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए दिशा–निर्देश 23 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.280(ई) के अनुसार दल द्वारा अनाधिकृत स्टाक को नष्ट कर दिया गया था।

अनाधिकृत हैचरियों का निरीक्षण

(viii) एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए झींगा फार्मों की अनुमति

सीएए ने मार्च, 2014 तक एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए 802 फार्मों के निरीक्षण के लिए एक निरीक्षण दल गठित किया। निरीक्षण के दौरान नीचे बताए गए पहलुओं के संबंध में एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए जैव सुरक्षा अपेक्षाओं की दल द्वारा जांच की गई थी:

i. फार्मों की घेरावबंदी;
ii. क्रेब फेंसिंग;
iii. जलाशयों के माध्यम से जल उपभोग;
vi. पक्षी डरावा/पक्षी सुरक्षा जाल लगाना;
v. सक्षम उपचार तंत्र (ईटीएस).

एल. वेन्नामई फार्मों का निरीक्षण

जैव सुरक्षित एल. वेन्नामई फार्म का - दृश्य

फार्म में वाचमैन शेड और टायरवाश

जैव सुरक्षा - फार्म और क्रैब फैंसिंग

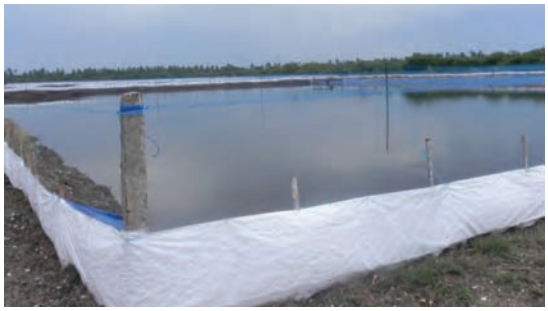

जैव सुरक्षित फार्म में क्रैब फैशिंग

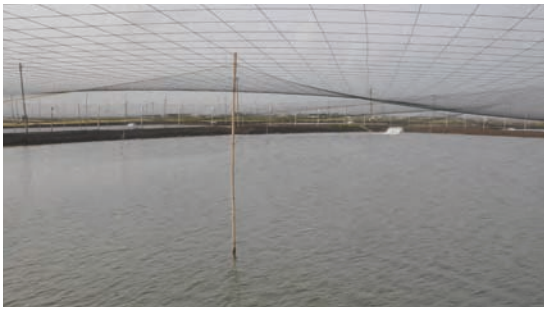

जैव सुरक्षा - फार्म में बर्ड नैटिंग

जैव सुरक्षा - बर्ड स्कैयर

जल उपचार के लिए रिजर्वायर

अपशिष्टफ जल उपचार के लिए ईटीएस

जीएक्यूपी - पैडल व्हील्स/टर्बो द्वारा वातन

जीएक्यूशपी - फार्म में फैशिंग और निगरानी टावर

निरीक्षण दल की सिफारिशों के आधार पर, आगे की संवीक्षा सदस्य सचिव, सीएए के स्तर पर की जाती है, जिसके पश्चात प्रस्ताव को विचार के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जाता है। सीएए द्वारा अनुमोदन के पश्चात् किसानों को एलओईएस जारी किए जाते हैं।

रिपोर्ट के अधीन वर्ष (2013-14) के दौरान, प्राधिकरण ने 457.04 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र सहित 105 फार्मों को अनुमोदन प्रदान किया जिनमें से 442.74 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र सहित 101 फार्मों को एसपीएस एल. वेन्नामई पालन के लिए अनुमति पत्र जारी किए गए थे। शेष 4 फार्मों को पंजीकरण का नवीकरण न होने के कारण लम्बित रखा गया। उन फार्मों के राज्य-वार ब्यौरे तालिका 8 में दिए गए हैं जिन्हे अनुमति पत्र जारी किए गए थे और उनका प्रतिशत वितरण चित्र 20 में दिया गया है। विभिन्न राज्यों में फार्मों का क्षेत्रवार वितरण चित्र 21 में दिया गया है।

तालिका 8 : अप्रैल 2013 से मार्च, 2014 तक एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों की अनुमति के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	फार्मों का नाम	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
1	आंध्र प्रदेश	05	129.89	73.83
2	तमिलनाडु	10	58.28	43.12
3	गुजरात	12	104.00	75.21
4	महाराष्ट्र	07	135.13	84.41
5	कर्नाटक	01	8.40	4.93
6	ओडिशा	63	270.12	153.86
7	गोवा	2	7.20	5.38
8	पुदुच्चेरी	0	0	0
9	दमन और दीव	0	0	0
10	पश्चिम बंगाल	01	3.00	2.00
	योग	**101**	**716.02**	**442.74**

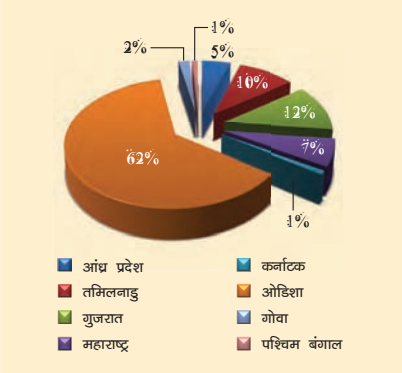

चित्र 20: वर्ष 2013-14 के लिए सीएए अनुमोदित एल. वेन्नामई का प्रतिशत वितरण

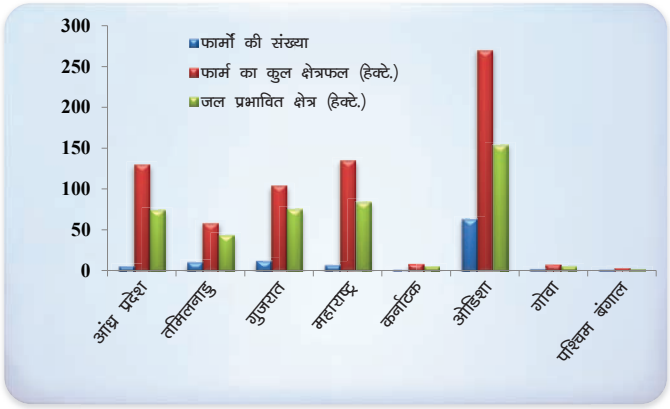

चित्र 21: चालू वर्ष में अनुमति दिए गए एल. वेन्नामई फार्मों के ब्यौरे

सीएए ने मार्च, 2014 तक 903 एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों को अनुमोदित किया है और एलओपीएस जारी किया है, जिसके तहत कुल 9,152.06 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए 6,160.40 हेक्टेयर) क्षेत्र शामिल है, फार्मों के राज्य-वार ब्यौरे तालिका 9 में दिए गए हैं, उनका प्रतिशत वितरण चित्र 22 में दिया गया है और विभिन्न राज्यों में क्षेत्रवार वितरण चित्र 23 में दिया गया है।

तालिका 9 दिसंबर, 2009 से मार्च, 2014 तक एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों की अनुमति के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	फार्मों का नाम	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
1	आंध्र प्रदेश	585	5,666.50	3,900.71
2	तमिलनाडु	123	1,044.82	718.17
3	गुजरात	51	651.87	453.17
4	महाराष्ट्र	36	1,133.03	684.38
5	कर्नाटक	18	56.30	43.13
6	ओडिशा	79	488.36	286.50
7	गोवा	6	31.11	22.09
8	पुदुच्चेरी	1	17.07	11.85
9	दमन और दीव	3	60.00	38.40
10	पश्चिम बंगाल	1	3.00	2.00
	योग	**903**	**9,152.06**	**6,160.40**

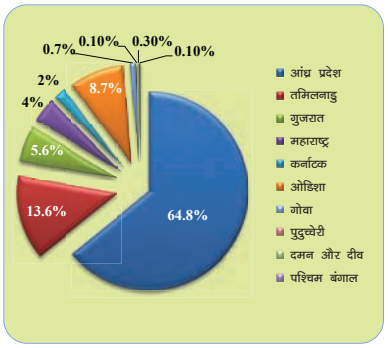

चित्र 22: दिसंबर, 2005 से मार्च, 2014 तक अनुमोदित एल. वेन्नामई फार्मों का प्रतिशत वितरण

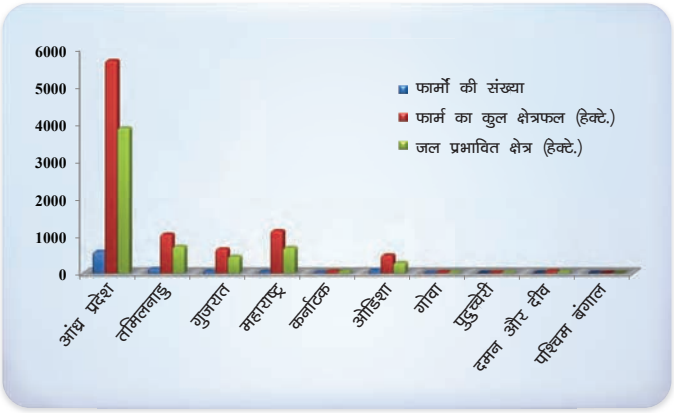

चित्र 23: दिसंबर, 2005 से मार्च, 2014 तक अनुमति प्रदान किए गए एल. वेन्नामई फार्मों के ब्यौरे

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान सभी तटीय राज्यों में जारी किए गए एलओपीज की संख्या के लिहाज से एल. वेन्नामई फार्मों की वृद्धि तालिका 10 में दी गई है; पालन के तहत वाले क्षेत्र के लिहाज से वृद्धि चित्र 24 में दी गई है और इस अवधि के दौरान राज्यवार वृद्धि चित्र 25 में दी गई है। मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार एल. वेन्नामई फार्मों का जिला–वार वितरण चित्र 26 में दिया गया है।

तालिका 10 : वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान सभी तटीय राज्यों में एसपीएफ एल. वेन्नामई उत्पादन के लिए जारी किए गए एलओपीएस की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009 - 10			2010 - 11			2011 - 12		
		फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टे)	डब्ल्यूएसए (हेक्टे)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टे)	डब्ल्यूएसए (हेक्टे)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टे)	डब्ल्यूएसए (हेक्टे)
1	आंध्र प्रदेश	87	1,236.3	815.4	105	1,205.9	833.2	129	1,619.8	1,118.9
2	तमिलनाडु	6	90.1	55.4	32	324.2	203.4	41	276.9	213.8
3	गुजरात	4	146.0	78.0	6	125.0	97.0	18	172.5	128.6
4	महाराष्ट्र	10	272.5	168.6	3	152.0	91.5	3	89.6	31.0
5	कर्नाटक	0	0	0	16	47.0	37.4	1	0.9	0.8
6	ओडिशा	0	0	0	5	140.1	83.8	0	0	0
7	गोवा	0	0	0	1	5.6	2.8	0	0	0
8	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	0	1	17.1	11.9
9	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	**107**	**1,744.9**	**1,117.4**	**168**	**1,999.8**	**1,349.1**	**193**	**2,176.8**	**1,505.0**

तालिका 10 **cont...**

क्र.सं.	राज्या का नाम	2012 - 13			2013 - 14			कुल		
		फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टे)	डब्ल्यूएसए (हेक्टे)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टे)	डब्ल्यूएसए (हेक्टे)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टे)	डब्ल्यूएसए (हेक्टे)
1	आंध्र प्रदेश	259	1,463.5	1,059.3	05	129.89	73.83	585	5,666.50	3,900.71
2	तमिलनाडु	34	294.5	202.5	10	58.28	43.12	123	1,044.82	718.17
3	गुजरात	11	104.4	74.4	12	104.0	75.21	51	651.87	453.17
4	महाराष्ट्र	13	488.8	308.9	07	135.13	84.41	36	1,133.03	684.38
5	कर्नाटक	0	0	0	1	8.4	4.93	18	56.30	43.13
6	ओडिशा	11	78.2	48.9	63	270.12	153.86	79	488.36	286.50
7	गोवा	3	18.3	13.9	2	7.2	5.38	6	31.11	22.09
8	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	0	1	17.07	11.85
9	दमन और दीव	3	60.0	38.4	0	0	0	3	60.00	38.40
10	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	3.0	2.00	1	3.00	2.00
	योग	**334**	**2,507.7**	**1,746.3**	**101**	**716.02**	**442.74**	**903**	**9,152.06**	**6,160.40**

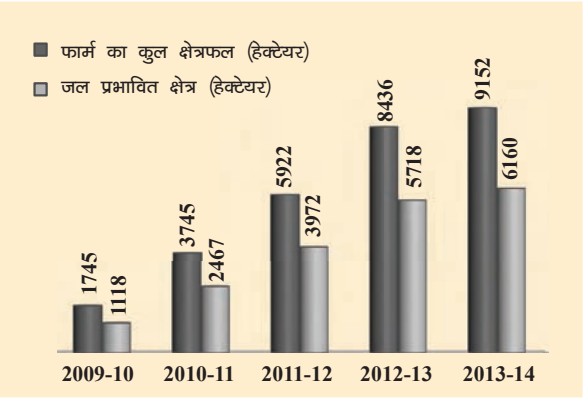

चित्र 24: वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान क्षेत्रफल के लिहाज से एल. वेन्नामई फार्मों की वृद्धि

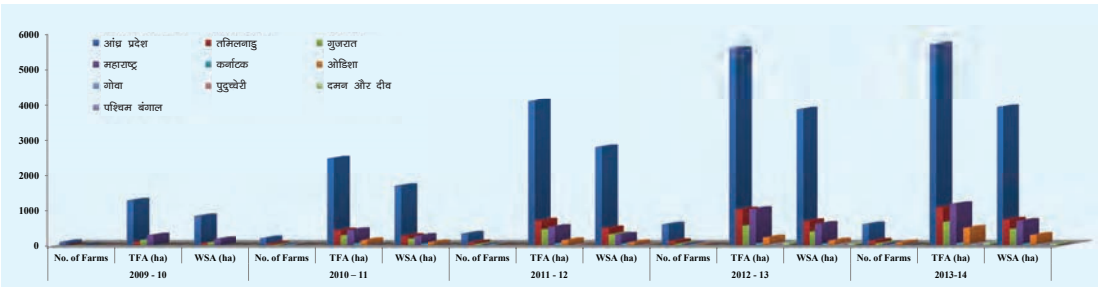

चित्र 25: दिसंबर, 2009 से मार्च 2014 के दौरान एल. वेन्नामई फार्मों की राज्यवार वृद्धि

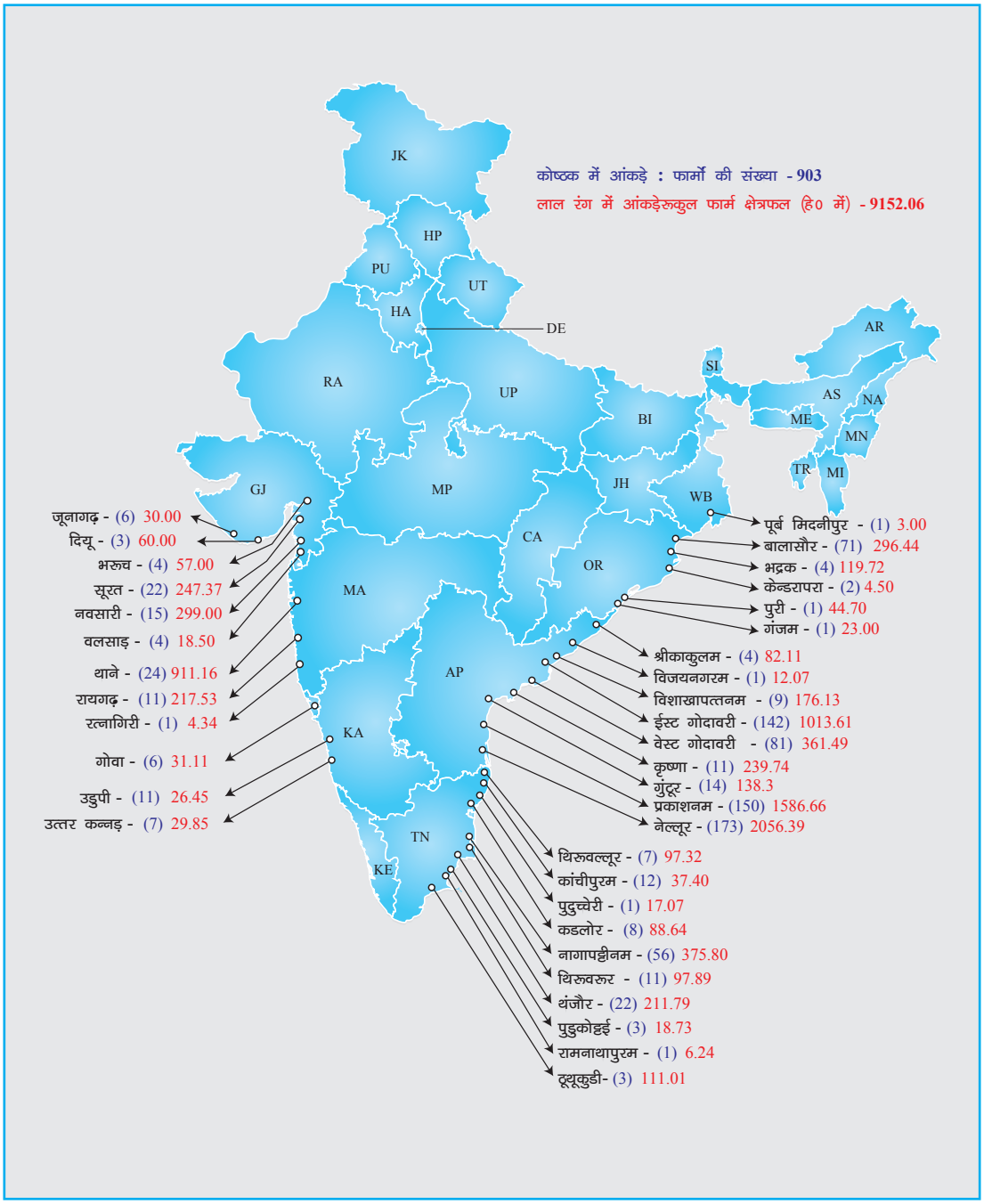

चित्र 26: मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार एल. वेन्नामई फार्मों का जिलावार वितरण

(ix) एल. वेन्नामई पालन का राज्य वार निष्पादन

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 5,666.50 हेक्टेयर पालन क्षेत्रफल (डब्ल्यूएसए 3,900.71 हेक्टेयर) सहित एल. वेन्नामई फार्मों का सर्वाधिक संख्या में (585) रिकार्ड पंजीकरण हुआ। इस राज्य में फार्म नेल्लौ.र, पूर्व गोदावरी, प्रकाशम, पश्चिम गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम जिलों में स्थित हैं। हालांकि पंजीकृत फार्मों की संख्या के लिहाज से राज्य, का पहला स्थान है फिर भी प्रति फार्म विकसित क्षेत्र के लिहाज से इसका तीसरा स्थान है (औसत 9.7 हेक्टेयर)। किसानों द्वारा अपनी तिमाही रिपोर्टों के जरिए प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर विश्लेषित एल. वेन्नामई पालन का निष्पापदन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निष्पादन संकेत	रेंज	औसत
1	स्टाक घनत्व (मिलियन/हेक्टेकयर)	0.11 - 0.47	0.30
2	पालन के दिन (डीओसी)	85.00 - 165.00	125.00
3	उत्तरजीविता की दर (%)	80.00 - 98.00	88.00
4	औसत शरीर का वजन (ग्राम)	20.00 - 35.00	29.00
5	उत्पादन (एमटी/हे0)	10.00 - 17.50	12.25
6	एफसीआर	1.30 - 1.80	1.50

तमिलनाडु

तमिलनाडु में सीएए में पंजीकृत 123 फार्मों में एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन किया जाता है जिनका कुल फार्म क्षेत्रफल 1,044.82 हे0 और डब्ल्यूएसए 718.17 हे0 है। मुख्यत: पुदुकोट्टई, थांजावुर, थिरूवरूर, नागापट्टीनम, कुड्डालोर, थिरूवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में स्थित एल. वेन्नामई फार्मों के पंजीकरण में इस राज्य का तीसरा स्थान है। तथापि, प्रति फार्म विकसित क्षेत्र के लिहाज से इसका चौथा स्थान है (औसत 8.5 हे0)। किसानों द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही रिपोर्टों के अनुसार राज्या में एल. वेन्नामई पालन का निष्पादन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निष्पादन संकेत	रेंज	औसत
1	स्टाक घनत्व (मिलियन/हेक्टेकयर)	0.19 - 0.69	0.44
2	पालन के दिन (डीओसी)	90.00 - 130.00	110.00
3	उत्तरजीविता की दर (%)	80.00 - 97.00	88.30
4	औसत शरीर का वजन (ग्राम)	20.00 - 32.00	25.23
5	उत्पादन (एमटी/हे0)	6.42 - 15.00	10.82
6	एफसीआर	1.20 - 1.70	1.48

गुजरात

गुजरात में पंजीकृत एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों की संख्या 51 है जिनका कुल फार्म क्षेत्रफल 651.87 हेक्टेयर है और डब्ल्यूएसए 453.17 हे0 है। हालांकि, अनुमोदित फार्मों की संख्या के लिहाज से राज्य का चौथा स्थान है, फिर भी प्रति फार्म विकसित क्षेत्र के लिहाज से इसका दूसरा स्थान है (औसत 12.9 हे0)। गुजरात में एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्म मुख्यत: वलसाड़, नवसारी, सूरत और भरूच जिलों में स्थित हैं। किसानों द्वारा प्रस्तुगत की गई तिमाही रिपोर्टों के अनुसार राज्य में एल. वेन्नामई पालन का निष्पादन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निष्पादन संकेत	रेंज	औसत
1	स्टाक घनत्व (मिलियन/हेक्टेकयर)	0.43 - 0.53	0.40
2	पालन के दिन (डीओसी)	85.00 - 175.00	130.00
3	उत्तरजीविता की दर (%)	75.00 - 98.00	88.00
4	औसत शरीर का वजन (ग्राम)	19.00 - 32.00	27.00
5	उत्पादन (एमटी/हे0)	9.33 - 17.00	11.36
6	एफसीआर	1.10 - 1.50	1.30

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में पंजीकृत एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों की संख्या 36 है जिनका कुल फार्म क्षेत्रफल 1,133.03 हेक्टेयर है और डब्ल्यूएसए 684.38 हे0 है। हालांकि, पंजीकृत फार्मों की संख्या के लिहाज से राज्य का दूसरा स्थान है, फिर भी प्रति फार्म विकसित क्षेत्र के लिहाज से इसका पहला स्थान है (औसत 31.6 हे0)। महाराष्ट्र में एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्म मुख्यत: थाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में स्थित हैं। किसानों द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही रिपोर्टों के अनुसार राज्य में एल. वेन्नामई पालन का निष्पादन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निष्पादन संकेत	रेंज	औसत
1	स्टाक घनत्व (मिलियन/हेक्टेकयर)	0.43 - 0.53	0.40
2	पालन के दिन (डीओसी)	85.00 - 175.00	130.00
3	उत्तरजीविता की दर (%)	75.00 - 98.00	88.00
4	औसत शरीर का वजन (ग्राम)	19.00 - 32.00	27.00
5	उत्पादन (एमटी/हे0)	9.33 - 17.00	11.36
6	एफसीआर	1.10 - 1.60	1.40

कर्नाटक

कर्नाटक में पंजीकृत एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों की संख्या 18 है जिनका कुल फार्म क्षेत्रफल 56.30 हेक्टेयर है और डब्ल्यूएसए 43.13 हे0 है। फार्मों के पंजीकरण के लिहाज से राज्य का छठा स्थान है और फार्म उडुपी और उत्तर कन्नड़ जिलों में स्थित हैं। किसानों द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही रिपोर्टों के अनुसार राज्य में एल. वेन्नामई पालन का निष्पादन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निष्पादन संकेत	रेंज	औसत
1	स्टाक घनत्व (मिलियन/हेक्टेकयर)	0.13 - 0.27	0.21
2	पालन के दिन (डीओसी)	90.00 - 137.00	117.00
3	उत्तरजीविता की दर (%)	80.00 - 98.40	93.00
4	औसत शरीर का वजन (ग्राम)	19.00 - 35.00	27.30
5	उत्पादन (एमटी/हे0)	7.40 - 16.50	10.50
6	एफसीआर	1.30 - 1.50	1.40

ओडीशा

ओडीशा में पंजीकृत एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों की संख्या 79 है जिनका कुल फार्म क्षेत्रफल 488.36 हेक्टेयर है और डब्ल्यूएसए 286.50 हे0 है। फार्मों के पंजीकरण और साथ ही प्रति फार्म विकसित क्षेत्र (औसत 6.2 हे0) के लिहाज से राज्य का पांचवा स्थान है। इस राज्य में एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्म मुख्यत: बालासोर, भद्रक और पुरी जिलों में स्थित हैं। किसानों द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही रिपोर्टों के अनुसार राज्य में एल. वेन्नामई पालन का निष्पादन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निष्पादन संकेत	रेंज	औसत
1	स्टाक घनत्व (मिलियन/हेक्टेकयर)	0.24 - 0.33	0.30
2	पालन के दिन (डीओसी)	90.00 - 127.00	115.0
3	उत्तरजीविता की दर (%)	78.00 - 98.00	92.00
4	औसत शरीर का वजन (ग्राम)	18.00 - 31.00	25.00
5	उत्पादन (एमटी/हे0)	7.00 - 12.05	9.70
6	एफसीआर	1.20 - 1.40	1.30

गोवा

गोवा में पंजीकृत एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों की संख्या 6 है जिनका कुल फार्म क्षेत्रफल 31.11 हेक्टेयर है और डब्ल्यूएसए 22.09 हे0 है। फार्म मुख्यलत: पोंडा जिले में स्थित हैं। पूरी तिमाही रिपोर्टों के अभाव में राज्य में एल. वेन्नामई पालन के निष्पादन का पता लगाना संभव नहीं है।

पुदुचेरी

पुदेचेरी में केवल एक पंजीकृत एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्म है जिस कुल फार्म क्षेत्रफल 17.07 हेक्टेयर है और डब्ल्यूएसए 11.85 हे0 है और यह करायकल जिल में स्थित है। फार्म में एल. वेन्नामई पालन से संबंधित आंकड़े केवल एक फसल के लिए उपलब्ध हैं, अत: इस वर्ष के लिए फार्म के निष्पा्दन का मूल्यांकन नहीं किया जा सका है।

पश्चि म बंगाल और दमन तथा दीव प्रशासन

पश्चिम बंगाल में केवल एक पंजीकृत एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्म (टीएफए 3.0 हे0 और डब्यू के एसए 2.0 हे0) है और दमन तथा दीव प्रशासन में 3 पंजीकृत फार्म (टीएफए 60.0 हे0 और डब्यू के एसए 38.40 हे0) हैं। चूंकि, इन फार्मों के किसानों ने अभी तक कोई रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की हैं अत: वर्ष के लिए इन राज्यों में पालन के ब्यौरे नहीं दर्शाए जा सके हैं।

जीएक्यूशपी - जल प्रवेश स्थिल पर फिल्टररेशन

जीएक्यूकपी - फार्म लाइनिंग

जीएक्यूशपी - फुट/हैंड डिप

जीएक्यूपी - प्रोबायोटिक्स की तैयारी

जीएक्यूशपी - अपशिष्ट का निबटान

जीएक्यूशपी - स्टेयक्डा फीड

(x) एल. वेन्नामई पालन के लिए गैर-अनुमोदित फार्मों के विरूद्ध की गई कार्रवाई

सीएए के माननीय अध्यक्ष से प्राप्त शिकायत के आधार पर सीएए द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण दल ने अरियाकुट्टीथेवन गांव, पेरावोरानी तालुक, तंजावुर जिला, तमिलनाडु में दिनांक 05.09.2013 को एक फार्म का निरीक्षण किया। दल ने फार्म में एल. वेन्नामई के अनाधिकृत पालन की पुष्टि की और दिनांक 23 मार्च की सीएए अधिसूचना संख्याक जीएसआर-280(ई) के खंड 6, भाग-।।-धारा-3(पद्य के तहत

स्टाक को नष्ट् कर दिया और मरी हुई झींगाओं को फार्म से दूर जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया1 इस मामले पर प्राधिकरण की 43वीं बैठक में विचार–विमर्श किया गया था और किसान को चेतावनी पत्र जारी करने का संकल्प पारित किया गया। तथापि, अध्यक्ष के निर्देशानुसार सीएए का पत्र किसान को 11.12.2013 को जारी किया गया था।

एल. वेन्नामई के अनाधिकृत पालन को नष्ट किया जा रहा है।

अनाधिकृत फार्म में नष्ट किए गए एल. वेन्नामई को गाड़ा जा रहा है

(xi) एसपीएफ एल. वेन्नामई का उत्पागदन

एल. वेन्नामई का पालन देश में दिसंबर, 2009 के दौरान शुरू किया गया था और चालू वर्ष के अंत तक (31.03.2014) सीएए द्वारा 6,160.40 हे0 जल प्रभावित क्षेत्र (डब्यू013 एसए) सहित एसपीएफ एल. वेन्नामई का पालन करने के लिए सीएए द्वारा 903 फार्मों को अनुमोदित किया गया था। इन फार्मों में एसपीएफ एल. वेन्नामई का औसत उत्पादन 10.6 एमटी/हेक्टे/वर्ष (रेंज 6.42-17.50 एमटी/हेक्टेए) है। एल. वेन्नामई फार्मों में उत्पादकता में वृद्धि का पूरे झींगा सेक्टर की समग्र उत्पादकता पर और साथ ही भारत से झीगाओं के निर्यात पर भी पड़ा है।

इन फार्मों में स्टाक के घनत्व की रेंज 0.11-0.69 मिलियन/हेक्टेयर है और पालन की अवधि 85 से 175 दिन के बीच (औसत 119 दिन) है। एल. वेन्नामई झींगाओं का विकास औसतन शरीर भार 26.80 ग्राम (18.0 ग्राम से 35.0 ग्राम के बीच) और 90% उत्तररजीविता के औसत (रेंज 75-98%) के साथ हुआ है। इन फार्मों में उत्पादन 6.2 से 17.5 एमटी/हेक्टेक (11.0 का औसत) के बीच है और खाद्य संरक्षण अनुपात का औसत (एफसीआर) 1.40 (रेंज 1.2 से 1.8 के बीच) है।

फार्म - नए सिरे से एल. वेन्नामई का पालन

जीएक्यूटपी - पालन के बाद देखभाल

(क) एसपीएफ एल. वेन्नामई का समूहों के रूप में पालन

सीएए द्वारा ईटीएस तथा जैव सुरक्षा उपाय करके सामूहिक पालन प्रणाली को छोटे फार्मों के स्वामी किसानों द्वारा एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन को सुसाध्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार सीएए द्वारा पंजीकृत 903 फार्मों (कुल फार्म क्षेत्रफल 9,152.06 हेक्ट) में से 546 सामूहिक फार्म हैं जिनमें 2,509 छोटे फार्मों के किसान शामिल हैं और कुल फार्म क्षेत्रफल 5,199.40 हेक्टे है। सामूहिक फार्म 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत कुल फार्मों का 60.5% हैं और पालन के कुल क्षेत्र का 43.15% क्षेत्र इनके तहत आता है।

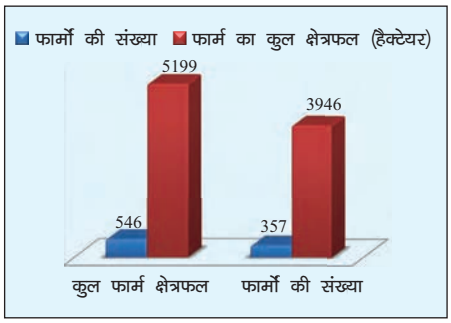

चित्र 27: एल. वेन्नामई में सामूहिक पालन

(xii) एल. वेन्नामई हैचरीज/फार्मों की निगरानी

पालन से संबंधित सामाजिक और पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभावों जैसे जल प्रदूषण रोगों में वृद्धि और फैलाव, राहत, पर्यायवास प्रभावों और आस–पास के समुदायों पर सामाजिक प्रभावों को रोकने के लिए नियमित अंतराल में फार्मों/हैचरियों का दौरा करके झींगा हैचरियों और फार्मों की सीएए द्वारा प्राधिकृत दल द्वारा नियमित निगरानी की जाती है। प्रचालन के कारण हैचरियों/फार्मों में जैव सुरक्षा की स्थिति, उत्पादन प्रणालियों में उत्पादन तरीकों, कार्य निष्पादन, जल गुणवत्ता, स्वस्थ बीजों/झींगों/पर्यावरणीय समस्याओं, यदि कोई हो, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। अनुमत हैचरियों और फार्मों से निकले अपशिष्ट जल नमूनों को जांच के लिए ईटीएस के अंतिम निकासी बिंदु से एकत्रित किया जाता था

ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अपशिष्ट जल प्राचलों को पूरा किया जाए।

- वर्ष 2013-14 के दौरान सीएए निगरानी दल ने कुल मिलाकर सीएए द्वारा अनुमत 70 हैचरियों (आंध्रप्रदेश में 31, तमिलनाडु में 38 तथा उड़ीसा में) का दौरा किया था।
- उक्त हैचरियों के ईटीएस के अंतिम निकास बिंदु से एकत्र किए गए अपशिष्ट जल नमूने सीएए द्वारा निर्धारित अपशिष्ट जल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप थे किंतु 16 हैचरियां ऐसी थीं जिनके अपशिष्ट जल की गुणवत्ता सीएए मानकों से अधिक थी। उन्हें चेतावनी पत्रों द्वारा सावधान किया गया था। सीएए ने हैचरियों के स्वामियों को जैविक भार के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए अपनी ईटीएस में आवश्यक सुधार करने का निर्देश भी दिया था।
- उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण किया गया था और अभिलेखों/पंजिकाओं का भी सत्यापन किया गया था और आयातित ब्रूड स्टॉक की मात्रा, उनका स्रोत, मोरटैलिटी यदि कोई हो, अंडे, नौपल्लीट, उत्पांदित/बेंचे गए पोस्टर लार्वा और उन किसानों का नाम और पता जिनको बीज बेंचे गए थे, हैचरियों के सीएए नामांकन की तारीख और संख्या; उत्पाादित, बिक्री किए गए झींगा की मात्रा, उन प्रसंस्करणकर्ताओं का नाम एवं पता जिन्हें इनकी बिक्री की गई थी, आदि संबंधी ब्यौरों की उचित रूप से प्रविष्टि की गई थी अथवा नहीं इसकी भी जांच की गई थी। किसानों/ हैचरी प्रचालकों को उपयुक्तर अभिलेखों को अनुरक्षित करने की आवश्यंकता और उक्त अधिसूचना में यथा अपेक्षित सीएए को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में बार-बार बताया गया था। किसानों को उत्तरदायी, पारिस्थितिकीय और आर्थिक तौर पर वहनीय जल कृषि कार्यकलापों को अपनाने और सुरक्षित तथा गुणवत्ता वाले जल कृषि उत्पादों का उत्पादन करने की सलाह भी दी गई थी। स्थल विशिष्टत प्रोबायोटिक लागू करने के साथ-साथ के उत्पादन में श्रेष्ठ जलकृषि पद्धतियों (जीएक्यूपीएस) को अपनाने का सुझाव भी दिया गया था।

ब्रूड स्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने, ब्रूड स्टॉक के आयात तथा क्वारन्टाइन में कठोर विनियमन ताकि सुनिश्चिपत किया जा सके कि देश में अब तक आयातित एल. वेन्नामई ब्रूड स्टॉक ओआई में सूचीबद्ध रोगाणुओं से मुक्त हों। इसी प्रकार, जैव सुरक्षा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के बाद हैचरियों और फार्मों का अनुमोदन करना जो यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्तक और नियमित निगरानी है कि दिशा-निर्देशों को उचित रूप से कार्यान्विंत किया गया है और फार्मों तथा हैचरियों के ईटीएस से निकले अवशिष्टश जल गुणवत्ता प्राचल सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो इसने झींगा पालन क्षेत्र को रोगों विशेष रूप से अर्ली मोरटैलिटी सिन्ड्रो म (ईएमएस) से बचने में सक्षम बनाया है। यद्यपि, इसने पड़ोसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों झींगा फार्मों को नष्ट कर दिया है।

हैचरियों की निगरानी की जा रही है

चेकट्रे की निगरानी

झींगा फार्म में जैविक निगरानी

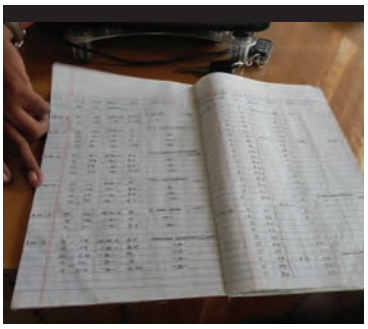

निगरानी के दौरान अभिलेखों का सत्यारपन

अपशिष्टी जल के नमूनों का विश्लेषण के लिए संग्रह

IV. जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला

हैचरियों और फार्मों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की नियमित निगरानी के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निष्कासित अपशिष्ट जल गुणवत्ता प्राचल सीएए अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर रहे, वेपेरी में सीएए के तकनीकी खण्ड में जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। जल गुणवत्ता निगरानी के लिए अपेक्षित अन्य उपस्करों के अलावा प्रयोगशाला सीएचएनएसओ एनेलाइजर, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, नाइट्रोजन जेलटेक –डिस्टीलेशन यूनिट, मल्टीपैरामीटर वाटर क्वाएलिटी सोड्, मिल्लीपोर टिट्रेशन सिस्टम, बीओडी इंक्यूबेटर, सीओडी एनालाइजर और हैडसैम्पलर (जीसी–एमएस) सहित गैस क्रोमैटोग्राफी – मास स्पेक्ट्रेम जैसे उपस्करों के संस्थापनों सहित पूरी तरह से सुसज्जित है।

अपशिष्ट जल नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है

V. वेबसाइट का अद्यतन

सीएए की वेबसाइट अर्थात www.caa.gov.in को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र चेन्नै के माध्यम से अपलोड किया जाता है। इससे आंकड़े वैश्विक तौर पर देखे जा सकते हैं और विदेशों में खरीददार पता लगाने योग्य फार्मों के पूरे ब्यौरे प्राप्त करते हैं। झींगा किसान और हैचरी प्रचालक नामांकन के लिए आवेदन–पत्रों तथा पालन और बीज उत्पादन के लिए दिशा–निर्देशों संबंधी विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर संपर्क करते हैं। वेबसाइट पर विस्तृत सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं जिन्हें बार–बार अद्यतन किया जाता है ताकि तटीय पर्यावरण और तटीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों की आजीविका को बचाने के लिए तटीय जलकृषि कार्यकलापों को विनियमित किया जा सके। वेबसाइट पर जलकृषि फार्मों/हैचरियों के पंजीकरण और नवीकरण के तौर–तरीकों से संबंधित पूरे ब्यौरे, जिला और राज्य-स्तरीय समितियों (डीएलसी और एसएलसी) से संबंधित ब्यौरे, झींगा हैचरियों के लिए विनियमन, ब्रूड स्टॉक का आयात, जलीय संगरोध, झींगा फार्मों और एसपीएफ एल. वेन्नामई तथा एसपीएफ पी. मोनोडान झींगाओं से संबंधित ब्यौरे भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा, वेबसाइट पर सीएए अधिनियम, प्राधिकरण के नियम, विनियम तथा दिशा–निर्देशों, प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य बजट और लेखाओं से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों तथा प्राधिकरण द्वारा गठित विभिन्न समितियों की सूची भी वेबसाइट पर दी गई है।

सीएए ने वेबसाइट पर झींगा फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण और नवीकरण से संबंधित डाटाबेस को अद्यतन किया है जिनके जरिए पंजीकृत फार्मों और हेचरियों के ब्यौरे अंत्य प्रयोक्तातओं को उपलब्ध करवाए जाते हैं और डाटाबेस को आवधिक रूप से अद्यतन बनाया जा रहा है। सीएए के सभी प्रकाशनों, दस्तावेजों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, विज्ञापन आदि तथा जनहित के अन्यय सभी मामलों को भी डाउनलोड किए जाने योग्य फार्मेट में वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है और इन्हें भी नियमित

रूप से अद्यतन किया जाता है। सीएए की वेबसाइट पर जलकृषि फार्मों/हैचरियों के पंजीकरण/नवीकरण, तिमाही अनुपालना रिपोर्ट, जलीय संघरोध में स्थान के आरक्षण, एंटीबायोटिक्स के परीक्षण के लिए जैविक नमूने, प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स की सूची, अपशिष्ट जल गुणवत्ता मानकों आदि से संबंधित विभिनन फार्म प्रयोक्ताओं के अनुकूल फार्मेट में उपलब्ध हैं जिन्हें अंत्य प्रयोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं।

किसानो/हैचरी प्रचालकों के लाभ के लिए सीएए वेबसाइट के जरिए जलकृषि फार्मों/हैचरियों के आनलाइन पंजीकरण की सुविधा को भी तैयार किया जा रहा है।

VI. सीएए अधिनियम, नियमों, दिशा-निर्देशों और विनियमनों के संग्रह का अद्यतित संस्करण

झींगा पालन क्षेत्र में 80 के दशक में काफी तेजी आई थी जिससे तटीय राज्यों के अनेक भागों में अनेक उद्यमियों ने हैचरियों, फीडमिलों और एकीकृत फार्मों की स्थापना करने का विकल्प चुना। सभी पणधारकों द्वारा सीएए की अधिसूचित संविधियों, नियमों, दिशानिर्देशों और विनियमों का अनुपालन सुसाध्य बनाने के लिए वर्ष 2006 के दौरान सीएए द्व ारा सीएए अधिनियम, नियमों, दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं का एक संग्रह प्रकाशित किया गया था। चूंकि, उस समय से नियमों और दिशा-निर्देशों में काफी संशोधन किए गए हैं और साथ ही अनेक नई अधिसूचनाएं भी जारी की गई थीं अत: सीएए अधिनयम, नियमों, दिशा-निर्देशों, विनयमों और मार्च, 2014 तक की सभी अन्य संबद्ध अन्य सूचनाओं का एक संग्रह द्विभाषी रूप में (हिन्दी एवं अंग्रेजी) एक ही जिल्द में प्रकाशित किया गया था। चूंकि यह संग्रह इस समय लागू मौजूदा तटीय जलकृषि संबंधी कानूनों और विनियामक उपायों से संबंधित अपेक्षित जानकारी सुलभ संदर्भ के लिए उपलब्ध करवाता है अत: इससे इस कार्यकलाप से जुड़े सभी पणधारक और योजनाकार लाभान्वि त होंगे और देश के तटीय जलकृषि के क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विधायी प्रावधानों की अनुपालना के संबंध में भी अपेक्षित जागरूकता आएगी।

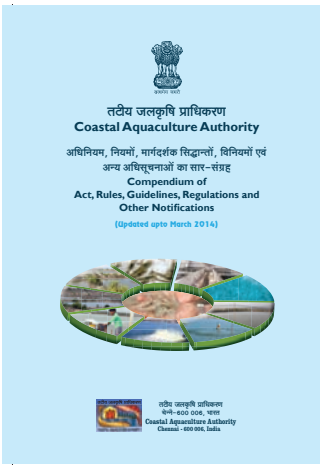

सीएए अधिनियम, नियमों, दिशा-निर्देशों और विनियमों के संग्रह का अद्यतित संस्करण

VII. सीएए के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों और अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव

सीएए की दिनांक 10.09.2013 को हुई 42वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार क्षेत्रीय केन्द्रों में अपेक्षित प्रस्ताव सहित क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने तथा चेन्नै में अतिरिक्त पदों सहित मुख्यालय को सुदृढ़ बनाने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया था और पशुपालन तथा डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था।

VIII. चेन्नै में सीएए मुख्यालय की स्थापना

सीएए अधिनियम, 2005 के तहत तटीय जलकृषि प्राधिकरण कार्य कर रहा है और इसका मुख्याालय

चेन्नै में है। इस समय प्राधिकरण शास्त्री भवन सौंध, हैडोज रोड, चेन्नै 600006 के एक छोटे से हिस्से में कार्य कर रहा है जहां मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्ता स्थान नहीं है। अत: प्राधिकरण का तकनीकी विभाग वेप्री में एक किराए के भवन में कार्य कर रहा है। एक उपयुक्त: सरकारी भवन हासिल करने या फिर उपयुक्त निजी भवन को किराए पर लेने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सभी विभाग एक ही स्थान पर कार्य कर सकें।

IX. सीएए द्वारा हिन्दी शिक्षण योजनाओं के आयोजन

सीएए केन्द्र सरकार की हिन्दी शिक्षण योजनाओं के जरिए अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाकर राजभाषा के कार्यान्वयन को भी बढ़ावा दे रहा है।

- 2013-14 के दौरान प्राधिकरण के एक कर्मचारी ने प्रबोध पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया।
- प्राधिकरण के कर्मचारी नवंबर, 2013 से प्रबोध पाठ्क्रम में हिस्सा ले रहे थे और वर्ष के दौरान उनका अध्ययन जारी था।

सीएए ने दिनांक 24.09.2013 से 30.09.2013 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया। भारतीय मात्स्यिकी पालन सर्वेक्षण, चेन्नै के हिन्दी–अनुवादक की सेवाएं लेकर प्राधिकरण के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 30.09.2013 को एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस सप्ताह के दौरान दो प्रतियोगिताओं अर्थात् नं. 1 शब्दार्थ और नं. 2 हिन्दी में बातचीत का आयोजन किया गया और विजयी अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। कुल 11 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

सीएए में हिंदी सप्ताह का आयोजन

X. सीएए के अतिरिक्त कार्यकलाप

(i) मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी

- सीएए ने मत्स्यपालन निदेशालय, तमिलनाडु सरकार द्वारा 9-12 मई, 2013 के दौरान आइलैंड ग्राउड्स (वार मेमोरियल इंट्री), चेन्ने में आयोजित "तमिलनाडु फिश फेस्टीवल–2013" में भाग लिया।
- इस समारोह में एक स्टाल लगाया गया था और सीएए के उद्देश्यों, कार्यों और कार्यकलापों को दर्शाते हुए पोस्टर लगाए गए थे जिनमें झींगा किसानों/हैचारी प्रचालकों द्वारा अपनाए जाने योग्य अच्छी जलकृषि पद्धतियां (जीएक्यूकपी), जलकृषि में एंटीबायोटिक्स, रसायनों और ड्रग्स के दुरूपयोग के संबंध में जागरूकता तथा एसपीएफ एल. वेन्नामई बीज उत्पादन तथा पालन के लिए दिशा–निर्देश और जैव सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को भी दर्शाया गया था।

- स्टाल में वाणिज्यिक रूप से पालन योग्य प्रजातियों के जिंदा जानवरों जैसे एल. वेन्नामई, पी. मोनोडान और लेट्स केलकेरिफर (sea bass) को भी प्रदर्शित किया गया था।
- बड़ी संख्या् में जल किसानों, हैचरी प्रचालकों, आदान आपूर्तिकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं, मत्स्यपालन अधिकारियों, विद्यार्थियों और जनता ने स्टाल देखा। स्टाल पर जिंदा जानवरों का प्रदर्शन भीड़ के आकर्षण का केन्द्र बना रहा और भीड़ द्वारा इन प्रजातियों के संबंध में सीएए विनयमनों तथा पालन तकनीकों के बारे में अनेक सवाल पूछे गए।

तमिलनाडु फिश फेस्टिवल, 2013 में सीएए का स्टाल

(ii) सीएए द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम

रिपोर्ट की अवधि के दौरान सीएए द्वारा 4 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

- गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले में 6 अगस्त, 2013 को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमे 130 जल किसानों, हैचरी प्रचालकों, आदान आपूर्तिकर्ताओं और राज्य मत्स्यपालन अधिकारियों ने भाग लिया।

- 19-20 सितंबर, 2013 को पूर्व गोदावरी जिले के अमालापुरम और काकीनाड़ा में तथा 5 अक्तूबर, 2013 को पश्चिम गोदावरी जिले के भीमावरम में आंध्र प्रदेश की आल इंडिया श्रिंप हैचरीज एसोसिएशन के साथ मिलकर 3 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों में कुल 620 जल किसानों, हैचरी प्रचालकों, आदान आपूर्तिकर्ताओं और राज्य मत्स्यपालन अधिकारियों ने भाग लिया।
- इन कार्यक्रमो में सीएए अधिनियम, पालन, सीएए के लक्ष्यों, उद्देश्यों, शक्तियों और कार्यों, एंटीबायोटिक्सी के दुरूपयोग के प्रभाव, जिम्मेदार जलकृषि के लिए एफएक्यू आचार संहिता और दीर्घकालिक उत्पादन के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई और जीएक्यूहपी का पालन शुरू करने के लिए हैचरियों और फार्मों के विनियमन आदि से संबंधित विषय वस्तु को सीएए के अधिकारियों द्वारा स्थानीय भाषा में स्पष्ट किया गया था। महत्वपूर्ण विचारों को स्थानीय भाषाओं में तैयार करके पर्चे भी बांटे गए थे।

अमालापुरम/काकीनाड़ा में चल रहा जागरूकता कार्यक्रम

भीमावरम में चल रहा जागरूकता कार्यक्रम,

वलसाड़, गुजरात में चल रहा जागरूकता कार्यक्रम।

(iii) अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/सेमिनारों/संगोष्ठियों में सीएए के सदस्यों/अधिकारियों की भागीदारी

- अध्यक्ष, सीएए ने 16 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में कृषि मंत्री जी से मुलाकात की और उन्हें तटीय जलकृषि प्राधिकरण से संबंधित प्रमुख मुद्दों से अवगत करवाया।
- अध्यक्ष, सीएए ने राजीव गांधी जलकृषि केन्द्र द्वारा सरकाजी, तमिलनाडु में 5 सितंबर, 2013 को आयोजित पहले डॉ. ई.जी.सायलस एंडोमेंट लेक्चर का उद्घाटन किया और उद्घाटन भाषण दिया।
- सीएए के सदस्य सचिव ने राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड, हैदराबाद में दिनांक 12 अप्रैल, 2013 को मोना तकनीक के जरिए एसपीएफ पी. मोनोडान मल्टीप्लिकेशन सेंटर की प्रगति पर चर्चा करने के लिए बैठक में भाग लिया।
- सीएए के सदस्य सचिव ने कृषि भवन, नई दिल्ली में 25 अप्रैल, 2013 को एसपीएफ एल. वेन्नामई के लिए आरजीसीए/एमपीईडीए के पायलट स्केल मल्टीप्लिकेशन सेंटर हेतु दिशा–निर्देशों पर विचार–विमर्श हेतु सचिव (एडीएफ) द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया।
- सीएए के सदस्य सचिव ने 5-7 जून, 2013 के दौरान सेंट्रल मैरिन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोच्चि में सार्क क्षेत्र में जलकृषि से संबंधित अच्छीं पद्धतियों और आदर्शों की स्थिति पर आयोजित कार्यशाला में 5 जून, 2013 को उद्घाटन भाषण दिया और इस कार्यशाला में भारत में तटीय जलकृषि में सामने आ रहे रुखों के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण भी दिया।
- सीएए के सदस्य सचिव ने 9 जुलाई, 2013 को कृषि भवन, नई दिल्ली में एसपीएफ एल. वेन्नामई तथा पी. मोनोडान के लिए मल्टीप्लिनकेशन सेंटर्स की स्थापना हेतु गठित समिति की बैठक में भाग लिया।
- सीएए के सदस्य सचिव ने 10 जुलाई, 2013 को मद्रास पशु चिकित्सा कालेज, वेपरी में तमिलनाडु मत्य पालन विश्वजविद्यालय द्वारा आयोजित पौंड एंड केज कल्चर आफ कोबिया एंड प्रिपरेशन आफ वैल्यू एडेड कोबिया प्रोडक्ट्स पर तकनीकी उन्नचयन कार्यशाला में उद्घाटन भाषण दिया।
- सीएए के सदस्य सचिव ने चेन्नै में भारतीय मत्स्यपालन सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1.08.2013 को मत्स्यपालन अधिकारियों, मत्स्यपालक नेताओं और विस्तार संबंधी कामगारों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण दिया।
- सीएए के सदस्य सचिव ने 6 सितंबर, 2013 को कृषि भवन, नई दिल्ली में एसपीएफ एल. वेन्नामई तथा पी. मोनोडान के लिए मल्टीप्लिकेशन सेंटर्स की स्थापना हेतु गठित समिति की बैठक में भाग लिया।
- सीएए के सदस्य सचिव ने सीएए के कार्यकरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कृषि भवन, नई दिल्ली में 10 अक्तूबर, 2013 को सचिव, डीएएचडीएंडएफ के साथ बैठक में भाग लिया।
- सीएए के सदस्य सचिव ने कृषि भवन, नई दिल्ली में 18 अक्तूबर, 2013 को डीएएचडीएंडएफ द्वारा भारत में तटीय जलकृषि और इसके विनियमों से संबंधित परामर्शदात्री बैठक में भाग लिया।
- सीएए के सदस्य सचिव ने संसदीय सौंध, नई दिल्ली् में 29 अक्तूबर, 2013 को कृषि से संबंधित संसदीय समिति के साथ ''मत्स्यपालन का विकास – एक समीक्षा'' विषय पर आयोजित बैठक में भाग लिया।

- सीएए के सदस्य सचिव ने कृषि भवन, नई दिल्ली में 09 दिसंबर, 2013 को जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम का प्रबोधन करने के लिए तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया।
- सीएए के सदस्य सचिव ने कृषि भवन, नई दिल्ली में दिनांक 04 फरवरी, 2014 को माननीय कृषि मंत्री द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया।
- सीएए के सदस्य सचिव और सहायक निदेशक (तकनीकी) ने चेन्नै में 20-21 जनवरी, 2014 के दौरान बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम द्वारा एशिया पैसिफिक क्षेत्र में रोगों की समीक्षा विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
- सहायक निदेशक (तकनीकी) ने 05 मार्च, 2014 को पट्टूकोटटई में साउथ इंडियन फेडरेशन आफ फिशरमैन सोसायटी द्वारा आयोजित जलकृषि पर प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया।
- सीएए ने चेन्ने में 9-12 मई, 2013 के दौरान मत्स्य पालन निदेशालय, तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित ''तमिलनाडु फिश फेस्टीवल–2013'' में भाग लिया।

XI. वर्ष 2014-15 के दौरान किए जाने वाले संभावित कार्यकलाप

(i) पंजीकरण

तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण और नवीकरण एक सतत प्रक्रिया है। उम्मीद है कि अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 तक की अवधि के दौरान देश के और अधिक तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण किया जाएगा।

(ii) एल. वेन्नामई पालन के लिए अनुमोदन

लगभग 2000 हेक्टेयर के अतिरिक्त फार्म क्षेत्र को एल. वेन्नामई पालन के तहत लाने का प्रस्ताव है।

(iii) निरीक्षण और निगरानी

सुविधाओं खासतौर से झींगा फार्मों पर हैचरियों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता की आवधिक निगरानी की जाएगी ताकि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना सुनिश्चित हो सके।

(iv) जागरूकता कार्यक्रम

कुछ और तटीय प्रदेशों में पर्यावरण संरक्षण, तटीय जलकृषि कार्यकलापों और अच्छी जलकृषि पद्धतियों के दीर्घकालिक विकास के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

(v) विज्ञापन और प्रकाशन

पणधारकों को सावधान करने तथा एहतियाती उपाय करने के लिए महत्वपूर्ण मामलों और मौजूदा मुद्दों के संबंध में सार्वजनिक सूचनाएं जारी की जाएंगी।

(vi) मैनुअल्स/ब्रोशर तैयार करना

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, नियमों और दिशा–निर्देशों के संग्रह का कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा।

(vii) कार्यशालाएं और बैठकें

तटीय जलकृषि कार्यकलापों में सामने आ रही समस्याओं का सामना करने के लिए पणधारकों की बैठकें आयोजित की जाएंगी जिनमें प्रौद्योगिकीय सुधारों तथा अन्य पहलुओं के संबंध में विभिन्न समूहों के अनुभवों को साझा किया जाएगा।

सीएए तटीय जलकृषि कार्यकलापों के संबंध में अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, सी–फूड मेलों और अक्वाशोज में यथासंभव भागीदारी करेगा।

(viii) क्षमता निर्माण

विनियामक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अपने कार्यक्षेत्र में जानकारी को बढ़ाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ के लिए प्रशिक्षण और अध्ययन यात्राओं का आयोजन किया जाएगा।

XII. वित्त

(i) वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों और कार्यकलापों का सार

- वित्त वर्ष 2013-14 से संबंधित लेखों की लेखा परीक्षा प्रधान लेखा नियंत्रक (सिविल लेखा परीक्षा) तमिलनाडु और पांडिचेरी, चेन्नै द्वारा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत की गई थी और इसकी रिपोर्ट अनुबंध में दी गई है।
- तटीय जलकृषि अधिनियम प्राधिकरण, 2005 की धारा 16 एवं 17 के अनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा किए गए बजट अनुमानों पर आधारित अनुदान सहायता पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के बजट प्रावधानों के तहत 4 किश्तों में उपलब्ध कराई गई थी। प्रशासन मंत्रालय ने दिनांक 09 जनवरी, 2013 के पत्र संख्या एफ-3-28/2012-बजट (एडीएफ) के तहत वित्त वर्ष 2013-14 के लिए केवल 324 लाख रूपए का बजट अनुमान स्वीकृत किया था। मंत्रालय ने 16 दिसंबर, 2013 के पत्र संख्या एफ-3-28/2013-बजट (एडीएफ) द्वारा 273 लाख रूपए का संशोधित अनुमान मंजूर किया था।
- वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा व्यय निम्नानुसार है:

प्रमुख शीर्ष 2405 उप शीर्ष-090031 : अनुदान सहायता

(लाख ₹ में)

मंत्रालय द्वारा स्वीकृत बजट प्राक्कलन	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत संशोधित प्राक्कलन	प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि	खर्च न की गई राशि
324	273	273	273	0.00

(लाख ₹ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	उप शीर्ष	बजट प्राक्कलन 2013-14
1	तटीय जलकृषि प्राधिकरण	090031 अनुदान सहायता	300

(ii) वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक लेखों का ब्यौरा:

वर्ष 2013-14 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के वार्षिक लेखों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

XIII. स्टाफ और प्राधिकरण की मौजूदा संगठनात्मक रचना

वर्तमान में वर्ष 2013-14 के दौरान सीएए में 21 स्वीकृत पद हैं जो निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	समूह	पद	स्वीकृत पद	प्रारंभ में स्टाफ की संख्या	वर्ष के दौरान वापस भेजे गए स्टाजफ की सं.	वर्ष के दौरान स्टाफ में हुई वृद्धि	वर्ष के अंत में स्टाफ
1	क	निदेशक	1	0	0	0	0
		सहायक निदेशक	1	1	0	0	1
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	0	0	1	1
2	ख	अधीक्षक	1	1	0	0	1
		निजी सचिव	2	2	0	0	2
		वरिष्ठ तकनीकी सहायक	2	2	0	0	2
		लेखाकार	1	1	0	0	1
		आशुलिपिक ग्रेड सी	2	1	0	0	1
3	ग	वरिष्ठ लिपिक	2	1	0	0	1
		आशुलिपिक ग्रेड डी	1	1	0	0	1
		कनिष्ठ लिपिक	2	1	0	0	1
		स्टाफ कार ड्राइवर	1	1	0	0	1
4	घ	एमटीएस	4	4	0	0	4
		योग	**21**	**16**	**0**	**1**	**17**

सलाहकार और परामर्शदाता

क्र.सं.	पदनाम	प्रारंभ में संख्या	वित्त वर्ष के दौरान छोड़ कर जाने वाले	वित्त वर्ष के शामिल होने वाले	वित्त वर्ष के अंत में
1	सलाहकार	2	0	0	1
2	परामर्शदाता	2	1	3	4

मैनपॉवर एजेंसी के जरिए संविदा पर:

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या	वित्त वर्ष के दौरान छोड़ कर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	वित्त वर्ष के दौरान नए व्यक्तियों की संख्या	वित्त वर्ष के अंत में व्यक्तियों की संख्या
1	कंप्यूटर प्रोग्रेमर	1	0	0	1

XIV. भर्ती/सेवा निवृत्ति/वापस भेजना:

- **जस्टिस के. रविराजा पांडियन,** उच्च न्यालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने दिनांक 20.05.2013 से तटीय जलकृषि प्राधिकरण के अध्याक्ष का कार्यभार ग्रहण किया।
- **श्री जे. वेणुगोपाल** ने प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 12.03.2014 से तटीय जलकृषि प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया।

XV. सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2013-14 के दौरानसूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुल सत्ताईस (27) आवेदन प्राप्त हुए थे। मांगी गई सूचना प्रस्तुत कर दी गई थी।

अनुबंध

वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक लेखें और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हैडोज रोड, चेन्नै – 600 006

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(धनराशि ₹ में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
संग्रह / पूंजी निधि और देयताएं			
संग्रह/पूंजी निधि	1	1,84,14,925	1,74,43,147
निर्धारित/अक्षय निधियां	2	1,19,43,630	72,15,433
चालू देयताएं और प्रावधान	3	6,67,030	7,48,030
योग		**3,10,25,585**	**2,54,06,610**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	4	1,61,45,481	1,09,90,247
निवेश – निर्धारित/अक्षय निधियों से	5	49,85,152	17,28,379
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	6	98,94,952	1,26,87,984
योग		**3,10,25,585**	**2,54,06,610**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पिणियां	15		

ड/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ड/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हैडोज रोड, चेन्नै – 600 006

31.03.2014 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय व्यय खाता

(धनराशि ₹ में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. आय			
अनुदान/राजसहायताएं (प्राप्त हुए गैर-वसूली योग्य अनुदान और राजसहायताएं)	7	2,37,86,111	2,53,00,000
शुल्क/अभिदान	8	50	4,530
निवेश से आय (निधियों अंतरित की गई निर्धारित/ अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	9	-	-
अर्जित ब्याज	10	4,87,383	4,00,393
अन्य आय	11	28,853	768
योग (क)		**2,43,02,397**	**2,57,05,691**
ख. व्यय			
स्थापना व्यय	12	1,11,98,585	94,92,762
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	13	1,25,33,548	1,03,78,282
अनुदानों, राजसहायताओं आदि पर व्यय		-	12,823
मूल्यह्रास	4	31,12,375	23,80,487
योग (ख)		**2,68,44,508**	**2,22,64,354**
व्ययसे अधिक आय के अधिशेष के रूप में शेष (क-ख)		(25,42,111)	34,41,338
विशेष संचय को अंतरित			
(प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)			
सामान्य संचय को/से अंतरण			
अधिशेष/(घाटे) के रूप में संग्रह निधि/पूंजी निधि में ले जाया गया शेष			
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पिणियां	15		

ड/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ड/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि

31.03.2014 को समाप्त अवधि/वर्ष

(धनराशि ₹)

प्राप्ति या	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. प्रारंभिक शेष		
क) हाथ में नकदी	-	-
ख) बैंक शेष	-	-
i) चालू खातों में	-	-
ii) जमा खातों में	-	-
iii) बचत खातों में	73,47,557	60,26,034
2. प्राप्त अनुदान		
क) भारत सरकार से	-	2,53,00,000
पूंजीगत प्राप्तियां	35,13,889	
राजस्व प्राप्तियां	2,37,86,111	
ख) राज्य सरकार से	-	-
ग) अन्य स्रोतों से (पूंजी और राजस्व् व्यय के लिए अनुदानों को अलग-अलग दर्शाएं)	-	-
3. निम्नलिखित से निवेश पर आय		
क) निर्धारित/अक्षय निधियां (एफडीआर ब्याज)	-	1,69,004
ख) अपनी निधियां (अन्य निवेश)	-	-
4. प्राप्त ब्याज		
क) बैंक जमाओं पर	4,87,383	2,31,389
ख) ऋणों, अग्रिमों आदि पर	48,000	69,527
ग) निर्धारित निवेशों पर	-	-
5. अन्य आय (बताएं)		
परीक्षा शुल्क	-	-
निविदा शुल्क	-	4,500
विविध आय	28,853	768
आरटीआई शुल्क	50	30
6. उधार ली गई धनराशि	-	-
7. कोई अन्य प्राप्तियां (ब्यौरे दें)		
जमानत राशि	3,01,000	9,67,500
कंप्यूटर अग्रिम की वसूली	-	-
हाथ में स्टेंप	2,15,671	2,04,838
साख पत्र	-	-
अक्षय निधि (प्रोसेसिंग फीस)	47,34,197	18,01,123
योग	**4,04,62,711**	**3,47,74,712**

ड/-

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

प्राधिकरण, चेन्नै

के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(धनराशि ₹)

भुगतान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. व्यय		
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 12 के तदनुरूप)	1,11,98,585	94,92,762
ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 13 के तदनुरूप)	1,25,33,548	1,03,88,482
2. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किए गए भुगतान (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)	-	-
3. किए गए निवेश और निक्षेप		
क) निर्धारित/अक्षय निधियों से	32,56,773	-
ख) अपनी निधियों से	-	-
4. अचल परिसंपत्ति यों और चल रहे बड़े कार्य		
क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद	35,13,889	7,07,103
ख) चल रहे बड़े कार्य पर	-	47,53,720
5. अधिशेष धनराशि/ऋणों की वापसी		
क) भारत सरकार को	-	-
ख) राज्य सरकार को	-	-
6. वित्तर प्रभार (ब्याज)	-	-
7. अन्यत भुगत (विनिर्दिष्ट करें)		
क) जमानत राशि	3,25,000	-
ख) निष्पादन जमानत राशि की वापसी	57,000	7,13,227
ग) त्यौहार अग्रिम	41,250	41,250
घ) पूर्वदत्तत भुगतान - एएमसी फ्रैंकिंग मशीन	-	11,043
ड) निर्धारित निधि से व्यय	6,000	11,56,612
च) चिकित्सा अग्रिम	8,000	-
छ) खर्चनहीं की गई सहायता अनुदान की वापसी	-	-
i) पोस्ट मास्टर	-	24,000
ii) हाथ में स्टेंप	2,75,000	1,50,000
8. अंतिम शेष		
क) हाथ में नकद	-	-
ख) बैंक शेष्		
i) चालू खातों में	-	-
ii) जमा खातों में	-	-
iii) बचत खातों में	92,21,380	73,47,557
योग	**4,04,47,468**	**3,47,74,712**

ड/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हैडोज रोड, चेन्नै – 600 006

31.3.2014 को तुलन पत्र के भाग के रूप मे अनुसूचियां

अनुसूची 1: अक्षय/पूंजी निधि

(धनराशि ₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में शेष 1.04.2013	1,74,43,147	1,40,01,809
जोड़ें : अक्षय/पूंजी निधि में अंशदान	35,13,889	-
	2,09,57,036	**1,40,01,809**
घटाएं : आय एवं व्यय खाते से अंतरित आय से अधिक व्यय	(25,42,111)	-
जोड़ें : आय एवं व्यय खाते से अंतरित व्यय से अधिक आय	-	34,41,338
वर्ष के अंत में शेष	**1,84,14,925**	**1,74,43,147**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नै

31.3.2014 को तुलन पत्र के भाग के रूप मे अनुसूचियां

अनुसूची 2 : निर्धारित/अक्षय निधियां

(धनराशि ₹)

	निधि-वार ब्यौरा						योग	
	फार्म पंजीकरण शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क		सामान्य भविष्य निधि	अंशदानिक भविष्य निधि	पेंशन निधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		एल.वे फार्म	एल.वे हैचरी					
क) निधियों का प्रारंभिक शेष	19,17,879	34,60,304	18,37,250	-	-	-	72,15,433	65,70,922
ख) निधियों में वृद्धि:				8,68,000	9,60,358	10,87,019	29,15,377	
i. दान/अनुदान	-	-	-			-	-	-
ii. निर्धारित किए गए निवेश से आय	-	-	-			-	3,41,396	
iii. शुल्क	1,93,944	10,07,480	2,70,000			-	14,71,424	17,73,862
योग (क+ख)	**21,11,823**	**44,67,784**	**21,07,250**	**8,68,000**	**9,60,358**	**10,87,019**	**1,19,43,630**	**83,44,784**
ग) निधियों के उद्देश्य के लिए उपयोग / व्यय								
i. पूंजीगत व्यय								
- अचल परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-	-
- फार्मों के निरीक्षण पर यात्रा व्यय	-	-	-	-	-	-	-	11,29,351
योग (i+ii)	-	-	-	-	-	-	-	**11,29,351**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	**21,11,823**	**44,67,784**	**21,07,250**	**8,68,000**	**9,60,358**	**10,87,019**	**1,19,43,630**	**72,15,433**

नोट

1) इन आंकड़ों को अनुदानों से संबद्ध परिस्थितियों के आधार पर प्रकट किया गया है।

2) केंद्र/राज्यं सरकार से प्राप्त योजनागत निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाना होता है और अन्य निधियों को मिलाया नहीं जाता है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हैडोज रोड, चेन्नै – 600 006

31.3.2014 को तुलन पत्र के भाग के रूप मे अनुसूचियां
अनुसूची 3 : चालू देयताएं और प्रावधान

(धनराशि ₹)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियां	-	-	-	-
2. विविध लेनदार				
क) माल के लिए	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
3. निष्पादन जमानत राशि		5,000		62,000
क) मैसर्स अक्षय सेल्सि, चेन्नै	-		-	
ख) मैसर्स फस इंडिया (प्रा.)लि., मुंबई	-		57,000	
ग) मैसर्स रेड्स इंस्ट्रू मेंट्स कंपनी, चेन्नै	-		-	
घ) मैसर्स सिंसीयर ट्रेडर्स, चेन्नै	5,000		5,000	
ड) मैसर्स स्मार्टर्ट लैबटैक प्रा.लि., हैदराबाद				
च) मैसर्स सिस्टोमनिक्स, चेन्नै				
4. जमानत राशि		6,62,030		6,86,030
क) मैरिट एंटरप्राइजेज	20,280		20,280	
ख) अर्बिट टैक्नोलॅजी	44,250		44,250	
ग) सार्टोरियस मैटचौट्रोनिक्सस	4,500		4,500	
घ) एमईटीसी	20,000		20,000	
ड.) एजीलैंट टैक्नो्लजी	1,75,000		1,75,000	
च) ब्लू स्टार लि., चेन्नैं	50,500		-	
छ) बी.वी.एन इंस्ट्रू मेंट्स प्रा.लि.	-		-	
ज) डे एंड डे सर्विसेज प्रा.लि.	25,000		25,000	
झ) प्रोटीन मैनेजमेंट कंसलटेंसी	-		-	
द) होस्टं	27,000		27,000	
ट) सुराबी पेपर्स सप्लासयर्स	-		50,000	
ड) मैसर्स कंप्यूलिंक्स, मुंबई	-		50,000	
ढ) ईएमडी	2,50,000		2,50,000	
ण) एक्स सर्विसमैन	20,000		20,000	
त) डे एंड डे सर्विसेज प्रा.लि.	25,000			
थ) लक्ष्मी ट्रैवल्स	500			
5. प्रोद्भूत ब्याज किंतु देय नहीं				
क) सुरक्षित ऋण/उधारियां	-		-	
ख) असुरक्षित ऋण/उधारियां	-		-	
6. सांविधिक देयताएं				
क) नई पेंशन योजना (कर्मचारी अंशदान)	-		-	
7. अन्य चालू देयताएं	-		-	
योग		**6,67,030**		**7,48,030**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नै

31.3.2014 को तुलन पत्र के भाग के रूप मे अनुसूचियां

अनुसूची 4 - अचल परिसंपत्तियां

(धनराशि ₹)

मद	मूल्य ह्रास की दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		वर्ष के प्रारंभ में लागत / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत मूल्यांतकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि होने पर	वर्ष के दौरान कटौती होने पर	वर्ष के अंत में योग	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
			30-09-13 तक	30-09-13 क बाद								
संयंत्र और मशीनरी	15%	1,07,63,511	-	-		1,07,63,511	31,99,925	11,34,538		43,34,463	64,29,048	75,63,586
प्रयोगशाला उपस्कर	15%	-	45,14,966	7,39,622		52,54,588	-	7,32,717		7,32,717	45,21,871	-
कार्यालय उपस्कर	15%	20,56,691	14,13,294	3,79,238		38,49,223	12,75,481	3,57,618		16,33,099	22,16,124	7,81,210
कार	15%	3,30,860	-	-		3,30,860	2,97,625	4,985		3,02,610	28,250	33,235
फर्नीचर और फिक्सचर्स	10%	32,05,895	3,87,467	3,75,535		39,68,897	13,47,665	2,43,346		15,91,011	23,77,886	18,58,230
कंप्यूटर एंड फिक्सचस	60%	26,11,544	82,479	2,92,377		29,86,400	23,38,408	3,01,082		26,39,490	3,46,910	2,73,136
पुस्तकालय की पुस्तकें और तकनीकी पुस्तकें	60%	18,82,660	82,631			19,65,291	14,01,810	3,38,089		17,39,899	2,25,392	4,80,850
चालू वर्ष का योग		**2,08,51,161**	**64,80,837**	**17,86,772**	**-**	**2,91,18,770**	**98,60,914**	**31,12,375**		**1,29,73,289**	**1,61,45,481**	**1,09,90,247**
पिछले वर्ष का												
ख. चल रहा बड़ा कार्य												
योग											**1,61,45,481**	**1,09,90,247**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हैडोज रोड, चेन्नै – 600 006
31.3.2014 को तुलन पत्र के भाग के रूप मे अनुसूचियां

अनुसूची 5 : निधारित/अक्षय निधियों से निवेश

(धनराशि ₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सावधि जमा प्राप्तियां (आईओबी)	20,69,775	17,28,379
एसबीखाता संख्या : 209501000007601 में पेंशन निधि निवेश	10,87,019	-
एसबीखाता संख्या : 209501000006535 में सामान्यश भविष्ये निधि निवेश	8,68,000	-
एसबीखाता संख्या : 209501000006536 में अंशदानिक भविष्य निधि निवेश	9,60,358	-
योग	**49,85,152**	**17,28,379**

अनुसूची 6 : चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू परिसंपत्तियां		
1. बैंक शेष		
i) अनुसूचित बैंकों में		
– बचत खातों पर	92,36,623	73,47,557
2. हाथ में स्टेंप		
i) स्टेंप (फ्रैंकिंग)	93,988	25,458
ii) स्टेंप (पोस्टल)	38,397	47,598
योग (क)	**93,69,008**	**74,20,613**
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
अग्रिम और ऐसी धनराशियां जो नकद रूप में अथवा वस्तु के रूप में अथवा मूल्य के लिए प्राप्त होनी हैं :		
i) पूर्व भुगतान (अनुलग्न क–1)	11,043	47,53,720
ii) स्टाफ त्यौहार अग्रिम (अनुलग्नक–1)	20,625	27,375
iii) मैसर्स हाइपर ट्रिक्स प्रा.लि.	1,04,785	1,04,785
iv) इनफाइनिटी डॉट कॉम	3,81,491	3,81,491
v) चिकित्सा अग्रिम	8,000	-
योग (ख)	**5,25,944**	**52,67,371**
योग (क + ख)	**98,94,952**	**1,26,87,984**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नै

31.03.2014 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूचियां

अनुसूची 7 : अनुदान/राजसहायताएं (प्राप्त हुए गैर-वसूली योग्य अनुदान और राजसहायताएं)

(धनराशि ₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) केंद्र सरकार	2,37,86,111	2,53,00,000
योग	**2,37,86,111**	**2,53,00,000**

अनुसूची 8 : शुल्क/अभिदान

1) निविदा शुल्क		4,500
2) आरटीआई शुल्क	50	30
योग	**50**	**4,530**

नोट – प्रत्येक मद के संबंश में लेखाकरण नीतियों को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

अनुसूची 9 : निवेशों से आय (निधियों में अंतरित की गई निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)

इंडियन बैंक में सावधि जमा पर ब्याज	-	1,69,004
योग		**1,69,004**
निर्धारित/अक्षय निधियों में अंतरित		**1,69,004**

अनुसूची 10 : अर्जित ब्याज

1) सावधि जमाओं पर		
क) अनुसूचित बैंकों में	-	1,69,004
2) बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों में	4,87,383	2,31,389
योग	**4,87,383**	**4,00,393**

नोट – स्रोत पर कर की कटौती दर्शाई जाएगी

अनुसूची 11 : अन्य आय

विविध आय	28,853	768
योग	**28,853**	**768**

अनुसूची एस 12 : स्थापना व्यय

क) वेतन और मजदूरी	1,00,78,139	94,92,762
ख) पेंशन अंशदान	10,87,019	
ग) ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति	33,427	
योग	**1,11,98,585**	**94,92,762**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हैडोज रोड, चेन्नै – 600 006

31.3.2014 को तुलन पत्रत्र के भाग के रूप मे अनुसूचियां

अनुसूची 13 : अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(धनराशि ₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. विज्ञापन और प्रचार	12,74,589	6,95,393
2. प्रकाशन	7,97,136	6,05,759
3. घरेलू यात्रा व्यय	13,22,150	14,55,494
4. चिकित्सा व्यय	1,28,258	1,09,997
5. आपूर्ति और सामग्री	5,01,578	1,36,538
6. कार्यालय व्यय		
मरम्मत और अनुरक्षण (वाहन)	29,263	1,08,835
विद्युत और ऊर्जा	2,04,771	1,48,278
किराया, दर और कर	17,37,723	16,25,863
फोटोस्टेट् व्यय	-	4,000
पोस्टेज, टेलीग्राम	2,23,346	2,19,637
प्रिंटिंग, स्टेशनरी और उपभोज्य	11,15,030	7,91,274
जल प्रभार	30,941	30,100
पुस्तकालय व्यय (पीरियाडिकल्स और जर्नल्स)	6,225	-
कंप्यूटर अनुरक्षण	3,675	-
टेलीफोन व्यय	2,59,124	2,13,636
प्रोफेशनल चार्जेज	13,29,696	9,81,838
वाहन किराया प्रभार	15,13,366	11,96,576
बैठक व्यय	35,155	84,457
टेलीफोन, मोबायल प्रतिपूर्ति व्यय	19,098	60,408
विविध व्यय	6,23,832	3,29,120
सेमिनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण व्यय	15,340	1,35,790
अन्य, संविदागत सेवाएं	11,21,011	9,78,917
वैबसाइट अनुरक्षण प्रभार	33,708	2,66,830
एएमसी व्यय (एसी, कंप्यूटर्स, कार्यालय उपस्कर आदि)	2,05,533	1,32,291
वार्षिक पीआरए अनुरक्षण प्रभार (एनएसडीएल)	3,000	2,623
बैंक प्रभार	-	64,628
योग	**1,25,33,548**	**1,03,78,282**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हैडोज रोड, चेन्नै – 600 006

अनुलग्नक–1

स्टाफ त्यौहार अग्रिम

क्र.सं.	अग्रिम	31-03-2014	31-03-2013
क	स्टाफ त्यौहार अग्रिम	20,625	27,375
	योग	**20,625**	**27,375**
ख	अन्य अग्रिम	4,125	2,250
	लैब उपस्कारों के लिए एलसी	-	44,88,000
	टीएएनसी	-	2,65,720
	एएमसी फ्रैंकिंग मशीन	11,043	-
	योग	**11,043**	**47,53720**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हैडोज रोड, चेन्नै – 600 006

अनुसूची - 14 : लेखाकारण नीतियां

1. लेखाकरण परंपरा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत और आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) आईसीएआई द्वारा जारी और लागू अनिवार्य लेखा मानकों तथा सीजीए द्वारा केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए यथानिर्धारित संगत प्रस्तुतकरण संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं। प्राधिकरण व्यय और आय के समस्त मदों के संबंध में जब तक कुछ और नहीं कहा जाए, प्रेद्भवन पद्धति अपनाता है।

2. नियत परिसंपत्तियां

क) अचल परिसंपत्तियों का लेखा इन्हें प्रभारित किए जाने का निरीक्षण करने के बाद किया जाता है।

ख) अचल परिसंपत्तियों को लागत में से संचित मूल्य ह्रास लागत, जिसमें खरीद मूल्य, अंदर लाने का भाड़ा, शुल्कों और करों तथा उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए उन्हें कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए लगी अन्य लागत शामिल होती है, को घटाकर दर्शाया जाता है। तैयार अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और निर्माण से संबंधित वित्तीय लागत को उस अवधि तक शामिल किया जाता है जिस अवधि तक वे उपयोग के लायक रहती हैं।

ग) तत्कालीन जल कृषि प्राधिकरण की उन अचल परिसंपत्तियों का लोखांकन भी उन्हें खरीदने की तारीख से सीसीए द्वारा उनका अधिग्रहण किए जाने तक की अवधि के लिए लागत में से मूल्य ह्रास को घटाकर किया जाता है जिनका मूल्य ज्ञात होता है। जिन अचल परिसंपत्तियों का मूल्य ज्ञात हीं होता है उनका सीसीए की लेखा पुस्तकों में पूंजीकरण करने के लिए 1/- रुपए का नाममात्र का मूल्य मान लिया जाता है।

घ) गैर–मौद्रिक अनुदानों के जरिए प्राप्त हुई अचल परिसंपत्तियों का पूंजीकरण पूंजी निधि में तदनुरूपी जमा द्वारा बताए गए मूल्य पर किया जाता है। फ्री गिफट के रूप प्राप्त हुई अचल परिसंपत्तियों का लेखा 1/- रुपए का नाममात्र का मूल्य मान कर किया जाता है।

ड.) विशेष अनुदान सहायता से अधिगृहीत की गई अचल परिसंपत्तियों का लेखा प्राधिकरण के लेखाओं में अचल परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। अनुदान सहायता से सृजित की गई अचल परिसंपत्तियों की लागत को पूंजी निधि में जमा किया जाता है। इन परिसंपत्तियों पर उनके उपयोग की अवधि के लिए आयकर अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास भी प्रभारित किय जाता है और इसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

3. मूल्य ह्रास

क) मूल्यह्रास का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों पर अपलिक्षित मूल्य पद्धति किया जाता है।

ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में संवर्धन/कमी होने के संबंध में वित्त वष की पहली छ माही में अधिगृहीत की गई परिसंपत्तियों पर आयकर नियमों में विनिर्दिष्ट दरों पर पूरा

मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है और दूसरी छमाही में अधिगृहीत की गई परिसंपत्तियों पर 50% मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

ग) 5000/- रुपए अथवा इससे कम लागत वाली अचल परिसंपत्तियों पर अधिग्रहण के वर्ष में पूरा मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

4. पट्टा/किराया

पट्टा/ किराया का लेखांकन पट्टे की निबंधन और शर्तों के अनुसार व्ययके रूपमें किया जाता है।

5. परिसपत्तियों का खराब होना

एक परिसंपत्ति को तब खराब माना जात है जब उसको बनाए रखने की लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। खराब होने की हानि को उस वर्ष के आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें उस परिसंपत्ति को खराब परिसंपत्ति के रूप में अभिज्ञात किया जाता है। खराब होने की हानि को वसूली योग्य धनराशि के रूप में माना जाता है।

6. सरकारी अनुदान राजसहायताएं

पूंजीगत व्यय अर्थात सहायता अनुदान से सृजित मूल्यंह्रास योग्य परिसंपत्तियों की लागत को पूंजी निधि खाते में जमा किया जाता है। सहायता अनुदान से किए गए राजस्व व्ययों को आय व्यय खाते में नामे किया जाएगा। वर्ष के अंत में व्ययों से अधिक अनुदान को पूंजी निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

7. सेवा निवृत्ति् लाभ

क) वर्ष के दौरान नई पेंशन योजना में प्राधिकरण के अंशदान को आय और व्यय खाते में दर्षाया जाताहै।

ख) उपदान से संबंधित देयताओं, जिनका पता वर्ष में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है, का प्रावधान किया जाएगा और पृथक रूप से निधीयन किया जाएगा।

ग) कर्मचारियों से संबंधित देयताओं, जिनका पता वर्ष में वास्तविक मूल्यां कन के आधार पर लगता है, का प्रावधान किया जाएगा और पृथक रूप से निधीयन किया जाएगा।

घ) कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण से संबंधित देयताओं, जिनका पता वास्तविक मूल्यांकन पर प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में वार्षिक रूप से लगता है, हेतु प्रावधान किया जाता है।

8. कराधान

प्राधिकरण केंद्र/राज्य सरकार को अपनी संपत्तिं, आय और प्राप्त हुए लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर, सेवा कर, सीएसटी अथवा अन्य किसी कर को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अत चालू और आस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

पूर्व की घटनाओं के परिणामस्वरूप मौजूदा देयता की स्थिति में प्रमापन में काफी अनुमान के आधार पर प्रावधान किए जाते हैं और यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्गमन हो। आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है किंतु उन्हें लेखाओं के भाग के रूप में नोट में प्रकट किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों न तो मान्यता दी जाती है और ना ही उन्हें वित्ताय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

10. आय और व्यय

इस पैराग्राफ में बाद में विनिर्दिष्ट की गई आय और व्यय को छोड़कर वर्ष के सभी आय और व्यय का लेखाओं के विशिष्ट प्रत्यक्ष शीर्षों के तहत प्रोद्भवन आधार पर लेखांकन किया जाता है।

क) पूर्व वर्ष की आय अथवा व्यय, जो एक अथवा अधिक पूर्व अवधियों में प्रावधान करने/देयता का सृजन करने में चूक करने के कारण हुआ था, का लेखांकन "पूर्व अवधि समायोजन" के तहत किया जाता है।

ख) यदि व्यय आधार पर देयता का सृजन किया जाता है/प्रावधान किया जाता है तो इसका लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है।

ग) वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्राधिकरण को प्राद्भूत होने वाले व्यय/आय, भूतलक्षी प्रभाव से यदि कोई हो, का लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है।

घ) तुलन पत्र और/अथवा आय और व्यय खातें में किसी मद को किस प्रकार और किस तरीके से दर्शाया जाए इसका निर्धारण करने में मूर्तता पर विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले में पूर्वदत्ता/पूर्व अवधि के 1000 रुपए तक के मदों का लेखांकन लेखाओं के आम शीर्षों के तहत नकद आधार पर किया जाता है।

11. राजस्व मान्यता

क) प्राधिकरण डीएलसी/एसएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में फार्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा, प्राधिकरण लिटोपनियस वेन्नामई फार्मों और हैचरियों के लिए प्रोसेशन फीस प्राप्त कर रहा है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार इस शुल्क का लेखा इसके प्राप्त होने के वर्ष और विशेष अथवा निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग करने के वर्ष में प्राधिकरण की निर्धारित/अक्षय निधि के रूप में किया जाता है।

ख) ब्याज की आय का लेखांकन बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए नकद अधार पर किया जाता है।

12. पृथक प्रकटीकरण

पृथक प्रकटीकरण के संबंध में आय और व्यय खाते में किए जाते हैं:

क) "पूर्व अवधि" के मद जिनमें आय अथवा व्यय के सामग्री मद शामिल होते हैं और जो एक अथवा अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरण तैयार करने में चूक करने के परिणामस्वरूप चालू अवधि में उत्पन्न होते हैं।

ख) "असाधारण" मद, जो प्राधिकरण के सामान्य कार्यकलापों से स्पष्ट तौर पर हुई घटनाओं और लेनदेनों से उत्पन्न आय अथवा व्यय होते हैं और इनके बार बार अथवा नियमित तौर पर होने की उम्मीद नहीं होती है।

ग) "विविध आय" शीर्ष के तहत 50,000 रुपए से अधिक के मद को आय और व्यय खाते में उपयुक्त लेखा शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है।

ड/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ड/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हैडोज रोड, चेन्नै – 600 006

अनुसूची - 15: आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएं

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक देयता का कोई मामला सामने नहीं आया।

नियत परिसंपत्तियां

तत्कालीन जल कृषि प्राधिकरण की उन अचल परिसंपत्तियों का लोखांकन भी उन्हें खरीदने की तारीख से सीसीए द्वारा उनका अधिग्रहण किए जाने तक की अवधि के लिए लागत में से मूल्य ह्रास को घटाकर किया जाता है जिनका मूल्य ज्ञात होता है। जिन अचल परिसंपत्तियों का मूल्य ज्ञात हीं होता है उनका सीसीए की लेखा पुस्तकों में पूंजीकरण करने के लिए 1/- रुपए का नाममात्र का मूल्य मान लिया जाता है। सभी परिसंपत्तियों पर आयकर नियमों में निर्धारित दर से मूल्य ह्रास का परिकलन कर लिया गया है और वर्ष 2013-14 के आय और व्यय खाते में प्रभारित किया गया है।

चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्राधिकरण ने पोस्ट् अफिस से फ्रैंक्रिग मशीन ले ली है जिसमें एक निश्चित धनराशि के स्टेंप हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण पोस्ट ऑफिस से पोस्टल स्टेंप खरीदता है और इसके लिए भुगतान की गई धनराशि को हाथ में स्टेंप के रूप में दर्शाया जाता है। स्टेंप की दैनिक खपत के लिए रखे जा रहे रजिस्टर के आधार पर स्टेंप पर किए गए कुल व्यय को वार्षिक आधार पर हाथ में स्टेंप खाते को तदनुरूपी जमा करके संबंधित व्यय शीर्ष में नामे किया जाता है। 31 मई, 2014 की स्थिति के अनुसार हाथ में स्टेंप की धनराशि 38,397/ रुपए है।

दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी को 3,000/- रुपए का अग्रदाय मंजूर किया गया है।

चालू देयता

निष्पादन गारंटी के रूप में प्राप्त हुई जमानत राशि को इसकी वारंटी की अवधि पूरी होने तक बनाए रखा जाएगा।

कराधान

प्राधिकरण केंद्र/राज्य सरकार को अपनी संपत्ति, आय और और लाभ और प्राप्त हुए लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर, सेवा कर, सीएसटी अथवा अन्य किसी कर को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अत: चालू और आस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

प्राप्त किए गए सरकारी अनुदान/शुल्कं

"पूंजीगत व्यय" अर्थात सहायता अनुदान से सृजित मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों की लागत को पूंजी निधि खाते में जमा किया जाता है। सहायता अनुदान से किए गए राजस्वय व्ययों को 'आय व्यय खाते' में नामे किया जाएगा। 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के अंत में व्ययों से अधिक अनुदान को पूंजी निधि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

प्राधिकरण डीएलसी/एसएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में फार्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा, प्राधिकरण लिटोपनियस वेन्नारमई फार्मों और हैचरियों के लिए प्रोसेशन फीस प्राप्त कर रहा है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार इस शुल्क का लेखा इसके प्राप्त् होने के वर्ष और विशेष अथवा निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग करने के वर्ष में प्राधिकरण की निर्धारित/अक्षय निधि के रूप में किया जाता है। निधारित निधि में से फार्मों के पंजीकरण आदि के संबंध में समीक्षा कार्यशाला और फार्मों और हैचरियों के निरीक्षण पर शून्य धनराशि का उपयोग किया गया।

पिछले वर्ष के आंकड़े

सीएजी द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया में तुलन पत्र, आय और व्यय खाते तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में उनसे संबंद्ध विभिन्नं अनुसूचियों सहित पिछले वर्ष के आंकड़े दर्शाना विनिर्दिष्ट् किया गया है।

ड/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ड/-
सदस्य सचिव

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नै के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 20(3) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां, सेवाशर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नै के संलग्न तुलन–पत्र, आय एवं व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाते की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखाओं के वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण शर्तों आदि के साथ लेखाओं की अनुरूपता के संबंध में लेखांकन के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पंणियां शामिल हैं। विधि, नियमों और विनियमनों (स्वामित्व और विनियमितता) की अनुपालना और दक्षता तथा निष्पादन पहलुओं आदि के लिहाज से वित्तीय लेनदेनों के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पंणियां, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजीकी लेखापरीक्षा रिपोर्टों में पृथक रूप से बताई गई हैं।

3. हमनें भारत में सामान्यित: स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के तहत यह अपेक्षित है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरणों में भौतिक रूप से कोई तथ्यात्मक गलती नहीं हैं। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर, धनराशियों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरणों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करना शामिल है। एक लेखापरीक्षा में

प्रयुक्त लेखांकन सिद्धान्तों और प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना और साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना शामिल है। हमारा विश्वास है कि लेख. ापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार उपलब्ध करवाती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं किरू

i) हमनें वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य थे।

ii) इस रिपोर्ट में समीक्षित तुलन–पत्र, आय एवं व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाता वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

iii) हमारी राय में लेखापुस्तकों की हमारे द्वारा की गई जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के नियमों और विनयमनों में यथा अपेक्षित उपयुक्त लेखाओं और संगत अभिलेखों को उपयुक्तत: तैयार किया गया है।

iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क. लेखाओं में संशोधन लेखापरीक्षा के आधार पर प्राधिकरण के लेखाओं को संशोधित किया गया था, जिसके परिणामस्वारूप:

i. देयताओं में 30.64 लाख की वृद्धि हुई।

ii. परिसम्पत्तियों में 30.64 लाख की वृद्धि हुई।

iii. घाटे में 39.00 लाख की वृद्धि हुई।

ख. सामान्य

प्राधिकरण ने इससे संबंधित पंजीकरण शुल्का के केवल 30% हिस्से का ही लेखांकन और यह भी नकदी आधार पर किया गया है। इससे प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाना चाहिए। जिला स्तर और राज्य स्तर की समितियों से संबंधित हिस्से का लेखांकन प्राधिकरण के लेखाओं में नहीं किया गया है इससे प्राप्तियों और साथ ही भुगतान के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

ग. सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्ति 2.73 करोड़ के सहायता अनुदान (गैर–योजना) में से 0.20 करोड़ रूपए की आंतरिक प्राप्तियों और 0.77 करोड़ रूपए के खर्च नहीं किए गए शेष (कुल 3.70 करोड़ रूपए), प्राधिकरण कुल 2.73 करोड़ रूपए का ही उपयोग कर सका और 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार 0.97 करोड़ रूपए का शेष बच गया।

v) आगे के पैराओं में की गई हमारी टिप्पणियों की शर्त पर हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में समीक्षाधीन तुलन–पत्र, आय एवं व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाता लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और साथ ही हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामले तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक

में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप सच्ची और सही स्थिति दर्शाते हैं।

क. जहां तक यह 31 मार्च, 2014 को तटीय जलकृषि प्राधिकरण के कार्यों के तुलन–पत्र से संबंधित है, तथा

ख. जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और
उनकी ओर से

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 21.11.2014

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा(केन्द्रीय)
चेन्नै

अनुलग्नक

1. **आंतरिक लेखा प्रणाली की पर्याप्तता**
   आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त कर दिया गया है और जिला स्तरीय समितियों की तथा राज्य स्तरीय समितियों की लेखा परीक्षा का कार्य प्रगति पर था।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**
   जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय समितियों से प्राप्य पूरे पंजीकरण शुल्क के लेखांकन में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

3. **अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन**
   वर्ष 2013-14 तक के लिए अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यारप किया गया था।

4. **माल सूची के भौतक सत्याूपन की प्रणाली**
   वर्ष 2013-14 तक के लिए माल सूची का भौतिक सत्यारप किया गया था।

5. **सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता**
   प्राधिकरण सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमित है।

उप निदेशक/सीई

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) चेन्नै का कार्यालय
लेखा परीक्षा भवन, 361, अण्णा् सालै, तेनामपेट, चेन्नैन - 600018

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL) CHENNAI
"LEKHA PARIKSHA BHAVAN', 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600018.
Phone: 044 - 2431 6400 Fax: 044 - 2433 8924 E-mail: dgacchennai@cag.gov.in

दिनांक: 21.11.2014

सं. पीडीए(सी)/सीई/ट/28-63/2014-15/95

सेवा में

सचिव, कृषि मंत्रालय,
पशुपान डेयरी एवं मारिस्यफी विभाग
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001.

विषय: तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नै के वर्ष 2013-14 के लेखाओं के संबंध में पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट - के बारे में।

महोदय,

वर्ष 2013-14 के लेखाओं के विवरणों सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित की जा रही है। कृपया संसद में लेखाओं और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तु त करने की तारीखों के बारे में इस कार्यालय को सूचित करें। संसद में यथा प्रस्तुत रिपोर्ट की पांच प्रतियां भी इस कार्यालय को भिजवाने की कृपा करें।

कृपया इस पत्र और इसके संलग्नकों की पाबती दें।

भवदीय,
हस्ता0/-
उप निदेशक/सीई

सं. पीडीए(सी)/सीई/ट/28-63/2014-15/95 दिनांक: xx.11.2014

वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं सहित लेखा परीक्षा की एक प्रति सदस्य सचिव, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नै, शास्त्री भवन सौंध, 26, हैडोज रोड, चेन्नै - 600 006 को अग्रेषित की जा रही है।

उप निदेशक/सीई

वर्ष 2013-14 की पृथक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट का उत्तर

ख. सामान्य प्राधिकरण ने इससे संबंधित पंजीकरण शुल्क के केवल 30% हिस्से का ही लेखांकन किया है और वह भी नकद आधार पर किया है। इसे प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाना चाहिए। जिला–स्तर और राज्य–स्तर की समितियों से संबंधित 70% हिस्से का लेखांकन प्राधिकरण के लेखाओं में नहीं किया गया है। इसे प्राप्तियों और साथ ही भुगतानों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।	तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण का शुल्क जिला–स्तर की समितियों द्वारा सीधे ही प्राप्ते किया जाता है। चूंकि, जिला–स्तर की सभी समितियों द्वारा ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं अत: यह सूचना लेखा–परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की जा सकी। लेखांकन मानकों के अनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लेखाओं में उन्हें हुई सही आय/उनके द्वारा किए गए सही व्यय दर्शाने के लिए वित्ते वर्ष 2013-14 से जिला–स्तर की समितियों के लेखाओं का निरीक्षण करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किए हैं। आंतरिक लेखा–परीक्षा की जा रही है। इसे भविष्य में अनुपालना के लिए नोट कर लिया गया है।
ग. सहायता अनुदान वर्ष के दौरान प्राप्तु 2.73 करोड़ रूपए के सहायता अनुदान (गैर–योजना), 0.20 करोड़ रूपए की आंतरिक प्राप्तियों और 0.77 करोड़ रूपए के खर्च नहीं किए गए शेष (कुल 3.70 करोड़ रूपए) में से प्राधिकरण 2.73 करोड़ रूपए की धनराशि का ही उपयोग कर सका और 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार 0.97 करोड़ रूपए का शेष बच गया है।	तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 16 के तहत यह कार्यालय प्रत्येक वर्ष सहायता अनुदान प्राप्त करता है और अपने कार्यों के निष्पाादन के लिए इसका उपयोग करता है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 17(1) के तहत यह कार्यालय एल. वेन्नामई हैचरियों और फार्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क प्राप्तह करने के अलावा फार्मों के पंजीकरण के लिए जिला–स्तर की समितियों से 30% पंजीकरण प्राप्त करता है और तटीय जलकृषि फार्मों तथा हैचरियों के निरीक्षण और निगरानी, नमूने एकत्र करने और उनकी जांच करने, बैठकें और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और एक्सटेंशन ब्रोशर्सपर्चों आदि के अनुवाद के संबंध में तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अपनी 17वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पांच वर्षों के लिए विशेष प्रयोजनों हेतु चिन्हित निधि के रूप में इसका उपयोग करता है।

	लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान एकत्रित शुल्कं (आंतरिक प्राप्तियां) की धनराशि 0.20 करोड़ रू0 थी और पिछले वर्ष के अग्रेषित किए गए शेष की धनराशि 0.77 करोड़ रू0 थी। इस प्रकार कुल उपलब्ध धनराशि 0.97 करोड़ रुपए थी और चिन्हिपत/अक्षय निधि में से चिन्हित व्यय के रूप में किया गया खर्च शून्य था। मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार उपलब्धे अंतिम शेष 0.97 करोड़ रुपए है। चूंकि, निधि विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित है, अत: शुल्क प्राप्तियों को लेखांकन मानकों के अनुसार तुलन-पत्र में चिन्हित/अक्षय निधि खाते के रूप में दर्शाया जाता है। अत: इन टिप्पणियों को कृपया समाप्त कर दें।

वर्ष 2013-14 की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का उत्तर

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता जिला स्तरीय और राज्य् स्तंरीय समितियों से प्राप्त कुल पंजीकरण शुल्क को लागू करने में आतंरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की जरूरत है।	भावी अनुपालन के लिए नोट किया

सत्यमेव जयते

Annual Report 2013-14

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Government of India
Ministry of Agriculture
2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe
Chennai - 600 006, Tamil Nadu
Tel: 91-44-28213785, 28216552, Fax: 044-28216552
Email: aquaauth@vsnl.net / aquaauth@gmail.com
Website: www.caa.gov.in

न्यायमूर्ति के. रविराजा पान्डियन
अध्यक्ष
Justice K. Raviraja Pandian
Chairperson

सत्यमेव जयते

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार कृषि मत्रांलय
शास्त्री भवन अनेक्स दूसरी मंजिल
सं. 26, हडोस रोड़, चेन्नै–600 006.
तमिलनाडु, भारत.
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Government of India, Ministry of Agriculture
Shastri Bhavan Annexe, 2nd Floor,
No.26, Haddows Road, Chennai - 600 006.
Tamilnadu, INDIA.

PREFACE

Coastal Aquaculture, which collectively includes land based and water based brackish and marine aquaculture, contributes significantly to the coastal economy; livelihood to coastal population, employment to rural population, besides promoting other ancillary industries as well as domestic and international trade. Aquaculture in general and shrimp culture in particular, has confronted many developmental problems in the past relating to production, trade restrictions, over capitalization and on concerns over the environmental impacts in the coastal areas. Yet its contribution to the global food production sector, the management of resources and the socio-economic impacts in coastal areas is now fully understood and appreciated by all. Spectacular advances have been achieved in recent times to make coastal aquaculture development a responsible, sustainable and eco-friendly activity.

The Coastal Aquaculture Authority established by an Act of Parliament *viz*. "The Coastal Aquaculture Authority Act, 2005" is responsible for promoting sustainable, regulated development of coastal aquaculture in the notified areas, *i.e.,* 2 km. from the High Tide Line. The major objective of the Authority is to promote sustainable development without causing damage to the coastal environment through proper regulatory measures. This include regulations for construction and operation of aquaculture farms in coastal areas, registration of all hatcheries in coastal areas, inspection of these facilities to ascertain the compliance of guidelines issued for various activities, removal and demolition of such of the entities that cause pollution, fixing standards for the inputs used in coastal aquaculture and monitoring the operations etc.

Shrimp has been the mainstay of our seafood exports with minor contributions from finfish, bivalves, crabs etc. The shrimp sector witnessed frequent disease problems in the past causing sudden decline in production and trade, which created the need to search for an alternative species. The introduction of SPF *Litopenaeus vannamei*, the exotic white shrimp, helped in making fortunes in the shrimp farming sector in the country impacting the overall productivity in shrimp sector as well as the export of shrimp from India.

Statutory regulations are vital components of management in supporting coastal aquaculture development in the country, which ensure maintaining the environmental quality, reducing negative environmental impacts and in the optimum utilization of the coastal resources. The various measures undertaken by CAA on the above issues are dealt in an elaborate manner in the Annual Report of this organization.

The Authority through various awareness programmes and in-house meetings with hatchery operators and farmers has helped to exchange the experiences among the stakeholders and in addressing their problems.

I express my sincere gratitude to the Government of India (Ministry of Agriculture) for the continued support in achieving our goals for a sustainable growth of coastal aquaculture in the country. I also wish to acknowledge my thanks to all the Members of the Authority and the coastal States for their excellent cooperation in the smooth functioning of the Authority.

(Justice Raviraja Pandian)
Chairperson

I. Composition, Operational Goals and Objectives of the Authority

The Coastal Aquaculture Authority (CAA), since its inception under the provisions of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 has contributed significantly to the growth of the shrimp sector in the country, adopting a sustainable and eco-friendly approach through implementation of various regulatory measures during the past eight years. The main objective of CAA is to promote regulated growth of coastal aquaculture within its jurisdiction in the 'coastal area', *i.e.,* area of land within a distance of two kilometers from the High Tide Line (HTL) of seas, rivers, creeks and backwater. In this process, CAA also strive to ensure that the concept of responsible coastal aquaculture is followed by one and all.

1. Composition of the Authority during 2013-2014

(i)	**Justice K Raviraja Pandian** (Retired Judge of the High Court) With effect from 20.05.2013)	…	Chairperson
(ii)	**Dr P Ravichandran** Principal Scientist, Central Institute of Brackishwater Aquaculture, Chennai (Expert in the field of Coastal Aquaculture)	…	Member
(iii)	**Dr R Kirubhagaran** Scientist 'F', National Institute of Ocean Technology, Chennai (Expert in the field of Coastal Ecology) (Representative of the M/o Earth Sciences, Govt. of India)	…	Member
(iv)	**Dr Ms Manju Raina** Director (CP Division) Ministry of Environment and Forests, Govt. of India (Expert in the field of Environment Protection/Pollution)	…	Member
(v)	**Dr Rajasekhar Vundru, IAS** Joint Secretary (Fisheries) Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (Representative of the M/o Agriculture, Govt. of India) **Shri Tarun Shridhar, IAS** Joint Secretary (Fisheries) till April 2013	…	Member
vi)	**Ms Leena Nair, IAS** Chairman, The Marine Products Export Development Authority (Representative of the M/o Commerce, Govt. of India) **Shri Asit Kumar Tripathy, IAS** Joint Secretary, M/o Commerce, Govt. of India till May 2013	…	Member

(vii)	**Dr D H Brahmbhatt, IAS** Commissioner & Secretary (Department of Fisheries & Animal Resources) Government of Gujarat (Representative of Gujarat State)	…	Member
(viii)	**Shri K Praveen Kumar, IAS** Commissioner of Fisheries Government of Andhra Pradesh (Representative of Govt. of Andhra Pradesh)	…	Member
(ix)	**Shri Saeed Ahmed Baba, IAS** Principal Secretary (Fisheries) Department of Fisheries, Aquaculture, Aquatic Resources and Fishing Harbour, Government of West Bengal, Kolkata (Representative of West Bengal State) **Shri Subesh Kumar Das, IAS** Additional Chief Secretary Government of West Bengal till January 2014	…	Member
(x)	**Dr S Vijaya Kumar, IAS** Secretary (Fisheries) Government of Tamil Nadu Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Chennai (Representative of Tamil Nadu) **Shri Gagandeep Singh Bedi, IAS** Secretary (Fisheries), Government of Tamil Nadu till May 2013	…	Member
(xi)	**Dr R Paul Raj** (Member appointed by the Central Government)	…	Member Secretary

2. Aims and Objectives of the Authority

The aims and objectives of the Authority are to regulate 'coastal aquaculture' activities in the areas notified by the Central Government as 'coastal areas' and for matters connected therewith. The Authority is empowered to make regulations for the construction and operation of aquaculture farms in coastal areas, inspection of farms and hatcheries for *Litopenaeus vannamei* to ascertain their environmental impact, registration of aquaculture farms and hatcheries, removal or demolition of coastal aquaculture farms which cause pollution, fixing standards for all coastal aquaculture inputs, *viz.,* seed, feed, growth supplements, chemicals, etc., used in coastal aquaculture.

3. Powers and Functions of the Authority

The powers and functions of the Authority are specified in Chapter IV of the CAA Act, 2005, the Rules and the Regulations framed thereunder. The CAA, shall *inter alia* make regulations for the orderly and sustainable development of the coastal aquaculture sector to facilitate environmentally responsible and socially acceptable coastal aquaculture for the socio-economic benefits of the various stakeholders involved in the activity.

The major responsibility of Coastal Aquaculture Authority towards achieving these goals, is to ensure registration of all kinds of coastal, brackish and saline aquaculture farms and hatcheries engaged or intended to be engaged in seed production and farms of *L. vannamei* in the country within the notified area. This is an ongoing process. A number of measures have been initiated by the Authority for registering all eligible coastal aquaculture farms. This includes pursuing the issue with coastal States, organizing awareness camps, publicity through newspapers etc. It is mandatory for all persons carrying on coastal aquaculture to register their farms with the Coastal Aquaculture Authority, as per the procedures laid down in the Coastal Aquaculture Authority Act and Rules. Registration is valid for a period of five years, which can be renewed from time to time for a like period. The registration process would be continued in respect of existing farms, new farms as well as for farms that may be renovated for taking up coastal aquaculture activities in future.

Aquaculture is not permitted within two hundred meters from the High Tide Line of the seas, creeks, rivers and backwaters within the Coastal Regulation Zone. However, this condition is not applicable to the 'existing farms', that is farms set up before the commencement of the Act and to the non-commercial and experimental aquaculture farms operated by the Government or any research institute of the Government. However, all such farms need to be registered with the CAA. Any person carrying on, coastal aquaculture without such registration is liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both as provided in Section 14 of the Act.

CAA is assisted by the State Level Committees (SLCs) and the District Level Committees (DLCs) on all matters concerning the registration of coastal aquaculture farms. In the case of farms up to 2 hectares water spread area, the DLCs, upon satisfaction that the norms are complied with, shall recommend the applications directly to CAA for consideration of registration; and in the case of farms above 2 hectares water spread area, the DLCs shall inspect the farm to verify conformation of norms and recommend the applications to SLCs, who upon satisfaction, shall recommend them to CAA for registration.

Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DAHD&F), Government of India, *vide* Notification dated 15th October, 2008, issued under the Livestock Importation Act, 1898 and through another Notification dated 30th April, 2009 *viz.,* The Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2009 have assigned the task of regulating the commercial introduction of the exotic shrimp *viz. L. vannamei* which includes granting of permission for importing broodstock of SPF *L. vannamei* from selected overseas suppliers to Indian hatcheries, after

due inspection of biosecurity facilities, inspection of farms by an Inspection Team under CAA before issuing special approvals for *L. vannamei* culture to eligible farms and monitoring of the programmes to prevent unauthorized breeding and farming of this species etc. The work involved is continuous and need close liaison with coastal States, National Fisheris Developemnt Board (NFDB), The Marine Products Export Developemnt Authority (MPEDA) and Central Institute of Brackishwater Aquacultrue (CIBA). *Littopenaeus vannamei* being an exotic species, need to be properly regulated and monitored to prevent introduction of exotic pathogen, impact on the biosecurity and socio-economic issues.

The major tasks to be accomplished in accordance with the provisions of CAA Act are briefly indicated below :

- ensure that agricultural lands, salt pan lands, mangroves, wet lands, forest lands, land for village common purposes and land meant for public purposes and national parks and sanctuaries are not converted as aquaculture farms in order to protect the livelihood of coastal community living in coastal areas;
- survey the entire coastal area of the country to formulate suitable strategy for achieving eco-friendly development of coastal aquaculture including compilation of data through satellite imageries, GIS, hydrographic maps and integration / co-ordination with coastal zone management plans of respective States in order to map out potential sites for sustainable coastal aquaculture;
- advise and extend support to the State/ UT Governments for constructing common infrastructure, common water in-take, discharge canals and common effluent treatment systems;
- fix standards for seed, feed, growth supplements and chemicals used for the maintenance of the water bodies and the organisms reared and other aquatic life;
- carryout or sponsor investigations and studies/ schemes relating to environment protection and demonstration of eco-friendly technologies;
- collection and dissemination of data and other scientific and socio-economic information related to coastal aquaculture; it includes strengthening of database on registration of shrimp farms, updating of organization's website etc.
- prepare materials relating to sustainable development of coastal aquaculture and activities relating to coastal aquaculture;
- training of personnel by conducting awareness campaign for the sustainable utilization and fair and equitable sharing of coastal resources;
- setting up of various technical committees, sub-committees, working groups, etc., on operational problems;
- directing the owners of the farm to carry out modifications to minimize the impacts on coastal environment;

- order seasonal closure for ensuring sustainability; or in the interest of maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods in the interest of coastal environment;
- deal with unauthorized seed production, farming activities and violations of conditions provided under CAA Guidelines;
- participation in exhibitions in fisheries and aquaculture events organized by different organisations at various places;
- awareness creation for responsible aquaculture practices, especially Good Management Practices, by organizing sensitization workshops with fishery officers of coastal States;
- deal with any issue pertaining to coastal aquaculture including those which may be referred to it by the Central Government;
- make suitable recommendations to the Government for amending the guidelines from time to time.

4. Regulation of SPF *Litopenaeus vannamei* culture in India

Coastal Aquaculture Authority is vested with the powers to grant permission for importing broodstock of SPF *L. vannamei*, *vide* Notification dated 15th October, 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, under the Livestock Importation Act, 1898 (as amended by Livestock Importation Act, 2001). The broodstock suppliers were shortlisted by CAA in consultation with NFDB, CIBA and MPEDA based on the genetic base and disease status. Import of SPF broodstock shall be permitted only from such suppliers. The biosecurity requirements for the quarantine, import permit, port of entry, pre-border quarantine requirements, quarantine requirements, disinfection methods, etc., are detailed in the said Guidelines contained in the above Notification.

By the Coastal Aquaculture (Amendment) Rules, 2009, Guidelines were issued for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L. vannamei*. These Guidelines contain the criteria for application to breed *L. vannamei*, the technical requirements, procedures for production and sale of SPF *L. vannamei* seeds and, specific norms and regulations for approval and operation of farms.

To facilitate smooth operations by the hatchery operators and shrimp farmers, Government of India came out with further amendments to the CAA Rules, 2005 through a Notification in March 2012 by permitting import of SPF juveniles of *L. vannamei* up to 10 grams for rearing to adult broodstock, sale of nauplii among the permitted hatcheries, and for shifting culture of one species to another after adequate dry out period. This Notification also strengthens the inspection process to deal with unauthorized seed production and farming of *L. vannamei* through destruction of the unauthorized stock by the Inspection Team of CAA.

Coastal Aquaculture Authority is following these Guidelines in permitting hatcheries and farms to take up *L. vannamei* farming and in the inspection and monitoring of the farms and hatcheries for the sustainable development of this venture.

II. Targets and Performance

1. Annual Targets

- Convening of meetings of the Authority at least once in two months to take appropriate decisions for implementation.
- Registration of coastal aquaculture farms / renewal is a continuous process, which cannot be specifically quantified or targeted. An additional 3,000 coastal aquaculture farms are expected to be registered during the next one year subject to the receipt of proposals with the recommendations from the District Level Committees (DLCs) and State Level Committees (SLCs).
- Extension of SPF *L. vannamei* culture, covering an additional area of about 2,000 ha for the year 2013-14 with an anticipated additional production of about 20,000 MT of the shrimp in a year.
- Selection of broodstock suppliers by the Technical Committee depending upon the need and on reviewing the performance of existing suppliers.
- Processing of applications from prospective hatchery owners with adequate biosecurity facilities for granting permission to import broodstock and to produce SPF seed for supplying to the farmers approved by CAA.
- The broodstock requirement for SPF *L. vannamei* farming would be worked out by the Technical Committee on the basis of annual requirement, hatchery capacity and the extent of farming area for *L. vannamei* culture.
- Processing all the applications received from farmers, who intend to culture *Penaeus monodon*, SPF *L. vannamei* or any other brackishwater species, in their farms after creation of adequate facilities, and issuing certificate of Registration and / or permission therefor.
- Processing of the applications received for seed production and farming operations of SPF *L. vannamei* in a time bound manner.
- Inspection of hatcheries and farms by the Inspection Team to ascertain the biosecurity as well as other requirements.
- Consideration of the applications recommended by the Inspection Team for granting approval by the Authority in its regular meetings.
- Monitoring of hatcheries and farms will be done periodically; and appropriate action will be taken for violation of the conditions of approval.
- Sampling and testing of wastewater discharged from ETS to ensure that water quality parameters conform to the standards notified by CAA.

- Organizing awareness programmes, in Maritime States, to sensitize the farmers on registration of farms for undertaking *P. monodon*, SPF *L. vannamei*, finfishes and crab farming and issues on banned drugs and other substances, as and when necessary.
- Participation / organization of workshops and exhibitions relating to coastal aquaculture depicting sustainable farming practices.
- Preparation of brochures / handouts on Good Aquaculture Practices (GAqPs) for distribution to stakeholders.
- Deal with litigations relating to impacts of shrimp culture in neighbouring lands.

2. Brief review of Actual Performance

- Five meetings of the Authority were held between April 2013 and March 2014. In all, 1,458 applications for registration of coastal aquaculture farms were received from SLCs/ DLCs were considered for approval. The Authority approved 1,329 applications, the remaining applications were returned to the DLCs/ SLCs for rectification.
- Registration certificates were issued to all the 1,329 farms approved by CAA.
- During the year, the Authority has considered 362 applications for renewal of registration and approved all the 362 farms. After approval, all the concerned original Registration Certificates were got surrendered and returned after making necessary endorsement on renewal.
- On the basis of the Inspection Team's report, 44 new hatcheries were permitted for SPF *L. vannamei* seed production after inspection; and permission granted to 117 hatcheries during 2012-13 were renewed up to 31.03.2014 for importing broodstock of SPF *L. vannamei* from 9 broodstock suppliers short-listed by CAA.
- After scrutinizing the applications received from the farmers, for culture of SPF *L. vannamei* and based on the Inspection Team's report, CAA has approved 105 farms with water spread area of 457.07 hectares out of which 101 farms with water spread area of 442.76 hectares were issued LoPs for SPF *L. vannamei* farming during the year.
- A total of 70,208 pairs of broodstock were approved by the CAA for import during the year 2013-14.
- Approximately, 5,044.75 million post larvae (PL) of SPF *L. vannamei* were produced by the approved hatcheries and supplied to registered shrimp farmers during the year.
- Four awareness programmes were conducted during the year out of which 3 were in East and West Godavari Districts of Andhra Pradesh in association with All India Shrimp Hatcheries Association (AISHA) and the other in Valsad district of Gujarat. Altogether 750 aqua farmers, hatchery operators and State Fisheries officials of the districts participated.

- An updated version of the Compendium including CAA Act, Rules, Guidelines, Regulations and other related Notifications till March 2014 under 'one fold' was brought out in bilingual (Hindi and English) in order to facilitate all the stake holders to comply with the existing coastal aquaculture laws and regulatory measures notified statute, rules, guidelines and regulations of CAA.

III. A. Activities and Achievements

1. Meetings of the Authority and Committees constituted by the Authority

- During the current year, *i.e.,* from April, 2013 to March, 2014, the CAA convened five regular meetings, in addition to other meetings for specific purposes. The details of the meetings and important decisions taken are summarized in Table 1. Besides approving the applications for registration, the Authority discussed many vital issues such as issue of show cause notices to the permitted hatcheries/farms who are violating the Guidelines of CAA, action against unapproved hatcheries, review of the registration process of hatcheries, monitoring of wastewater discharged from farms and hatcheries, etc.

Authority Meetings in progress

Table 1 : Meetings of the Coastal Aquaculture Authority (April 2013 - March 2014)

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken in the meeting
Forty First Meeting	21st June, 2013 Chennai	• Approved the registration of 472 shrimp farms. • Approved the renewal of registration of 45 shrimp farms. • Permission granted to 40 shrimp farms (WSA – 218.71 ha) to culture SPF *L. vannamei*. • Resolved to set up an expert committee to device a procedure for destruction or disposal of the stock from the unapproved farms and hatcheries. • Resolved to issue closure order to the eight hatcheries which were involved in unauthorized seed production of *L. vannamei*. • Resolved to cancel the registration issued to the four farmers in Pannapudi Lakshmipuram, Vidavalur Mandal, Nellore District, Andhra Pradesh for submitting false information in their applications for registration. • Approved Annual Accounts of CAA for the year 2012-13.
Forty Second Meeting	10th September, 2013 Chennai	• Approved the registration of 308 shrimp farms. • Approved the renewal of registration of 203 shrimp farms. • Permission granted to 8 shrimp farms (WSA –26.7 ha) to culture SPF *L. vannamei*. • Resolved to pursue the proposal for creation of additional posts for the Headquarters and for setting up of Regional Centres providing adequate justification to the Central Government for consideration
Forty Third Meeting	12th November, 2013 Chennai	• Approved the registration of 53 shrimp farms. • Approved the renewal of registration of 32 shrimp farms. • Granted permission to 13 shrimp farms (WSA – 119.58 ha) to culture SPF *L. vannamei*. • Annual Report for the year 2012-13 was approved. • Resolved to form a Technical Committee to examine the feasibility of taking up secondary aquaculture in water discharged from ETS of *L. vannamei* farms.

Forty Third Meeting	12th November, 2013 Chennai	• The report submitted by the Expert Committee to device the procedures to destroy illegal stock of *L. vannamei* in the hatcheries was approved. • Resolved to recommend the proposal of Amendments in the Recruitment Rules of CAA to the DAHD&F after carrying out the suggestions given by the Members for further necessary action. • Resolved that the farmers should submit the valid lease deed of the farms through DLCs to the Authority for registration. • Resolved to issue warning notices to a hatchery in Tamil Nadu and two hatcheries in Andhra Pradesh to strictly adhere to the CAA Rules and Regulations in future. • Resolved to send a warning letter to a hatchery at Marakkanam, Tamil Nadu for violation of LoP issued to them. • Approved to authorize the institutions namely, Abdul Hakeem College, Vellore and College of Fisheries, Thoothukudi, Tamil Nadu and College of Fisheries, Nellore, Andhra Pradesh to collect samples from farms for investigation on disease surveillance on *L. vannamei*.
Forty Fourth meeting	27th December, 2013 Chennai	• Discussed the course of action relating to an office order dated 21.11.2013 issued by MPEDA regarding Early Mortality Syndrome (EMS). • Discussed the issue of operation of TASPARC Hatchery of RGCA under MPEDA *vis-à-vis* the provision of CAA Act/ Rules.
Forty Fifth meeting	27th February, 2014 Chennai	• Approved the registration of 496 shrimp farms. • Approved the renewal of registration of 82 shrimp farms. • Granted permission to 44 shrimp farms (WSA - 92.08 ha) to culture SPF *L. vannamei*. • Approved 44 proposals for registration of hatcheries and permission to import SPF *L. vannamei* broodstock for seed production. • Resolved to endorse the public notice issued by the CAA regarding restricting entry in aquafarms and also decided to implement the public notice with assistance of the concerned State Government.

Forty Fifth meeting	27th February, 2014 Chennai	• Resolved to send back RGCA's application for hatchery registration for resubmission of the same to the CAA as per the production capacity recommended by the Inspection Team and as per norms of CAA for registration of *L. vannamei* hatcheries. • Resolved to request the Ministry not to issue further permission to RGCA for operation of TASPARC Hatchery without CAA registration since any import by the hatcheries should be in accordance with the provisions of the Guidelines for Regulating Hatcheries and Farms for introduction of SPF *L. vannamei*, as notified under the CAA Rules, 2005. • Resolved to reconstitute the Inspection Committee of CAA. • Decided to examine online processing of applications of shrimp farms. • Resolved to approve the 24 Institutions forwarded by the NBFGR, Lucknow for collecting samples from shrimp farms for investigations under Disease Surveillance Project with the condition that there is no duplication of area of work and NBFGR should ensure that the respective Institutions strictly confine the work to their respective areas (Districts) allocated to them. • Approved the proposal received from the Assistant Director of Fisheries, Parangipettai, Cuddalore District, Tamil Nadu for registration of State Fisheries farm at Parangipettai under the guidelines for registration for Government Research Institutes. • Approved the proposal received from CMFRI, Cochin for registration of their research facilities located at Tamil Nadu (Mandapam Regional Centre and Kovalam Field Laboratory of Madras Regional Centre of CMFRI) and Kerala (Vizhinjam and Calicut Research Centres of CMFRI and KVK of CMFRI, Narakkal) under the guidelines for registration for Government Research Institutes. • Resolved to issue LoP to the hatcheries after inspection and to place in the subsequent meeting for post-facto approval in future.

2. Registration of Shrimp Farms

One of the major tasks accomplished by the CAA was the registration of shrimp farms on the recommendations of the State and District Level Committees constituted for this purpose.

- The Authority considered the applications recommended by the DLCs and the SLCs for registration of shrimp farms in its meetings held regularly once in two months and has approved and issued 27,447 registration certificates to shrimp farmers till March 2014 (since inception of the CAA).
- A statement showing the total number of certificates of registration issued by the Authority in all the 12 Maritime States is given in Table 2 and their State-wise and area-wise distribution in terms of number of farms is depicted in Figures 1 and 2.
- The details of registered farms are also made available to the end users in the Authority's website, which is being updated periodically.

Table 2 : Details of Registration Certificates issued by CAA up to 45th Meeting (December 2005 – March 2014)

Sl. No.	Name of States	No. of Farms under Total Area (ha)						Area of Farm	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	1,880	165	6	0	0	**2,051**	2,273	1,525
2	Odisha	5,028	419	27	10	0	**5,484**	7,080	4,543
3	Andhra Pradesh	14,754	1,047	120	52	9	**15,982**	23,252	16,455
4	Tamil Nadu	899	630	131	19	1	**1,680**	4,963	3,428
5	Puducherry	5	1	0	0	0	**6**	22	16
6	Kerala	701	165	15	4	0	**885**	1,729	1,166
7	Karnataka	258	41	2	2	0	**303**	408	315
8	Goa	19	14	1	2	0	**36**	117	85
9	Maharashtra	91	112	23	18	6	**250**	1,996	1,251
10	Gujarat	140	603	8	1	2	**754**	3,436	2,451
11	Daman & Diu	0	12	0	0	0	**12**	60	38
12	A & N Islands	3	1	0	0	0	**4**	22	5
	Total	**23,778**	**3,210**	**333**	**108**	**18**	**27,447**	**45,358**	**31,278**

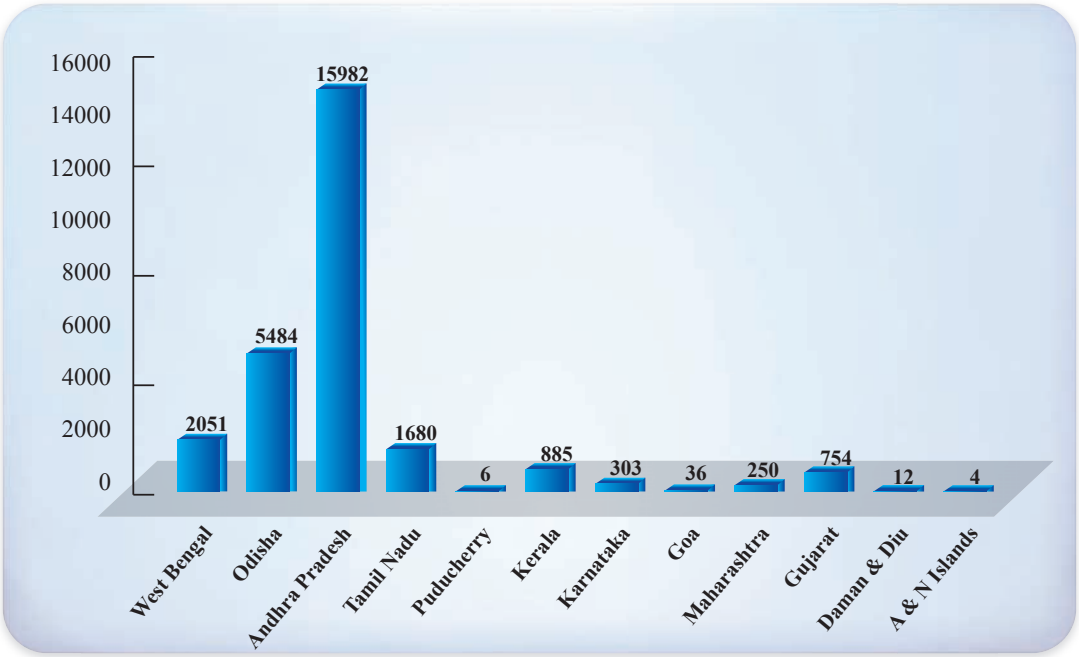

Figure 1
Registration of number of farms (State-wise) in all coastal states from December 2005 to March 2014

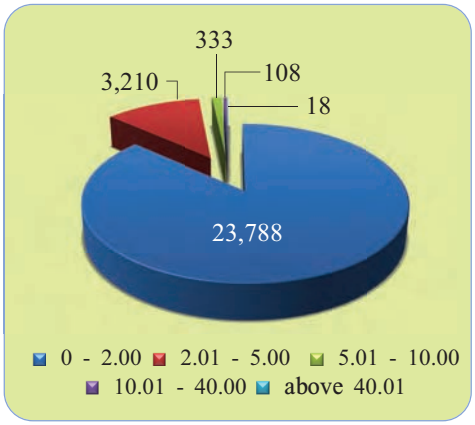

Figure 2 Registration of number of farms (area-wise) in all coastal states from December 2005 to March 2014

- During the year under report (April 2013 to March 2014), the Authority has considered and approved 1,329 applications. The registration certificates were issued and dispatched directly to the farmers and the certificates returned undelivered were sent to the Member Conveners of the SLCs of the States.

- A statement showing the total number of farms registered with the Authority during April 2013 to March 2014 in the 12 Maritime States and UTs is given in Table 3. Charts showing the details of shrimp farms registered with the Authority (State-wise and area-wise) are depicted in Figures 3 and 4.

Table 3 : Details of Registration Certificate issued by CAA during the Current Year (April 2013 – March 2014)

Sl. No.	Name of States	No. of Farms under Total Area (ha)						Area of Farm	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	162	0	0	0	0	**162**	139	84
2	Odisha	681	0	0	0	0	**681**	775	490
3	Andhra Pradesh	206	32	5	4	0	**247**	612	425
4	Tamil Nadu	13	33	3	0	0	**49**	489	152
5	Puducherry	0	0	0	0	0	**0**	0	0
6	Kerala	125	1	0	1	0	**127**	237	123
7	Karnataka	2	1	0	0	0	**3**	7	5
8	Goa	0	0	0	0	0	**0**	0	0
9	Maharashtra	11	0	0	0	0	**11**	14	10
10	Gujarat	1	48	0	0	0	**49**	227	167
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	**0**	0	0
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	Total	**1,201**	**115**	**8**	**5**	**0**	**1,329**	**2,500**	**1,456**

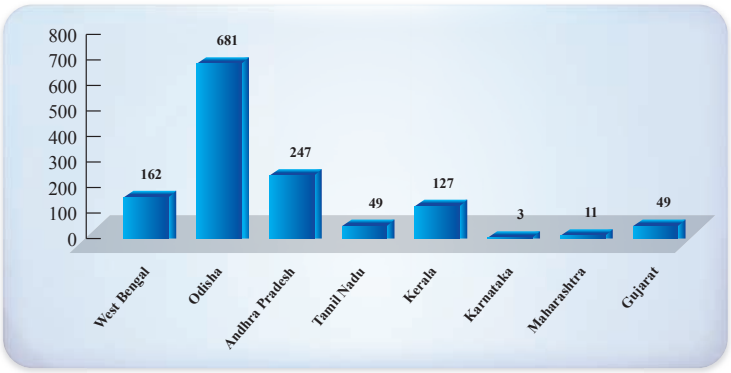

Figure 3 Registration of number of farms (State-wise) in all coastal states during the year 2013-14

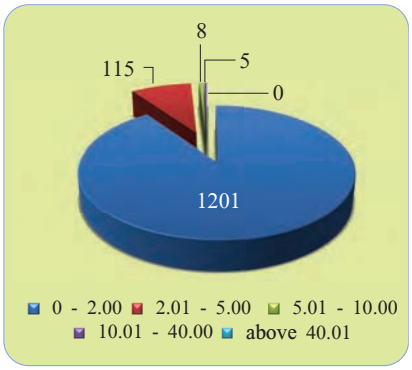

Figure 4 Registration of nunber of farms (area-wise) in all coastal states during the year 2013-14

- The total area of the farms registered (27,447 numbers) up to March 2014 was 45,358 hectares and the water spread area was 31,278 hectares and the total and WSA for the farms registered (1,329 numbers) during the current year were 2,500 hectares and 1,456 hectares respectively as presented in Tables 2 and 3 are depicted in Figures 5 and 6.

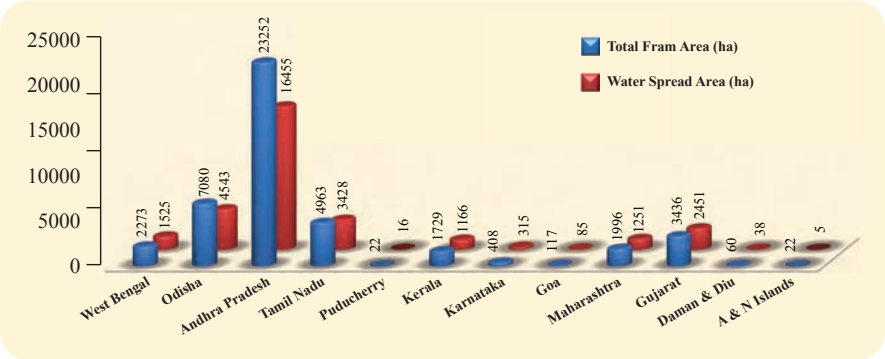

Figure 5
Total and WSA of the farms registered (State-wise) from December 2005 to March 2014

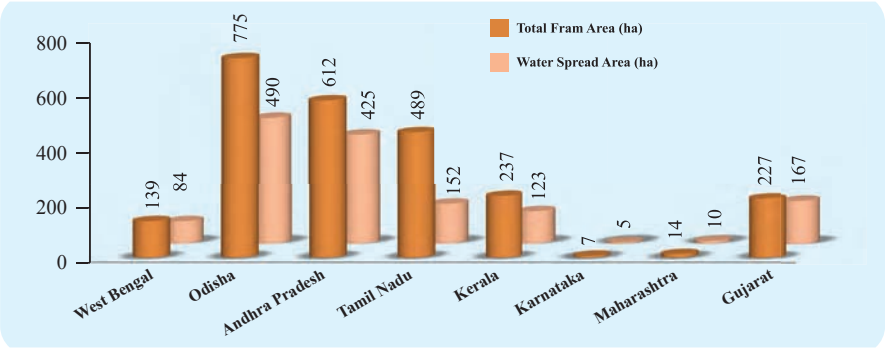

Figure 6
Total and WSA of the farms registered (State-wise) during the year 2013-14

3 Renewal of Registrations of Shrimp Farms

Renewal of registration of coastal aquafarms by the Authority is mandatory after expiry of the period of approval. Renewal of registrations after expiry of 5 years period started during September 2012 and 381 farms with a total area of 1,037.5 hectares (WSA 756.83 ha) were approved for renewal of registration till 2013-14

- During the year, the Authority considered 362 applications for renewal of registration and approved all the 362 farms with a total area of 1,050.83 hactare (WSA 730.46 ha). After approval of the Authority, necessary endorsements were made in the original Registration Certificates of the farms.
- A statement showing the registration of total number of farms renewed with the Authority up to March 2014 in the 12 Maritime States and UTs is given in Table 4 and the State-wise details of renewed farms during the current year (April 2013 to March 2014) are given in Table 5. The State-wise and area-wise details of renewal of registration in terms of number of farms upto march 2014 and during the current year are depicted in Figures 7 and 8.
- Farmers have been advised through public notice as well as through DLCs/ SLCs on the need to renew the registration well before expiry date, as continuing farming activities without renewal would be treated as an unauthorized activity and dealt with penal action for the offence.

Table 4 : Details of Renewal of Registration Certificate issued by CAA during September 2012 – March 2014

Sl. No.	Name of States	No. of Farms under Total Area (ha)					
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total
1	West Bengal	0	0	0	0	0	**0**
2	Odisha	43	2	0	0	0	**45**
3	Andhra Pradesh	6	0	0	0	0	**6**
4	Tamil Nadu	190	12	0	0	0	**202**
5	Puducherry	0	0	0	0	0	**0**
6	Kerala	11	0	0	0	0	**11**
7	Karnataka	13	5	0	0	0	**18**
8	Goa	0	0	0	0	0	**0**
9	Maharashtra	25	0	0	0	0	**25**
10	Gujarat	4	60	0	0	1	**65**
11	Daman & Diu	0	9	0	0	0	**9**
12	Andaman & Nicobar Islands	0	0	0	0	0	**0**
	Total	**292**	**88**	**0**	**0**	**1**	**381**

Table 5 : Details of Renewal of Registration Certificate issued by CAA during April 2013 – March 2014

Sl. No.	Name of States	No. of Farms under Total Area (ha)					
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total
1	West Bengal	0	0	0	0	0	**0**
2	Odisha	43	2	0	0	0	**45**
3	Andhra Pradesh	1	0	0	0	0	**1**
4	Tamil Nadu	176	12	0	0	0	**188**
5	Puducherry	0	0	0	0	0	**0**
6	Kerala	11	0	0	0	0	**11**
7	Karnataka	13	5	0	0	0	**18**
8	Goa	0	0	0	0	0	**0**
9	Maharashtra	25	0	0	0	0	**25**
10	Gujarat	4	60	0	0	1	**65**
11	Daman & Diu	0	9	0	0	0	**9**
12	Andaman & Nicobar Islands	0	0	0	0	0	**0**
	Total	**273**	**88**	**0**	**0**	**1**	**362**

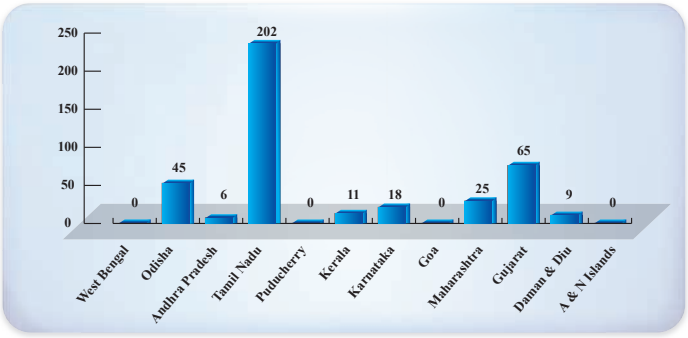

Figure 7 Renewal of number of Registration of farms (State-wise) in all coastal States from September 2012 to March 2014

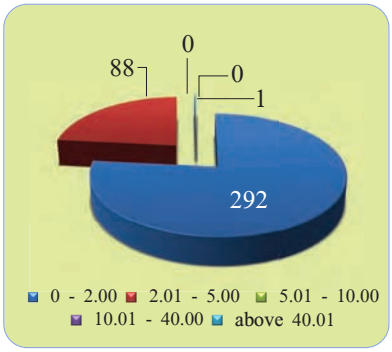

Figure 8 Renewal of number of Registration of farms (area-wise) in all coastal States from September 2012 to March 2014

- Out of the 12 maritime States and UTs, both the registration and renewal of registration of shrimp farms with the Authority during the year took place in 7 States (Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujarat) and registration alone took place in West Bengal and renewal alone took place in Daman & Diu. The area-wise break up are depicted in charts given as Figures 9 to 17 below:

Odisha

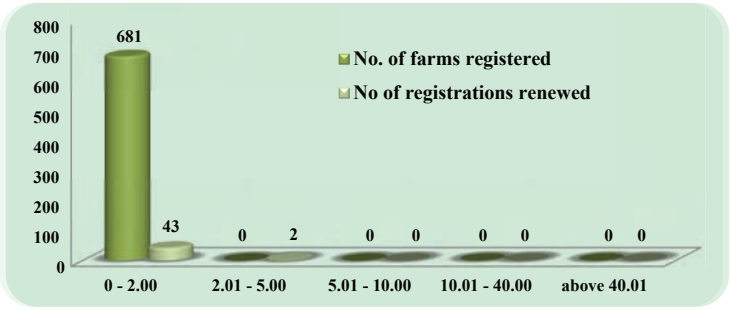

Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	681	43
2.01 - 5.00	0	2
5.01 - 10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Andhra Pradesh

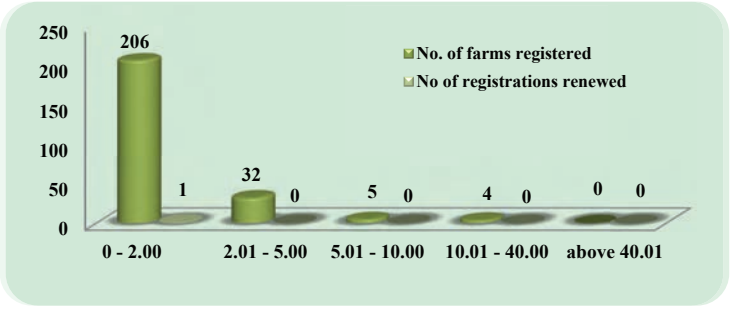

Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	206	1
2.01 - 5.00	32	0
5.01 - 10.00	5	0
10.01- 40.00	4	0
above 40.01	0	0

Tamil Nadu

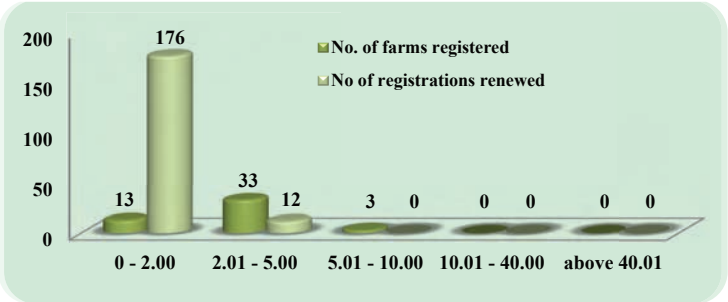

Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	13	176
2.01 - 5.00	33	12
5.01 - 10.00	3	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Kerala

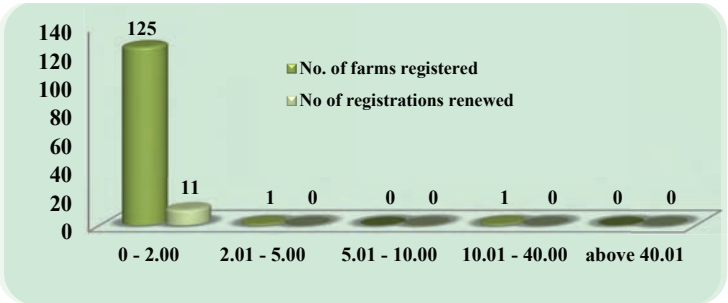

Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	125	11
2.01 - 5.00	1	0
5.01 - 10.00	0	0
10.01- 40.00	1	0
above 40.01	0	0

Karnataka

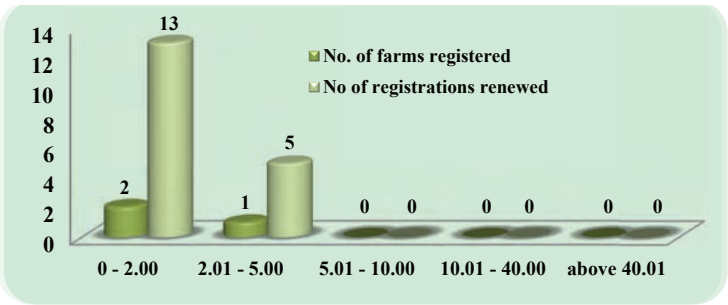

Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	2	13
2.01 - 5.00	1	5
5.01 - 10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Maharashtra

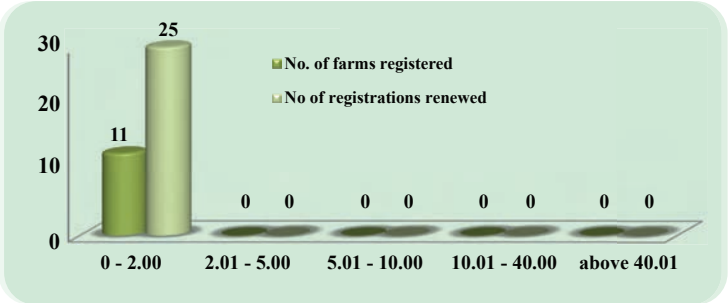

Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	11	25
2.01 - 5.00	0	0
5.01 - 10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Gujarat

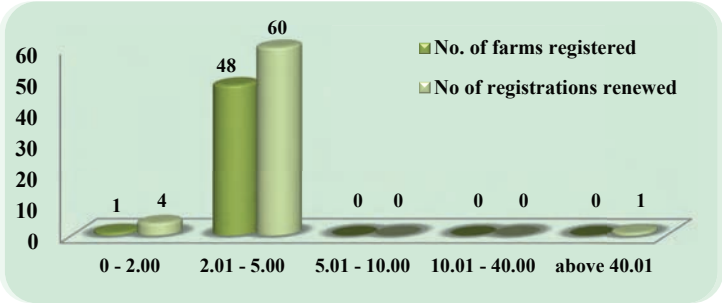

Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	1	4
2.01 - 5.00	48	60
5.01 - 10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	1

West Bengal

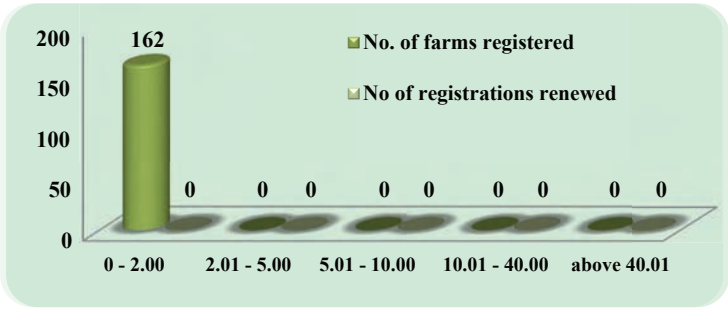

Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	162	0
2.01 - 5.00	0	0
5.01 - 10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Daman and Diu

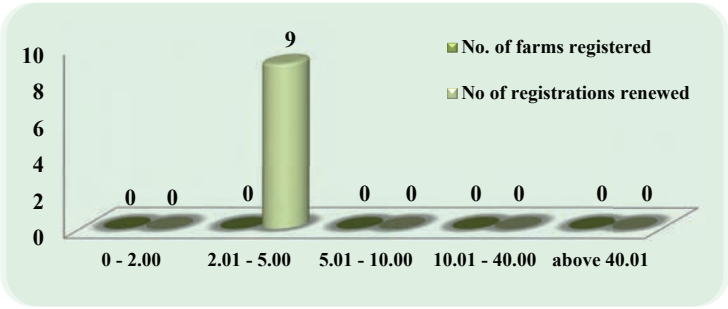

Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	0	0
2.01 - 5.00	0	9
5.01 - 10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

4. Efforts taken by CAA to promote Registration/ Renewal of Aquafarms

- For expediting the process of registration, letters were sent to District Collectors, Secretaries of Fisheries of various coastal States.
- Public Notices were also issued in newspapers on the need to get the coastal aquaculture farms registered with CAA.
- Awareness programmes are organized at regular intervals in most of the coastal states to sensitize the farmers on registration/ renewal of aquafarms for undertaking farming of shrimps (*P. monodon*, SPF *L. vannamei*), finfishes and crabs.

- Organizing workshops and participation in exhibitions connected with coastal aquaculture illustrating the importance of registration / renewal of coastal aquaculture farms with CAA.
- Distribution of brochures / handouts prepared in local languages to aquafarmers and related stakeholders stressing the need for registration of farms to carry out coastal aquaculture. Also, farmer's attention is drawn on the provision for punishment / penalty, if the farms are not registered with CAA.
- Destruction / disposal of the stock from unapproved farms by the Inspection Team.
- Farmers have been advised through public notices in leading newspapers, CAA website as well as through SLCs/ DLCs on the need for farm registration / renewal and the consequences to be faced if not registered.
- Awareness on registration of farms are also created by CAA monitoring team during their field visits.
- The Compendium of CAA Act, Rules, Guidelines and Notifications published by CAA in bilingual (Hindi and English) format during 2006 to facilitate the farmers / stake holders to comply with the notified statute, rules, guidelines and regulations of CAA was updated till March 2014 as a ready reference since several amendments to the rules and guidelines have since been made as well as many new notifications were issued afterwards. The updated version of the Compendium is available in CAA website for utilisation by farmers/ stakeholders.

III. B. SPF *Litopenaeus vannamei* Farming

(i) Selection of SPF *L. vannamei* Broodstock Suppliers

CAA carried out the exercise of short listing and selecting the suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock, based on the genetic base and disease status, by holding intensive discussions with the prospective suppliers in consultation with other related organizations like CIBA, NFDB and MPEDA. The following nine suppliers which were shortlisted for the year 2011-12 continued during 2013-14 also for the supply of broodstock of SPF *L. vannamei*:

1. M/s. Oceanic Institute, Hawaii
2. M/s. Kona Bay Marine Resources, Hawaii
3. M/s. Shrimp Improvement Systems, Florida
4. M/s. SyAqua, Thailand
5. M/s. Vannamei 101 Co.Ltd., (with joint venture), Thailand
6. M/s. Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd., Thailand
7. M/s. Shrimp Improvement Systems Pte. Ltd., Singapore
8. M/s. Shrimp Improvement Systems Pte. Ltd., Hawaii.
9. M/s. High Health Aquaculture Inc., Hawaii

Issue of import permit for the import of broodstock from South East Asian Countries were avoided during the year too due to the outbreak of Early Mortality Syndrome (EMS) / Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS) during 2012-13 and the SPF *L. vannamei* hatchery operators were advised accordingly through a Public Notice dated 29.01.2013.

(ii) Meeting on Shrimp Hatcheries with the Officials of AISHA

A meeting was organized by CAA at Chennai on 20th August, 2013 under the Chairmanship of Justice K. Raviraja Pandian, Chairperson, CAA with the office bearers of All India Shrimp Hatcheries Association (AISHA) in which various issues relating to consortia and operation of hatcheries, breeding problems in SPF *L. vannamei* hatcheries located at certain locations, etc., were discussed. Hatcheries were asked to undertake joint campaign with local authorities, CAA etc., to motivate the farmers to get the farms registered with CAA and not to supply seed to farms not registered with CAA.

(iii) Meeting of the Technical Evaluation Committee on import of Broodstock

The Technical Evaluation Committee had a meeting with hatchery operators on 21st March, 2014 and discussed various issues concerning import of broodstock especially on the annual requirement, quality of broodstock, survival rates, etc. It was decided to increase the broodstock limit by 50% for the year 2014-15 as requested by hatchery operators on account of multiple cropping as well as the likely demand of SPF *L. vannamei* seed in the freshwater / inland farms. It was also agreed to explore the possibilities of finding new source of import of SPF broodstock by calling for expression of interest. Hatcheries were asked to mobilize registration process of coastal aquaculture farms especially for SPF *L. vannamei* culture and not to sell seed to unapproved farms.

(iv) Import of SPF *L. vannamei* broodstock and Seed production in the year 2013-14

- According to the guidelines notified by the Ministry of Agriculture, Coastal Aquaculture Authority was entrusted with the task of granting permission to hatcheries for import of SPF *L. vannamei* broodstock and production of PL for sale. Coastal Aquaculture Authority continued to grant permission to hatcheries for import of SPF *L. vannamei* broodstock and production of PL for sale to CAA approved farms.

Inspection of Hatcheries

- A total of 66 applications were received from the hatchery operators for issuance of new registrations during 2013-14. After scrutinizing the applications, the Inspection Committee constituted by the CAA inspected the hatcheries to evaluate their facilities and ascertain their suitability. On the basis of the recommendations of the Inspection Committee, 44 new hatcheries (36 in Andhra Pradesh and 8 in Tamil Nadu) were given approval by the Authority (in the 45th meeting) for import of broodstock and seed production of SPF *L. vannamei* and the LoPs issued for 2014-15.
- LoPs for the 13 hatcheries approved in the 40th meeting of the Authority held on 19.03.2013 were issued during the current year.
- As per the recommendation of the committee constituted for granting permission to hatcheries, LoPs were renewed for 104 hatcheries out of the 105 hatcheries approved during 2012-13.
- Altogether, the Renewal Letter of Permission were issued to 117 hatcheries (85 in Andhra Pradesh, 27 in Tamil Nadu, 3 in Gujart, 1 in Odisha and 1 in Karnataka) with production capacity of 8,776 million PL / annum were permitted for the year 2013-14 to import the permitted quantity of *L. vannaemi* broodstock and production of seed of SPF *L. vannamei*. The validity of the renewed permit is up to 31.03.2014. The state-wise details of the approved hatcheries with their production capacity are presented in Table 6, their distribution on percentage is given in Figure 18 and the district-wise distribution is depicted in Figure 19.

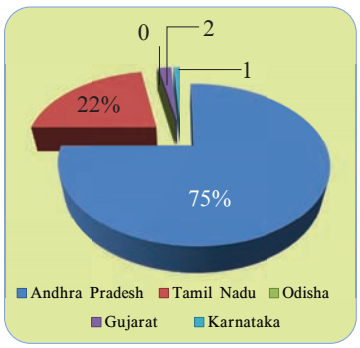

Figure 18 State-wise distribution of L. vannamei hatcheries during 2013-14

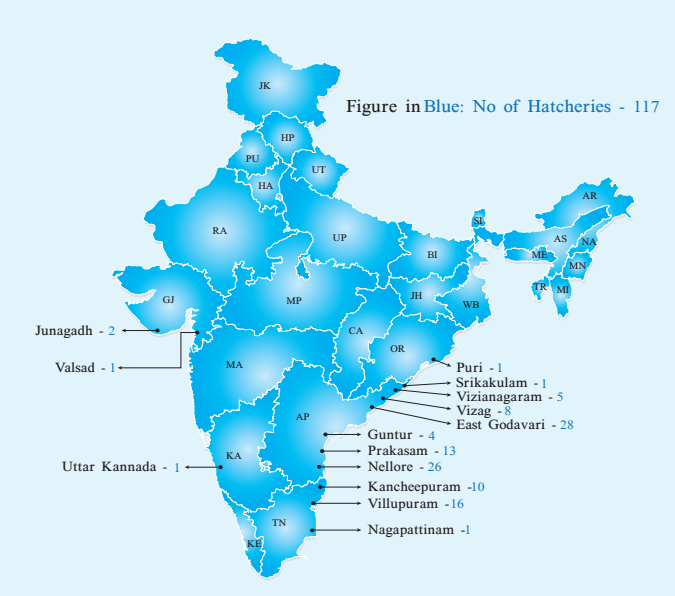

Figure 19 District-wise distribution of permitted L. vannamei hatcheries

Table 6 : State-wise distribution of SPF *L. vannamei* hatcheries approved by CAA

Sl. No	State / Districts	No. of existing hatcheries (Renewed)	Production Capacity (million/ Annum)	No. of hatcheries approved in the 45th meeting	Production Capacity (million/ Annum)	Total No. of hatcheries	Total Production Capacity (million/ Annum)
1	**Andhra Pradesh**						
	a) Vizianagaram	05	470	02	250	07	720
	b) Nellore	26	2,053	07	570	33	2,623
	c) Visakhapatnam	08	548	07	440	15	988
	d) East Godavari	28	1,797	19	1,312	47	3,109
	e) Guntur	04	283	01	30	05	313
	f) Prakasam	13	1,000	-	-	13	1,000
	g) Srikakulam	01	140	-	-	01	140
	Sub Total	**85**	**6,291**	**36**	**2,602**	**121**	**8,893**
2	**Tamil Nadu**						
	a) Villupuram	16	1,440	03	130	19	1,570
	b) Kancheepuram	10	710	04	165	14	875
	c) Nagapattinam	01	50	01	50	02	100
	Sub Total	**27**	**2,200**	**08**	**345**	**35**	**2,545**
3	**Odisha - Puri**	01	90	-	-	01	90
4	**Gujarat**						
	a) Junagadh	02	95	-	-	02	95
	b) Valsad	01	40	-	-	01	40
	Sub Total	**03**	**135**	**-**	**-**	**03**	**135**
5	**Karnataka –** Uttar Kannada	01	60	-	-	01	60
	Total	**117**	**8,776**	**44**	**2,947**	**161**	**11,723**

- The total number of broodstock permitted during the period was 70,208 pairs with a minimum production potential of 8,776 million SPF seeds. But the hatcheries have imported only 52, 818 pairs of broodstock and produced 5,044.748 million seed (PL). The number of *L. vannamei* hatcheries have grown steadily from the commencement of the programme and within a period of five years (July 2009 to March 2014), CAA has approved 161 hatcheries.
- In view of the inadequate space in the aquatic quarantine, permission to sell nauplii to CAA approved hatcheries was granted as per the notification No. G.S.R.280(E) dated 23rd March, 2012, which enabled better utilization of the imported broodstock for PL production, as was done in previous year.

(v) State-wise performance of SPF *L. vannamei* Hatcheries for the year 2013-14

The performance of SPF *L. vannamei* hatcheries based on the data submitted by the hatchery owners in their quarterly reports are presented in Table 7.

Table 7 : Performance of SPF *L. vannamei* hatcheries approved by CAA

Sl. No.	Performance Indicators	Andhra Pradesh	Tamil Nadu	Gujarat	Odisha	Karnataka
1	Number of permitted hatcheries	85	27	3	1	1
2	Production capacity (million/annum)	6,291	2,220	135	90	60
3	Number of broodstocks allotted (pairs)	50,328	17,600	1,080	720	480
4	Total number of spawning	1,14,426	99,347	1,400	0	No reports received
5	Total number of nauplii produced (million)	11,899	8,006	460	40	
6	Total PL produced (million)	3,669	1,157	105	7	
7	Total PL sold (million)	3,128	945	93.7	6	
8	Average survival rate (%) of total PL produced from total nauplii	30.83	14.45	23	17.22	

Andhra Pradesh

The State of Andhra Pradesh ranks 1st with 85 numbers of SPF *L. vannamei* registered hatcheries distributed in East Godavari (28), Nellore (26), Prakasam (13) Visakhapatnam (8), Vizianagaram (5), Guntur (4) and Srikakulam (1) districts. However, the State ranks 2nd in average production capacity per hatchery. Hatcheries in the State imported 38,218 pairs of broodstock and produced 11,899 million nauplii through 1,14,426 spawnings. The State could achieve a production of 3,669 million PL with a survival rate of 30.83% from total nauplii produced.

Tamil Nadu

Tamil Nadu stands 2nd with registration of 27 numbers of SPF *L. vannamei* hatcheries distributed in the districts of Nagapattinam (1), Kancheepuram (10), and Villupuram (16). The State topped the first position in average production capacity per hatchery. These hatcheries have produced 1,157 SPF *L. vannamei* PL through 8,006 million nauplii from 13,470 pairs of broodstock imported. Average survival rate of 14.45% from total nauplii to PL produced was reported in their quarterly reports submitted to CAA.

Gujarat

The 3 numbers of registered hatcheries in Gujarat (Junagadh 2 and Valsad 1) have imported 590 pairs of broodstock and produced 105 million SPF *L. vannamei* seeds from 460 million nauplii obtained from 1,400 spawnings.

Odisha

The state of Odisha is having only one registered hatchery in Puri district. The hatchery produced 7.0 million SPF *L. vannamei* PL from 40 million nauplii with a survival of 17.22 per cent. The hatchery has not imported any broodstock and so the production was based on nauplii brought from neighboring hatchery.

Karnataka

There is only one registered SPF *L. vannamei* hatchery in Karnataka in Uttara Kannada district. The hatchery has not submitted any production details so far and hence its performance could not be assessed.

Biosecurity in hatchery-Fencing

Biosecurity in hatchery-Compound wall and tyre wash

Separate implements in biosecured hatchery

Interior view of a biosecured hatchery

Water treatment and Filtration systems in biosecured hatchery

Biosecurity-Sand filter

Biosecurity-Shower Room

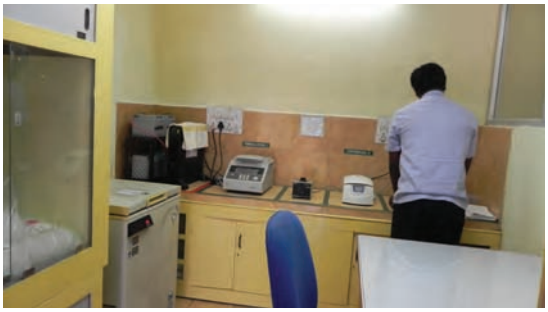

Laboratory in hatcheries

New type of aeration in indoor and outdoor tanks

Biosecurity-ETS in hatcheries

Indoor and outdoor Algal Culture in a hatchery

Outdoor Algal Culture in a hatchery

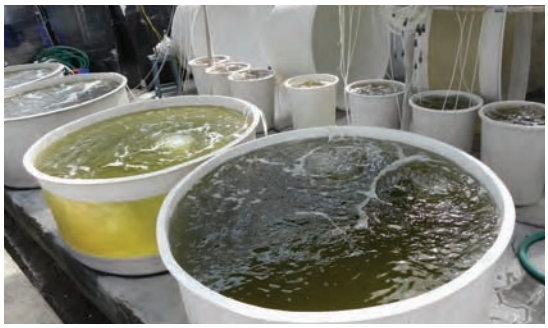

Artemia Section in a hatchery

Early Post larvae

Post larvae

(vi) CAA Chairperson's Visit to Hatchery

Justice K. Raviraja Pandian, Chairperson of the Coastal Aquaculture Authority visited a registered hatchery in the east coast of Tamil Nadu on 04.09.2013 as part of an exercise to supervise the regulatory measure in force for *L. vannamei* hatcheries and also to get acquainted with the hatchery operational techniques involved in seed production. The functioning of biosecurity measures such as facilities for disinfection of vehicle at the entrance, physical separation/ isolation of the various production facilities, independent water treatment facility in each functional unit, restricted entry exclusively to the personnel assigned to work in the respective area through shower/ dressing rooms with designated foot ware, aeration system, ETS, etc., were checked and the biosecurity protocols followed in various production facilities

with regard to quarantine and maintenance of broodstock, spawning, larval rearing, live feed culture (indoor and outdoor algal culture, artemia production) quality control in the production units as well as in the laboratory and counting of seeds, packing and forwarding procedures and the maintenance of records etc., were ascertained. He also suggested to follow the CAA Guidelines strictly in production and supply of quality seeds to the registered shrimp farmers by keeping the SPF status for sustainable development of this sector.

Chairperson CAA getting acquinted in hatchery techniques

Chairperson CAA getting acquinted in hatchery techniques

vii) Action taken against unauthorized *L. vannamei* seed production

In order to carry out the routine monitoring of shrimp hatcheries as well as to inspect hatcheries on specific complaints to ascertain the illegal seed production of *L. vannamei*, the inspection team inspected 15 shrimp hatcheries in East Godavari District of Andhra Pradesh, 2 shrimp hatcheries in Nagapattinam District of Tamil Nadu and one hatchery in Odisha.

During these visits, the team observed broodstock of *L. vannamei* and larval stages produced with pond reared broodstock in one hatchery in Konapapeta Village, U. Kothapalli Mandal, East Godavari District, Andhra Pradesh and another hatchery in Thoduvai, Thirumullaivasal Village, Sirkali Taluk, Nagapattinam District, Tamil Nadu. The unauthorized stocks were destroyed by the team as per the guidelines given in G.S.R.280(E) dated 23rd March 2012 notified by the Ministry of Agriculture.

Inspection of unauthorized hatcheries

(viii) Permission to shrimp farms to culture SPF *L. vannamei*

The inspection Team constituted by CAA for inspection of farms inspected 802 farms for granting permission to culture SPF *L. vannamei* till March 2014. The biosecurity requirements stipulated for SPF *L. vannamei* culture on the following aspects were verified by the team:

i. peripheral fencing of farms;
ii. crab fencing;
iii. water intake reservoirs;
iv. installation of bird netting/ bird scares;
v. Effluent Treatment System (ETS).

Inspection of L. vannamei Farms

View of a biosecured L. vannamei farm

Watchman Shed and tyre wash in a farm

Biosecurity-Farm and Crab Fencing

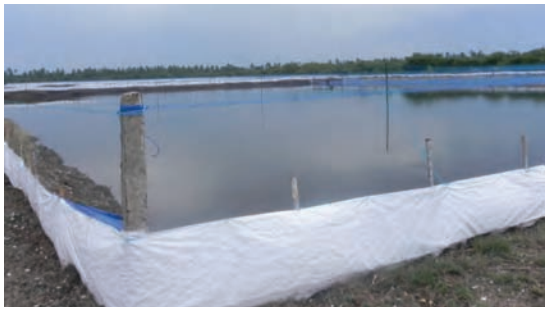

Crab Fencing in biosecured farm

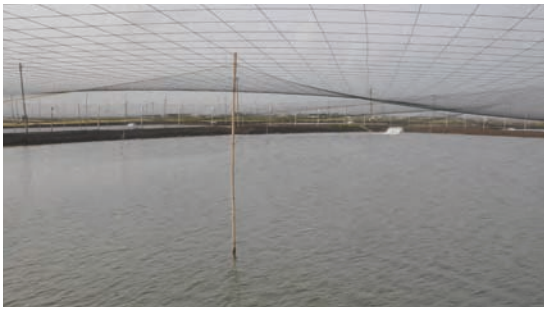

Biosecurity-Bird netting in a farm

Biosecurity-Bird Scare

Reservoir for water treatment

ETS for wastewater treatment

GAqP-Aeration by Paddle wheels / Turbo

GAqP-Farm with Fencing and Observation Tower

On the basis of the recommendations of the Inspection team, further scrutinisation is done at the level of Member Secretary CAA, after which the proposals are placed before the Authority for consideration. After the approval by CAA, the LoPs are issued to the farmers.

During the year under report (2013-14), the Authority has approved 105 farms with water spread area of 457.04 ha out of which 101 farms with water spread area of 442.74 ha were issued LoPs for SPF *L. vannamei* farming and the remaining four farms were kept pending for want of renewal of registration. The State-wise details of the farms for which LoPs were issued are given in Table 8, and their percentage distribution depicted in Figure 20. The area-wise distribution of farms in different states is depicted in Figure 21.

Table 8 : State-wise details of permission of SPF *L. vannamei* farms from April 2013 to March 2014

Sl. No	Name of the State	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	05	129.89	73.83
2	Tamil Nadu	10	58.28	43.12
3	Gujarat	12	104.00	75.21
4	Maharashtra	07	135.13	84.41
5	Karnataka	01	8.40	4.93
6	Odisha	63	270.12	153.86
7	Goa	2	7.20	5.38
8	Puducherry	0	0	0
9	Daman & Diu	0	0	0
10	West Bengal	01	3.00	2.00
	Total	**101**	**716.02**	**442.74**

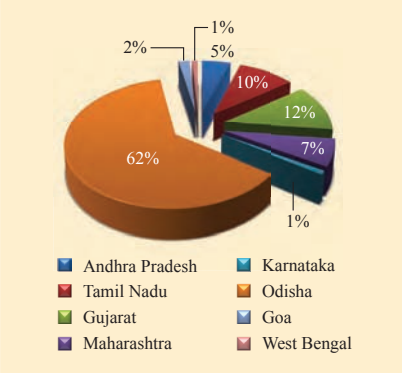

Figure 20 Percentage distribution of CAA approved L. vannamei farms for the year 2013-2014

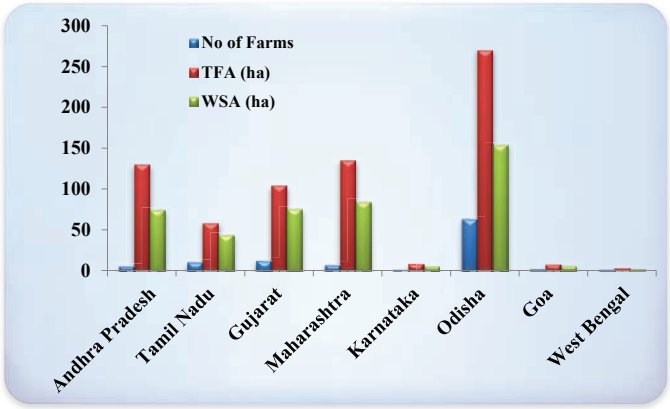

Figure 21 Details of L. vannamei farms permitted in the current year

CAA has approved and issued LoPs to 903 SPF *L. vannamei* farms till March 2014, covering a total area of 9,152.06 hectares (WSA 6,160.40 hectares). The State-wise details of the farms are presented in Table 9, their percentage distribution is depicted in Figure 22 and area-wise distribution in different States is depicted in Figure 23.

Table 9 : State-wise details of permission of SPF *L. vannamei* farms from December 2009 to March 2014

Sl. No	Name of the State	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	585	5,666.50	3,900.71
2	Tamil Nadu	123	1,044.82	718.17
3	Gujarat	51	651.87	453.17
4	Maharashtra	36	1,133.03	684.38
5	Karnataka	18	56.30	43.13
6	Odisha	79	488.36	286.50
7	Goa	6	31.11	22.09
8	Puducherry	1	17.07	11.85
9	Daman & Diu	3	60.00	38.40
10	West Bengal	1	3.00	2.00
	Total	**903**	**9,152.06**	**6,160.40**

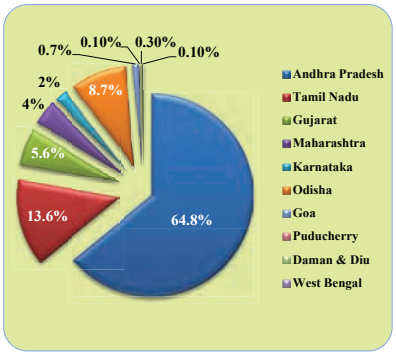

Figure 22 Percentage distribution of approved L. vannamei farms from December 2005 to March 2014

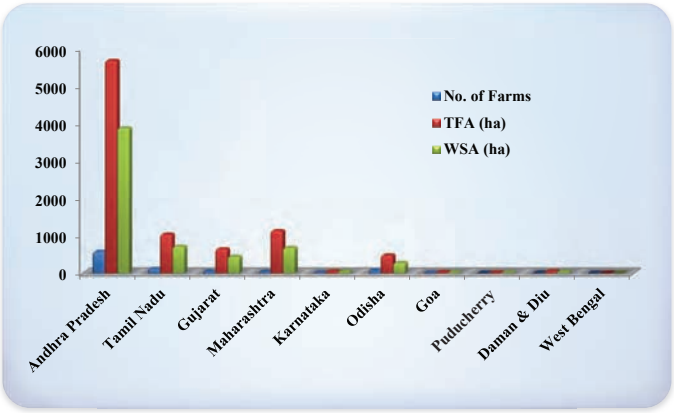

Figure 23 Details of L. vannamei farms permitted from December 2005 to March 2014

The growth of *L. vannamei* farms in terms of number of LoPs issued in all coastal States during the years 2009-10 to 2013-14 is presented in Table 10; growth in terms of area under culture is depicted in Figure 24 and the State-wise growth during the period is given in Figure 25. The district-wise distribution of *L. vannamei* farms as on March 2014 is given in Figure 26.

Table 10 : Number of LoPs issued for SPF *L. vannamei* Farming in all coastal States during the years 2009-10 to 2013-14

Sl. No.	Name of the State	2009 - 10			2010 - 11			2011 - 12		
		No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	87	1,236.3	815.4	105	1,205.9	833.2	129	1,619.8	1,118.9
2	Tamil Nadu	6	90.1	55.4	32	324.2	203.4	41	276.9	213.8
3	Gujarat	4	146.0	78.0	6	125.0	97.0	18	172.5	128.6
4	Maharashtra	10	272.5	168.6	3	152.0	91.5	3	89.6	31.0
5	Karnataka	0	0	0	16	47.0	37.4	1	0.9	0.8
6	Odisha	0	0	0	5	140.1	83.8	0	0	0
7	Goa	0	0	0	1	5.6	2.8	0	0	0
8	Puducherry	0	0	0	0	0	0	1	17.1	11.9
9	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	West Bengal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**107**	**1,744.9**	**1,117.4**	**168**	**1,999.8**	**1,349.1**	**193**	**2,176.8**	**1,505.0**

Table 10 cont...

Sl. No.	Name of the State	2012 - 13			2013 - 14			Total		
		No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	259	1,463.5	1,059.3	05	129.89	73.83	585	5,666.50	3,900.71
2	Tamil Nadu	34	294.5	202.5	10	58.28	43.12	123	1,044.82	718.17
3	Gujarat	11	104.4	74.4	12	104.0	75.21	51	651.87	453.17
4	Maharashtra	13	488.8	308.9	07	135.13	84.41	36	1,133.03	684.38
5	Karnataka	0	0	0	1	8.4	4.93	18	56.30	43.13
6	Odisha	11	78.2	48.9	63	270.1	153.86	79	488.36	286.50
7	Goa	3	18.3	13.9	2	7.2	5.38	6	31.11	22.09
8	Puducherry	0	0	0	0	0	0	1	17.07	11.85
9	Daman & Diu	3	60.0	38.4	0	0	0	3	60.00	38.40
10	West Bengal	0	0	0	1	3.0	2.00	1	3.00	2.00
	Total	**334**	**2,507.7**	**1,746.3**	**101**	**716.02**	**440.74**	**903**	**9,152.06**	**6,160.40**

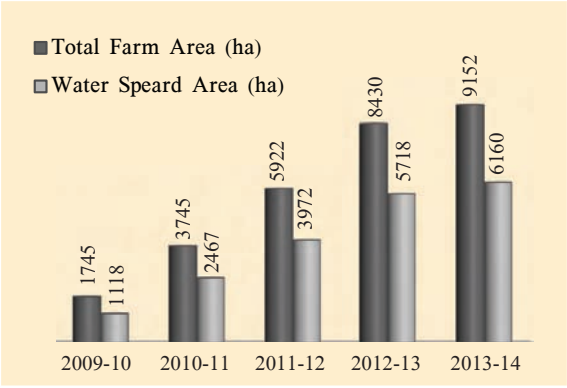

Figure 24 Growth of L. vannamei farms in terms of area during the years 2009-10 to 2013-14

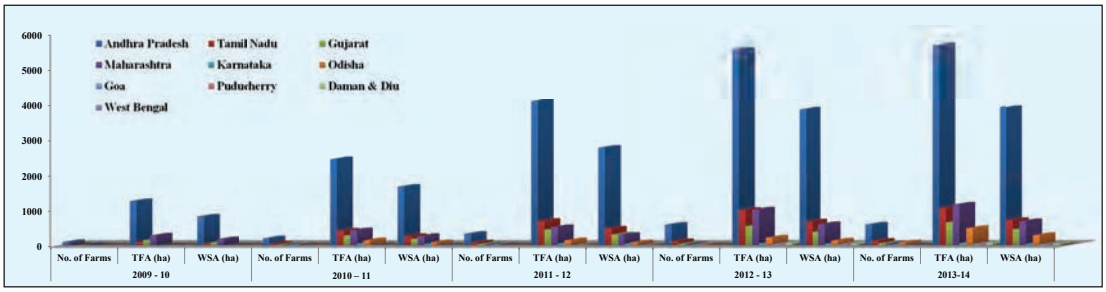

Figure 25 State-wise growth of L. vannamei farms during December 2009 to March 2014

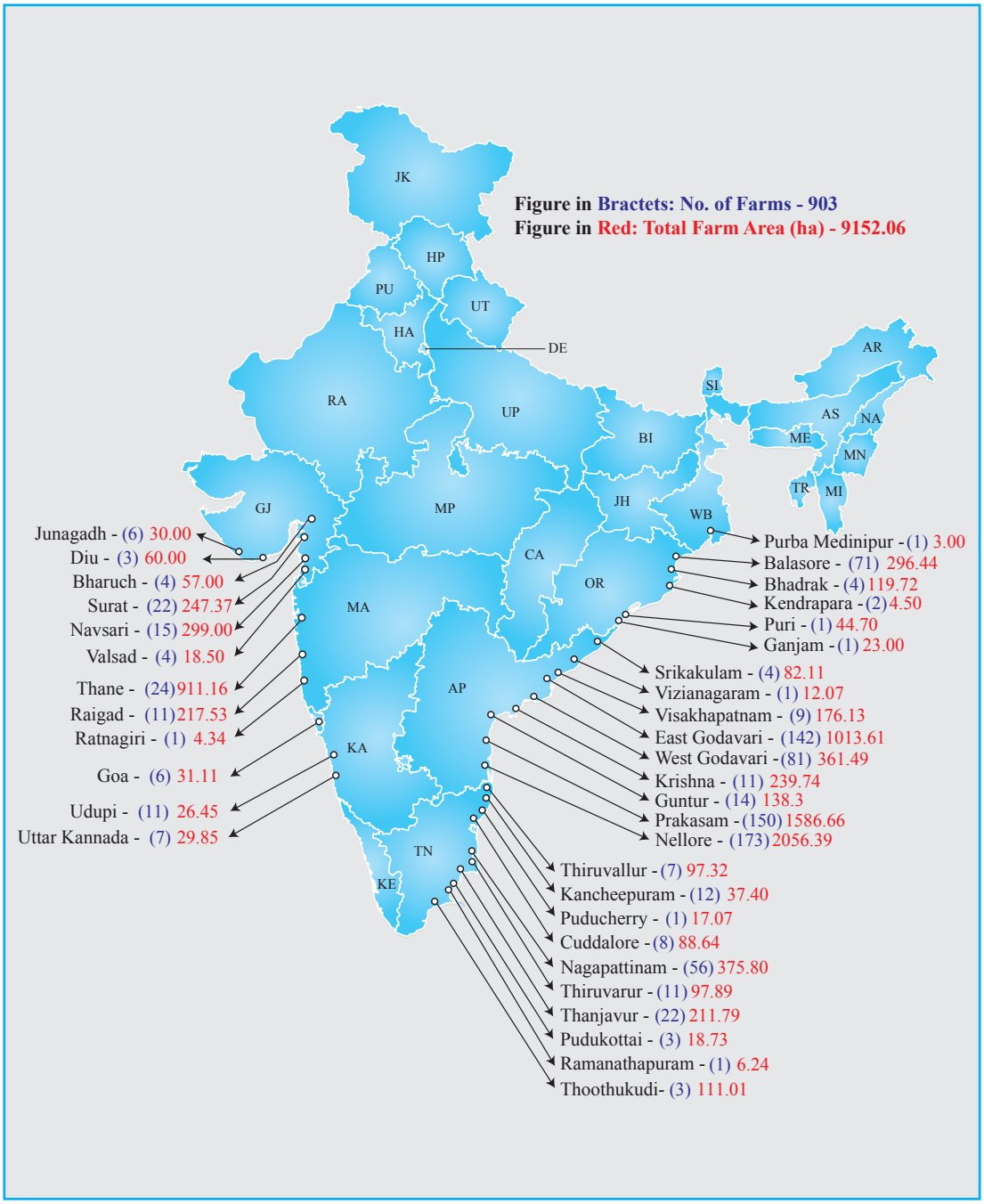

Figure 26 District-wise distribution of L. vannamei farms as on March 2014

(ix) State-wise performance of *L. vannamei* farming

Andhra Pradesh

The state of Andhra Pradesh recorded the highest number (585) of *L. vannamei* farm registrations with total farming area of 5,666.50 ha (WSA of 3,900.71 ha). In this state, farms are located in the districts of Nellore, East Godavari, Prakasam, West Godavari, Guntur, Krishna, Visakhapatnam, Srikakulam and Vizanagaram. Though the State ranks 1st in terms of number of farms registered, it ranks 3rd in terms of area developed per farm (average 9.7 ha). The performance of SPF *L. vannamei* culture analysed based on the data submitted by the farmers through their quarterly reports is as given below:

Sl. No	Performance Indicators	Range	Average
1	Stocking density (million/ha)	0.11 - 0.47	0.30
2	Days of culture (DOC)	85.00 - 165.00	125.00
3	Rate of survival (%)	80.00 - 98.00	88.00
4	Average body weight (g)	20.00 - 35.00	29.00
5	Yield (MT/ha)	10.00 - 17.50	12.25
6	FCR	1.30 - 1.80	1.50

Tamil Nadu

SPF *L. vannamei* farming in Tamil Nadu is carried out in 123 farms registered with CAA having total farm area of 1,044.82 ha and WSA of 718.17 ha. This State ranks 3rd in registration of *L. vannamei* farms located mainly in Pudukottai, Thanjavur, Thiruvarur, Nagapattinam, Cuddalore, Thiruvallur and Kancheepuram districts. However, it ranks 4th in terms of area developed per farm (average 8.5 ha). The performance of *L. vannamei* farming in the State as per quarterly reports submitted by the farmers is given below:

Sl. No	Performance Indicators	Range	Average
1	Stocking density (million/ha)	0.19 - 0.69	0.44
2	Days of culture (DOC)	90.00 - 130.00	110.00
3	Rate of survival (%)	80.00 - 97.00	88.30
4	Average body weight (g)	20.00 - 32.00	25.23
5	Yield (MT/ha)	6.42 - 15.00	10.82
6	FCR	1.20 - 1.70	1.48

Gujarat

SPF *L. vannamei* farms registered in Gujarat is 51 with total farm area of 651.87 ha and WSA of 453.17 ha. Though the State ranks 4th in terms of number of farms approved, it ranks 2nd in terms of area developed per farm (average 12.9 ha). SPF *L. vannamei* farms in Gujarat are located mainly in Valsad, Navsari, Surat and Bharuch districts. The performance of *L. vannamei* farming on the basis of quarterly reports submitted by the farmers is given below:

Sl. No	Performance Indicators	Range	Average
1	Stocking density (million/ha)	0.43 - 0.53	0.40
2	Days of culture (DOC)	85.00 - 175.00	130.00
3	Rate of survival (%)	75.00 - 98.00	88.00
4	Average body weight (g)	19.00 - 32.00	27.00
5	Yield (MT/ha)	9.33 - 17.00	11.36
6	FCR	1.10 – 1.60	1.30

Maharashtra

The number of farms registered in this State is 36 with a total farm area of 1,133.03 ha and water spread area of 684.38 ha. Maharashtra, though ranks 2nd in terms of number of farms registered, it ranks 1st in terms of area developed per farm (average 31.6 ha). *L. vannamei* farms in the State are located mainly in Thane, Raigad and Ratnagiri districts. The performance of SPF *L. vannamei* farming in the State based on the quarterly reports submitted by the farmers is as given below:

Sl. No	Performance Indicators	Range	Average
1	Stocking density (million/ha)	0.43 - 0.53	0.40
2	Days of culture (DOC)	85.00 - 175.00	130.00
3	Rate of survival (%)	75.00 - 98.00	88.00
4	Average body weight (g)	19.00 - 32.00	27.00
5	Yield (MT/ha)	9.33 - 17.00	11.36
6	FCR	1.30 - 1.50	1.40

Karnataka

The number of SPF *L. vannamei* farms registered in Karnataka state is 18, having total farm area of 56.30 ha and water spread area of 43.13 ha. This State ranks 6th in terms of registration having the farms located in the districts of Udupi and Uttar Kannada. The performance of SPF *L. vannamei* culture in this State is as given below:

Sl. No	Performance Indicators	Range	Average
1	Stocking density (million/ha)	0.13 - 0.27	0.21
2	Days of culture (DOC)	90.00 - 137.00	117.00
3	Rate of survival (%)	80.00 - 98.40	93.00
4	Average body weight (g)	19.00 - 35.00	27.30
5	Yield (MT/ha)	7.40 - 16.50	10.50
6	FCR	1.30 - 1.50	1.40

Odisha

The total number of *L. vannamei* registered farms in Odisha is 79 with total farm area of 488.36 ha and water spread area of 286.50 ha. This State ranks 5th in terms of registration of farms as well as in terms of area developed per farm (average 6.2 ha). *L. vannamei* farms in this State is located mainly in Balasore, Bhadrak and Puri districts. The performance of *L. vannamei* farming in Odisha as per the quarterly reports submitted by the farmers is as given below:

Sl. No	Performance Indicators	Range	Average
1	Stocking density (million/ha)	0.24 - 0.33	0.30
2	Days of culture (DOC)	90.00 - 127.00	115.00
3	Rate of survival (%)	78.00 - 98.00	92.00
4	Average body weight (g)	18.00 - 31.00	25.00
5	Yield (MT/ha)	7.00 - 12.05	9.70
6	FCR	1.20 - 1.40	1.30

Goa

The registered *L. vannamei* culture farms in Goa is 6 with total farm area of 31.11 ha and water spread area of 22.09 ha, the farms are located mainly in Ponda district. In the absence of full quarterly reports, it was not possible to assess the performance of *L. vannamei* culture in the state.

Puducherry

There is only one registered *L. vannamei* farm in Puducherry with total farm area of 17.07 ha and water spread area of 11.85 ha located in Karaikal District. Data on *L. vannamei* culture in the farm is available for only one crop and so the performance of the farm could not be evaluated for the year.

West Bengal and Daman & Diu Administration

West Bengal has only one registered SPF *L. vannamei farm* (TFA 3.0 ha and WSA 2.0 ha) and Daman & Diu Administration has three registered farms (60.0 ha and WSA 38.40 ha). As the farmers of these farms have not submitted any reports so far, culture details in these states could not reflected for the year.

GAqP-Filtration of water at intake

GAqP-Farm Lining

GAqP-Foot / Hand Dip

GAqP-Preparation of Probiotics

GAqP-Wase disposal

GAqP-Stacked Feed

(x) Action taken against the Unapproved farms for *L. vannamei* culture

On the basis of a complaint received by the Hon'ble Chairperson of CAA, the inspection team authorized by CAA inspected a farm in Ariyakuttithevan Village, Peravurani Taluk, Thanjavur District, Tamil Nadu on 05.09.2013. As the team conformed unauthorized culture of *L. vannamei* in the farm, the team destroyed the stock under the Clause 6, Part II-Sec3(i) of

CAA Notification No.G.S.R.280(E) dated 23rd March and the dead shrimp buried in an earthen pit away from the farm. The matter was discussed in the 43rd meeting of the Authority when it was resolved to issue warning letter to the farmer. However, as directed by the Chairperson, CAA the letter was issued to the farmer on 11.12.2013.

Destruction of unauthorized culture of L. vannamei in progress

Burial of of L. vannamei destructed in an unauthorized farm in progress

(xi) Production of SPF *L. vannamei*

Farming of *L. vannamei* started in the country during December 2009 and till the end of the current year (31.03.2014) a total number of 903 farms were approved by CAA to culture SPF *L. vannamei* with water spread area (WSA) of 6,160.40 ha. SPF *L. vannamei* production in these farms averaged 10.6 MT/ha/yr (range 6.42-17.50 MT/ha). The increase in productivity in *L. vannamei* farms impacted the overall productivity in shrimp sector as well as the export of shrimps from India.

The stocking density in these farms ranged from 0.11-0.69 million/ha and the duration of culture varied from 85 to 175 days (average 119 days). *L. vannamei* shrimps have grown to an average body weight of 26.80 g (ranged from 18.0 g to 35.0 g) with an average 90% survival rate (ranged from 75-98%). The production in these farms ranged from 6.2 to 17.5 MT/ha (average of 11.0) with an average Food Conversion Ratio (FCR) of 1.40 (ranged between 1.2-1.8).

Farm-fresh harvested L. vannamei

GAqP Post Harvest Care of the produce

(a) Cluster farming of SPF *L. vannamei*

Cluster farming system introduced by CAA facilitated farmers having small farm holdings also to take up SPF *L. vannamei* culture by having common ETS and biosecurity measures. Out of the 903 farms (total farm area 9,152.06 ha) registered by CAA as on 31.03.2014, 546 are cluster farms accommodating 2,509 numbers of small farm holdings with total farm area of 5,199.40 ha. The cluster farms formed 60.5% of the total number of farms registered as on 31.03.2014 with 43.15 % of the total area of farming (Figure 27).

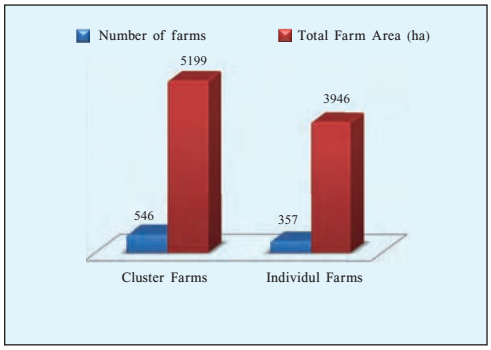

Figure 27 Cluster Farming in L. vannamei

(xii) Monitoring of *L. vannamei* Hatcheries/ Farms

Regular monitoring of shrimp hatcheries and farms by the monitoring team authorized by CAA is carried out by visiting the approved farms/ hatcheries at regular intervals to avoid negative social and environmental impacts related to farming, such as water pollution, spreading of disease, escapes, habitat/ social impacts, etc., to surrounding communities. The status of biosecutity in the hatcheries/ farms, production methods, performance, water quality in the culture systems, health of seeds/ shrimps, environmental problems if any due to the operation are assessed. Wastewater samples discharged from the permitted hatcheries and farms were

also collected from final discharge point of ETS inorder to test and ensure that wastewater parameters conform to the standards prescribed by CAA.

- During the year 2013-14, CAA monitoring team altogether visited 70 hatcheries (31 in Andhra Pradesh, 38 in Tamil Nadu and one in Odisha) permitted by CAA.
- Analysis of wastewater samples collected at the final discharge point of ETS of the said hatcheries conform to the wastewater quality standards prescribed by CAA, except in 16 hatcheries where the wastewater quality exceeded the CAA standards. These hatcheries were cautioned by serving warning letters. CAA also directed the owners of the hatcheries to carry out modifications in their ETS to minimize the impacts of organic load.
- The production facilities were inspected and the records/ registers were also verified and the details on the quantity of broodstock imported, their source, mortality if any, egg, nauplii, number of post larvae produced/ sold, name and address of the farmer to whom the seeds were sold, date and number of the valid CAA registration of hatcheries/ farms; quantity of shrimp produced, sold, name and address of the processor to whom sold etc., in farms as detailed in the Guidelines were checked. The farmers/ hatchery operators were reiterated to maintain proper records as per the Guidelines and submission of regular reports to CAA as required. Also, the farmers were advised to adopt responsible, ecologically and economically sustainable aquaculture practices and in the production of safe and quality aquaculture products. Good aquaculture practices (GAqPs) including application of site specific probiotics were also suggested.

Strict regulation in identifying the broodstock suppliers, the import procedures and the quarantining of the broodstock ensured that *L. vannamei* broodstock imported in the country so far are free of OIE listed pathogens. Similarly approval of hatcheries and farms after ensuring biosecurity facilities that are adequate and regular monitoring to ensure that the guidelines are properly implemented and wastewater quality parameters discharged from ETS of farms and hatcheries conform to the standards prescribed by CAA etc., have enabled the shrimp farming sector to avoid diseases especially the Early Mortality Syndrome (EMS), though, it has devastated shrimp farms in the neighbouring South East Asian countries.

Monitoring in hatcheries in progress

Check tray monitoring

Biological monitoring in a shrimp farm

Verifying the records during Monitoring

Collection of wastewater samples for analysis

IV. Water Quality Monitoring Laboratory

A water quality monitoring laboratory has been established in the Technical section of CAA at Vepery for regular monitoring of the wastewater from hatcheries and farms to ensure that they are within the standards prescribed by CAA Act and Rules. The laboratory is fully equipped with the installation of instruments such as CHNSO Analyzer, Spectrophotometer, Nitrogen Kjeltec-Distillation Unit, Multiparameter water quality sondes, Millipore titration system, BOD Incubator, COD Analayser and Gas Chromatography – Mass Spectrum with Head Sampler (GC – MS) apart from other equipment required for water quality monitoring.

Analysis of wastewater sample in progress

V. Website updation

The website of CAA *viz.,* www.caa.gov.in is uploaded through National Informatics Centre, Chennai. Data are viewed globally and buyers in abroad get the full details of shrimps for traceability. Shrimp farmers and hatchery operators access the website to get the application forms and full information on guidelines for registration and for farming and seed production. Detailed information are furnished which are frequently updated in order to regulate the coastal aquaculture activities with a view to protect the coastal environment and livelihood of coastal people. The website also furnishes full details on the modalities for registration and renewal of aquafarms/ hatcheries, details on District and State level Committees (DLCs & SLCs), regulation for shrimp hatcheries, import of broodstock, aquatic quarantine, shrimp farms and cultivation of SPF *L. vannamei* and SPF *P. monodon* shrimps. Further, the website provides information on the CAA Act, Rules, Regulations and Guidelines of the Authority; powers and functions of the Authority and also budget and accounts. The list of members appointed by the Central Government and the various Committees set up by the Authority etc., are also given in the website.

CAA has updated the data base on registration and renewal of shrimp farms and hatcheries in the website through which details of registered farms and hatcheries are made available to the end users and the data base is being updated periodically. All the publications, documents, notifications, circulars, advertisements, etc., of CAA and other important matters of public interest are also available in the web site in downloadable format and they are also updated regularly. CAA website also contains various forms for registration/ renewal of aquafarms/

hatcheries, quarterly compliance report, reservation of space in aquatic quarantine, biological sampling for testing antibiotics, list of banned antibiotics, wastewater quality standards etc., are also given in user-friendly format enabling the end users to download and utilize as per their requirement.

The new concept of Online Registration of aquafarms/ hatcheries through CAA web site is also under construction for the benefit of farmers/ hatchery operators.

VI. Updated version of the Compendium of CAA Act, Rules, Guidelines and Regulations

The shrimp farming sector during nineteen eighty's witnessed a boom resulting in many entrepreneurs opting for setting up of hatcheries, feed mills and integrated farms in many parts of the coastal states. In order to facilitate all the stake holders to comply with the notified statute, rules, guidelines and regulations of CAA, a Compendium of CAA Act, Rules, Guidelines and Notifications was published by CAA during 2006. As several amendments to the rules and guidelines have since been made as well as many new Notifications were issued afterwards, an updated version of the Compendium including CAA Act, Rules, Guidelines, Regulations and other related Notifications till March 2014 under 'one fold' was brought out in bilingual (Hindi and English) format. As this Compendium provide the required information relating to the existing coastal aquaculture laws and regulatory measures that are in force as a ready reference, it would benefit all stakeholders and planners involved in this activity and also educate / create the required awareness to comply with the legislative provisions towards achieving the goal of social, economic and environmental sustainability in the field of coastal aquaculture in the country.

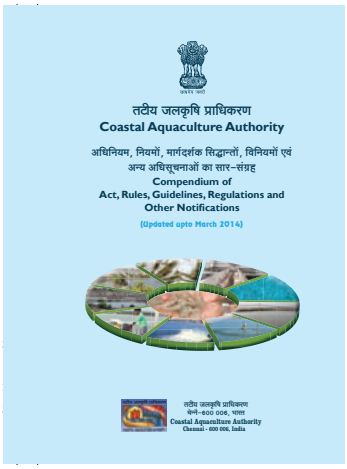

Updated version of the Compendium of CAA Act, Rules, Guidelines and Regulations

VII. Proposal for creation of Regional Centres and Additional Posts for CAA

As per the decision taken in the 42nd meeting of CAA held on 10.09.2013, a proposal to set up Regional Centres with the required staff at the regional centres and also to strengthen the headquarters at Chennai with additional posts, was prepared and submitted to the Department of Animal Husbandry and Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture, Government of India.

VIII. Setting up of CAA Headquarters at Chennai

The Coastal Aquaculture Authority under CAA Act, 2005 is functioning with its Headquarters at Chennai. At present, the Authority is functioning in a small portion of the Shastri Bhawan Annexe in Haddows Road, Chennai - 600 006 and the space allotted is hardly adequate to meet

the current demands. Therefore, the Technical Section of the Authority is functioning in a rented building in Vepery. Efforts are underway either to get a suitable government accommodation or to take up suitable private accommodation to accommodate the entire sections at one place.

IX. Implementation of Offical Language (Hindi) in CAA

CAA is promoting implementation of official language by imparting training to their staff through the Hindi Teaching Schemes of the Central Government.

- A staff member of the Authority has attended the PRABODH Course and successfully completed during 2013-14.
- Three staff member of the Authority were attending the PRABODH Course since November 2013 and their studies were in progress during the year.

CAA observed Hindi Week during 24.09.2012 to 30.09.2013. A special session was organized on 30.09.2013 to impart training to the staff members of the Authority by availing the service of the Hindi Translator from Fishery Survey of India, Chennai. Also, during the Week two competitions were conducted on the curriculum *viz.* (i) Word Meaning and (ii) Speaking in Hindi and awards were presented to the successful officers / staff. A total of eleven staff members participated in the competitions enthusiastically.

Hindi week observed in CAA

X. Outreach Activities of CAA

(i) Participation in Fairs / Exhibitions

- CAA participated in the "Tamil Nadu Fish Festival-2013" organized by the Directorate of Fisheries, Government of Tamil Nadu during 9 - 12 May 2013 at the Island Grounds (War Memorial entry), Chennai.
- A stall was put up in the event and posters depicting the objectives, functions and activities of CAA and also highlighting the mandate, functions and also Good Aquaculture Practices (GAqPs) to be adopted by the shrimp farmers / hatchery operators including awareness on abuse of antibiotics, chemicals and drugs in aquaculture and guidelines and biosecurity requirements for SPF *L. vannamei* seed production and farming were displayed in the stall for the benefit of the farmers and hatchery operators.

- Live animals of commercially cultivable species such as *L. vannamei*, *P. monodon* and *Lates calcarifer* (Seabass) were also maintained in the stall.
- Large number of aquafarmers, hatchery operators, input suppliers, researchers, fisheries officials, students and public visited the stall. Exhibits on the live animals attracted large crowd to the stall, who raised lot of quarries on CAA Regulations and culture techniques on the focused species, which were answered by the staff and encouraged their cluture.

CAA Stall in Tamil Nadu Fish Festival 2013

(ii) Awareness programmes conducted by CAA

Four awareness programmes were conducted by CAA during the period under report. The details are as follows:

- An awareness programme was conducted in Valsad district of Gujarat state on 6th August 2013 wherein 130 aquafarmers, hatchery operators, input suppliers and State Fisheries officials participated.

- Three awareness programmes were conducted in association with All India Shrimp Hatcheries Association of Andhra Pradesh, one each in Amalapuram and Kakinada of East Godavari district on 19th and 20th September 2013 respectively and another in Bhimavaram of West Godavari district on 5th October 2013. A total of 620 aqua farmers, hatchery operators, input suppliers and State Fisheries officials participated.
- In the programmes, main content of CAA Act, Rules and Regulations relevant to farming, aims, objectives, powers and functions of CAA, impact of abuse of antibiotics, FAO's code of conduct for responsible aquaculture and guidelines for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L. vannamei* and GAqPs for sustainable production were explained in local language by CAA officials. Handouts on important themes in vernacular languages were also distributed.

Awareness Programme in progress at Amalapuram/ Kakinada

Awareness Programme in progress at Bhimavaram

Awareness Programme in progress at Valsad, Gujarat

(iii) Participation of CAA members / officers in meetings / seminars / symposia organized by other organizations

- Chairperson, CAA called on the Minister of Agriculture at New Delhi on 16th July 2013 and highlighted the key issues concerning the Coastal Aquaculture Authority.
- Chairperson, CAA inaugurated the First Dr. E. G. Silas Endowment Lecture on 5th September 2013 at Sirkazhi, Tamil Nadu, organised by Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture and delivered the inaugural address.
- Member Secretary, CAA attended the meeting to discuss the progress of SPF *P. monodon* Multiplication Centre through M/s. Moana Technology on 12th April 2013 at National Fisheries Development Board, Hyderabad.
- Member Secretary, CAA attended the meeting convened by Secretary (ADF) to discuss the guidelines for pilot scale Multiplication Centre of RGCA/MPEDA for SPF *L. vannamei* on 25th April 2013 at Krishi Bhawan, New Delhi.
- Member Secretary, CAA delivered inaugural address on 5th June 2013 in the Workshop on Status of Good Practices and Lessons Learnt in Aquaculture in the SAARC Region held in Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi during June 5-7, 2013 and also made a presentation on Emerging Trends in Coastal Aquaculture in India at this Workshop.
- Member Secretary, CAA participated in the Meeting of the Committee constituted for setting up of Multiplication Centres for SPF *L. vannamei* and *P. monodon* held at Krishi Bhawan, New Delhi on 9th July 2013.
- Member Secretary, CAA delivered inaugural address in the Technology Promotion Workshop on Pond and Cage culture of Cobia and preparation of value added Cobia products organized by Tamil Nadu Fisheries University and held at the Madras Veterinary College, Vepery, Chennai on 10th July 2013.
- Member Secretary, CAA delivered inaugural address in the Trainers Training Programme for Fisheries officials, Fisher leaders and Extension workers on 01.08.2013 organised by Fisheries Survey of India at Chennai.
- Member Secretary, CAA participated in the Meeting of the Committee constituted for setting up of Multiplication Centres for SPF *L. vannamei* and *P. monodon* held at Krishi Bhawan, New Delhi on 6th September 2013.
- Member Secretary, CAA attended the Meeting with the Secretary, DAHD&F at Krishi Bhawan, New Delhi on 10th October 2013 to discuss some key issues relating to the functioning of CAA.
- Member Secretary, CAA attended the Consultative Meeting on Coastal Aquaculture and its Regulations in India convened by DAHD&F at Krishi Bhawan, New Delhi on 18th October 2013.
- Member Secretary, CAA attended the meeting on "Development of Fisheries - A Review" with the Parliamentary Committee on Agriculture held at Parliament House Annexe, New Delhi on 29th October 2013.

- Member Secretary, CAA attended the meeting of the Technical Advisory Committee to monitor National Surveillance Programme for Aquatic Animal Diseases held at Krishi Bhawan, New Delhi on 9th December 2013.
- Member Secretary, CAA participated in the meeting convened by the Hon'ble Agriculture Minister held at Krishi Bhawan, New Delhi on 4th February 2014.
- Member Secretary, CAA and Assistant Director (Technical) participated in the Workshop on Review of Disease in the Asia Pacific region organised by Bay of Bengal Programme during 20-21 January 2014 held at Chennai.
- Assistant Director (Technical) participated in the "Training Workshop on Aquaculture" organized by South Indian Federation of Fishermen Society at Pattukottai on 5th March 2014.
- CAA participated in the "Tamil Nadu Fish Festival - 2013" organized by the Directorate of Fisheries, Government of Tamil Nadu at Chennai during 9 - 12 May 2013.

XI. Activities likely to be taken up during 2014-15

(i) Registration :

Registration and renewal of coastal aquaculture farms and hatcheries is a continuous processes. It is expected that more number of coastal aquaculture farms and hatcheries of the country would be registered during the period between April 2014 and March 2015.

ii) Approval for *L. vannamei* culture :

About 2,000 ha of additional farm area is proposed to be brought under *L. vannamei* culture.

iii) Inspection and Monitoring :

Periodic monitoring of the facilities, especially the quality of wastewater discharged from shrimp farms and hatcheries are to be taken up to ensure meeting of the standards prescribed by the Authority.

iv) Awareness Programmes :

Awareness programmes relating to environment protection, sustainable development of coastal aquaculture activities and good aquaculture practices (GAqPs) are to be organized in a few more coastal States.

v) Advertisement and Publication :

Public notices are to be issued on the important matters to caution stakeholders and for taking precautionary measures and on current issues.

vi) Preparation of Manuals / Brochures :

The compendium on Coastal Aquaculture Authority Act, Rules, Guidelines and Regulations would be translated into a few regional languages.

vii) Workshops and Meetings :

Stakeholders meetings would be organised for combating the problems encountered in the coastal aquaculture activities, where experiences of various groups on technological improvements and other aspects, would also be shared.

CAA would be participating in workshops, exhibitions, seafood fairs and aqua shows organised by other agencies on coastal aquaculture activities, whenever possible.

viii) Capacity building :

Training and study visits would be organised for technical and administrative staff for the effective implementation of regulatory measures as well as for improving the knowledge in their sphere of work.

XII. FINANCE

i) Summary of actual financial results and activities during the financial year 2013-2014

- The Accounts pertaining to the financial year 2013-14 was audited under the section 19(2) of the CAG's (DPC) Act, 1971 by the Principal Accountant General (Civil Audit), Tamil Nadu & Pondicherry, Chennai and its report is presented in ANNEXURE.
- As per Section 16 and 17 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, the grant-in-aid based on budget estimation made by the CAA, was provided in four installments, under the budgetary provisions of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture, New Delhi. Administrative Ministry has sanctioned budget estimation of ₹324/- lakhs for the financial year 2013-14 *vide* F.No.3-28/2012-Budget (ADF) dated 9th January 2013. Ministry has admitted Revised Estimate for ₹273/- lakhs *vide* F.No.3-28/2013-Budget (ADF) dated 16th December 2013 and this office utilized the full amount.
- Budget Estimates / Revised Estimates and Expenditure for the Financial Year 2013-2014 are as follows:

Major Head 2405 **Sub Head - 090031: Grant-in-Aid**

(₹ in Lakhs)

BE admitted by the Ministry	RE admitted by the Ministry	Amount received	Amount balance	Unspent
324	273	273	273	0.00

(₹ in Lakhs)

Sl. No	Name of the Scheme	Sub-head	BE 2013-14
1	Coastal Aquaculture Authority	090031 Grant-in-Aid	300

ii) Details of the Annual Accounts for the year 2013- 2014

The details of CAA annual accounts for the year 2013 - 2014 are presented in ANNEXURE

XIII. Staff and existing organizational structure of the Authority

At present, CAA has got sanctioned strength of 21 posts and the staff in position during the financial year 2013-2014 is as follows:

Sl. No	Group	Post	Sanctioned Strength at the beginning	Number of staff during the year	No. of staff repatriated during the year	No. of new staff added in the year	Staff at the end
1	A	Director	1	0	0	0	0
		Asst. Director	1	1	0	0	1
		Sr. Admin. Officer	1	0	0	1	1
2	B	Superintendent	1	1	0	0	1
		Private Secretary	2	2	0	0	2
		Sr. Tech. Assistant	2	2	0	0	2
		Accountant	1	1	0	0	1
		Steno. Gr. 'C'	2	1	0	0	1
3	C	Sr. Clerk	2	1	0	0	1
		Steno. Gr. 'D'	1	1	0	0	1
		Jr. Clerk	2	1	0	0	1
		Staff Car Driver	1	1	0	0	1
4	D	MTS	4	4	0	0	4
		Total	**21**	**16**	**0**	**1**	**17**

Advisor and Consultants

Sl. No	Designation	Number at the beginning	Number left during the financial year	New added during the financial year	At the end of the financial year
1	Advisor	1	0	0	1
2	Consultants	2	1	3	4

On contract through a Manpower Agency:

Sl. No	Description	Number of persons at the beginning	Number of persons left during the year	Number of new persons added during the year	Number of persons at the end of the year
1	Computer Programmer	1	0	0	1

XIV Recruitment / Retirement / Repatriation

- **Justice K. Raviraja Pandian**, Retired Judge of the Madras High Court took charge as Chairperson of the Coastal Aquaculture Authority with effect from 20.05.2013.
- **Shri J. Venugopal**, took charge as Senior Administrative Officer of CAA with effect from 12.03.2014 on deputation.

XV Right to Information Act

Totally twenty seven (27) applications were received under RTI Act during the year 2013-14. Requested information was furnished.

ANNEXURE

Annual Accounts of CAA and Separate Audit Report of the C&AG for the year 2013-14

COSTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai - 600 006.

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2014

(Amount - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILIITES			
Corpus/ Capital Fund	1	1,84,14,925	1,74,43,147
Earmarked/ Endowment Funds	2	1,19,43,630	72,15,433
Current Liabilities and Provisions	3	6,67,030	7,48,030
Total		**3,10,25,585**	**2,54,06,610**
ASSETS			
Fixed Assets	4	1,61,45,481	1,09,90,247
Investments - From Earmarked/ Endowment Funds	5	49,85,152	17,28,379
Current Assets, Loans, Advances etc.	6	98,94,952	1,26,87,984
Total		**3,10,25,585**	**2,54,06,610**
Significant Accounting Policies	14		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	15		

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Member Secretary

COSTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai - 600 006.

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2014

(Amount - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
1. INCOME			
Grants/ Subsidies	7	2,37,86,111	2,53,00,000
Fees/ Subscriptions	8	50	4,530
Income from Investments (Income on Investments from Earmarked/ Endowment Funds transferred to Funds)	9	-	-
Interest Earned	10	4,87,383	4,00,393
Other Income	11	28,853	768
Total (A)		**2,43,02,397**	**2,57,05,691**
2. EXPENDITURE			
Establishment Expenses	12	1,11,98,585	94,92,762
Other Administrative Expenses etc.	13	1,25,33,548	1,03,78,282
Expenditure on Grants, Subsidies etc.		-	12,823
Depreciation	4	31,12,375	23,80,487
Total (B)		**2,68,44,508**	**2,22,64,354**
Balance being excess/(shortage) of Income over Expenditure (A-B)		(25,42,111)	34,41,338
Transfer to Special Reserve			
(Specify each)			
Transfer to / from General Reserve			
Balance being Surplus / (Deficit) Carried to Corpus/ Capital Fund			
Significant Accounting Policies	14		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	15		

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Member Secretary

COSTAL AQUA

GOVERNMENT OF INDIA,

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe,

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR

(Amount - ₹)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year
1. Opening Balances		
a) Cash in hand	-	-
b) Bank Balances	-	-
i) In current accounts	-	-
ii) In deposit accounts	-	-
iii) Savings accounts	73,47,557	60,26,034
2. Grants Received		
a) From Govt. of India -		2,53,00,000
Capital Receipts	35,13,889	
Revenue Receipts	2,37,86,111	
b) From State Govt.	-	-
c) From Other Source (Grants for capital & revenue expense to be shown separately)	-	-
3. Income on Investment from		
a) Earmarked/ Endowment Funds (FDR Interest)	-	1,69,004
b) Own Funds (other Investment)	-	-
4. Interest Received		
a) On Bank deposits	4,87,383	2,31,389
b) Loans, Advances etc.	48,000	69,527
c) On Earmarked Investments	-	-
5. Other Income (Specify)		
Examination fees	-	-
Tender fees	-	4,500
Miscellaneous Income	28,853	768
RTI fees	50	30
6. Amount Borrowed		
7. Any other receipts (give details)		
Earnest Money Deposit	3,01,000	9,67,500
Computer Advance Recovery	-	-
Stamps in Hand	2,15,671	2,04,838
Letter of Credit	-	-
Endowment Fund (Processing Fees)	47,34,197	18,01,123
Total	**4,04,62,711**	**3,47,74,712**

Sd/-
Sr. Admin. Officer

CULTURE AUTHORITY

MINISTRY OF AGRICULTURE

26 Haddows Road, Chennai - 600 006.

THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2014

(Amount - ₹)

PAYMENTS	Current Year	Previous Year
1. Expenses		
a) Establishment Expenses (Corresponding to Schedule 12)	1,11,98,585	94,92,762
b) Administrative Expenses (Corresponding to Schedule 13)	1,25,33,548	1,03,88,482
2. Payments made against funds for various projects (Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project)	-	-
3. Investments and deposits made		
a) Out of Earmarked/Endowment funds	32,56,773	-
b) Out of Own Funds	-	-
4. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
a) Purchase of Fixed Assets	35,13,889	7,07,103
b) Expenditure on Capital Work-in-Progress	-	47,53,720
5. Refund of surplus money/loans		
a) To the Government of India	-	-
b) To the State Government		
6. Finance Charges (Interest)		
7. Other Payments (Specify)		
a) Earnest Money Deposit	3,25,000	-
b) Performance Security Deposit Refund	57,000	7,13,227
c) Festival Advance	41,250	41,250
d) Prepaid Expenses- AMC Franking Machine	11,043	-
e) Expenditure out of Earmarked fund	6,000	11,56,612
f) Medical Advance	8,000	-
g) Unspent Grant-in-Aid refund	-	-
h) Post Master	-	24,000
i) Stamps in Hand	2,75,000	1,50,000
8. Closing Balances		
a) Cash in hand	-	-
b) Bank Balances		
i) In Current accounts	-	-
ii) In Deposit accounts	-	-
iii) Savings accounts	92,21,380	73,47,557
Total	**4,04,47,468**	**3,47,74,712**

Sd/-
Member Secretary

COSTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai - 600 006.

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2014

Schedule 1 : Corpus/ Capital Fund

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
Balance at the begning of the year 1.4.2013	1,74,43,147	1,40,01,809
Add : Contributions towards Corpus/Capital Fund	35,13,889	-
	2,09,57,036	**1,40,01,809**
Less : Expenditure over Income transferred from the Income & Expenditure Account	(25,42,111)	-
Add : Excess of Income over Expenditure Transferred from Income & Expenditure Account	-	34,41,338
Balance as at the Year End	**1,84,14,925**	**1,74,43,147**

COSTAL AQUACULTURE AUTHORITY, CHENNAI

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2014

Scheduel 2 : Earmarked/Endowment Funds

(Amount - ₹)

	Fund-wise Break up						Totals	
	Farm Registration Fees	Processing Fees for		General Provident Fund	Contri-butory PF	Pension Fund	Current Year	Previous Year
		L. vannamei Farms	*L. vannamei* Hatchery					
a) Opening balance of the funds	19,17,879	34,60,304	18,37,250	-	-	-	72,15,433	65,70,922
b) Addition to the Funds:				8,68,000	9,60,358	10,87,019	29,15,377	
i. Donations/ grants	-	-	-			-	-	-
ii. Income from Investment made on account of Earmarked funds	-	-	-			-	3,41,396	
iii. Fees	1,93,944	10,07,480	2,70,000			-	14,71,424	17,73,862
Total (a+b)	**21,11,823**	**44,67,784**	**21,07,250**	**8,68,000**	**9,60,358**	**10,87,019**	**1,19,43,630**	**83,44,784**
c) Utilisation/ Expenditure towards objectives of funds								
i) Capital Expenditure								
- Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-
- Others	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Revenue Expenditure	-	-	-	-	-	-	-	-
- Salaries, Wages, Allowances etc.	-	-	-	-	-	-	-	-
- Travelling Expenses on Inspection of Farms etc.	-	-	-	-	-	-	-	11,29,351
Total (Ci + Cii)	-	-	-	-	-	-	-	**11,29,351**
Net Balance as at the year end (a+b-c)	**21,11,823**	**44,67,784**	**21,07,250**	**8,68,000**	**9,60,358**	**10,87,019**	**1,19,43,630**	**72,15,433**

Notes

1. Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
2. Plan Funds received from the Central/State Government's are to be shown as separate Funds and not to be with any other Funds mixed up

COSTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai - 600 006.

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2014

Schedule 3 : Current Liabilities and Provisions

(Amount - ₹)

	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors:				
a) For Goods				
b) Others				
3. Performance Security Deposit:				
a) M/s. Akshaya Sales, Chennai		5,000		62,000
b) M/s. Foss India (P) Ltd. Mumbai			57,000	
c) M/s. Rands Instuments Co., Chennai				
d) M/s. Sincere Traders, Chennai	5,000		5,000	
e) M/s. Samrt Labtech Pvt. Ltd, Hyderabad				
f) M/s. Systronics, Chennai				
4. Earnest Money Deposit:		6,62,030		6,86,030
a) M/s. Merit Enterprises	20,280		20,280	
b) M/s. Orbit Tecnologies	44,250		44,250	
c) M/s. Sartorius Metchatronics India P. Ltd.	4,500		4,500	
d) M/s. METC	20,000		20,000	
e) M/s. Agilent Technologies	1,75,000		1,75,000	
f) M/s. Blue Star Ltd, Chennai	50,500			
g) M/s. B.V.N. Instruments Pvt. Ltd.				
h) M/s. Day N Day Services Pvt. Ltd.	25,000		25,000	
i) M/s. Protean Management Consultancy				
j) M/s. The Host	27,000		27,000	
k) M/s. Surabi papers suppliers			50,000	
l) M/s. Compulinks, Mumbai			50,000	
m) M/s. EMD	2,50,000		2,50,000	
n) M/s. Ex. Servicemen	20,000		20,000	
o) M/s. Day N Day, Chennai	25,000			
p) M/s. Lakshmi Travels	500			
5. Interest accrued but not due on:				
a) Secured Loan/borrowings				
b) Unsecured Loans/borrowings				
6. Statutory Liabilities:				
a) New Pension Scheme (Employee Contribution)				
7. Other current Liabilities				
Total		**6,67,030**		**7,48,030**

COSTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai - 600 006.

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2014

Schedule 4 : Fixed Assets

Item	Rate of Dep.	Gross Block					Depreciation				Net Block	
		Cost / Valuation as at beginning of the Year	Addition during the Year		Deduc-tion during the Year	Cost / Valuation at the Year end	As at the beginning of the Year	On Addition during the Year	On De-duct-ion during the Year	Total up to the Year end	As at the Current Year end	As at the Previous Year end
			Up to 30.09.13	After 30.09.13								
Plant & Machinery	15%	1,07,63,511	-	-		1,07,63,511	31,99,925	11,34,538		43,34,463	64,29,048	75,63,586
Lab Equipment	15%	-	45,14,966	7,39,622		52,54,588	-	7,32,717		7,32,717	45,21,871	-
Office Equipment	15%	20,56,691	14,13,294	3,79,238		38,49,223	12,75,481	3,57,618		16,33,099	22,16,124	7,81,210
Car	15%	3,30,860	-	-		3,30,860	2,97,625	4,985		3,02,610	28,250	33,235
Furniture & Fixtures	10%	32,05,895	3,87,467	3,75,535		39,68,897	13,47,665	2,43,346		15,91,011	23,77,886	18,58,230
Computers & Peripherals	60%	26,11,544	82,479	2,92,377		29,86,400	23,38,408	3,01,082		26,39,490	3,46,910	2,73,136
Library Books & Technical Books	60%	18,82,660	82,631			19,65,291	14,01,810	3,38,089		17,39,899	2,25,392	4,80,850
Total of Current Year (A)		**2,08,51,161**	**64,80,837**	**17,86,772**	**-**	**2,91,18,770**	**98,60,914**	**31,12,375**		**1,29,73,289**	**1,61,45,481**	**1,09,90,247**
Previous Year												
B. Capital Work-in-progress												
Total											**1,61,45,481**	**1,09,90,247**

COSTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai - 600 006.

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2014

Schedule 5 : Investments from Earmarked/ Endowment Funds

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
Fixed Deposit Receipts (IOB)	20,69,775	17,28,379
Pension Fund Investment in SB A/c No:209501000007601	10,87,019	-
General Provident Fund Investment in SB A/c No:209501000006535	8,68,000	-
Contributory Provident Fund Investment in SB A/c No:209501000006536	9,60,358	-
Total	**49,85,152**	**17,28,379**

Schedule 6 : Current Assets, Loans, Advances etc.

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS:		
1. Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
- on Savings Accounts	92,36,623	73,47,557
2. Stamps in Hand		
a) Stamps (Franking Machine)	93,988	25,458
b) Stamps (Postal)	38,397	47,598
Total (A)	**93,69,008**	**74,20,613**
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) Prepayments (Annexure-1)	11,043	47,53,720
b) Staff Festival Advance (Annexure-1)	20,625	27,375
c) M/s. Hypertrix (P) Ltd.	1,04,785	1,04,785
d) Infinitybook.com	3,81,491	3,81,491
e) Medical Advance	8,000	-
Total (B)	**5,25,944**	**52,67,371**
Total (A + B)	**98,94,952**	**1,26,87,984**

COSTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai - 600 006.

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2014

Schedule 7 : Grants/ Subsidies (irrevocable grants & subsidies received)

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1) Central Government	2,37,86,111	2,53,00,000
Total	**2,37,86,111**	**2,53,00,000**

Schedule 8 : Fees/ Subcriptions

1) Tender Fees		4,500
2) RTI Fees	50	30
Total	**50**	**4,530**

Note - Accounting Policies towards each item are not be disclosed

Schedule 9 : Income from Investments

(Income on Investment from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)

Interest on Fixed Deposit with Indian Bank	-	1,69,004
Total		**1,69,004**
Transferred to Earmarked/Endowment Funds		**1,69,004**

Schedule 10 : Interest Earned

1) On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks	-	1,69,004
2) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	4,87,383	2,31,389
Total	**4,87,383**	**4,00,393**

Note - Tax deducted at source to be indicated

Schedule 11 : Other Income

Miscellaneous Income	28,853	768
Total	**28,853**	**768**

Schedules 12 : Establishment Expenses

a) Salaries and Wages	1,00,78,139	94,92,762
b) Pension Contribution	10,87,019	
c) Reimbursement of Tution Fees	33,427	
Total	**1,11,98,585**	**94,92,762**

COSTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai - 600 006.

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2014

Schedule 13 : Other Adminstrative Expenses etc.

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Advertisement and Publicity	12,74,589	6,95,393
2. Publication	7,97,136	6,05,759
3. Domestic Travelling Expenses	13,22,150	14,55,494
4. Medical Expenses	1,28,258	1,09,997
5. Supply & Materials	5,01,578	1,36,538
6. **Office Expenditure**		
Repairs and maintenance (Vehicle)	29,263	1,08,835
Electricity and Power	2,04,771	1,48,278
Rent, Rates and Taxes	17,37,723	16,25,863
Photostate Expenses	-	4,000
Postage, Telegram	2,23,346	2,19,637
Printing, Stationary and Consumables	11,15,030	7,91,274
Water Charges	30,941	30,100
Library Expenses (Periodicals & Journals)	6,225	-
Computer Maintenance	3,675	-
Telephone Expenses	2,59,124	2,13,636
Professional Charges	13,29,696	9,81,838
Vehicle Hire Charges	15,13,366	11,96,576
Meeting Expenses	35,155	84,457
Telephone and Mobile Reimbursement Expenses	19,098	60,408
Miscellaneous Expenses	6,23,832	3,29,120
Seminar/Workshops/Training Expenses	15,340	1,35,790
Other Contractual Service	11,21,011	9,78,917
Website Maintenance Charges	33,708	2,66,830
AMC Expenses (A.C, Computers, Office Equipment, etc.)	2,05,533	1,32,291
Annual PRA Maintenance Charges (NSDL)	3,000	2,623
Bank Charges	-	64,628
Total	**1,25,33,548**	**1,03,78,282**

COSTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai - 600 006.

Annexure 1 : Advances

(Amount - ₹)

Sl. No	Advances	31.03.2014	31.03.2013
A	Staff Festival Advance	20,625	27,375
	Total	**20,625**	**27,375**
B	Other Advances		
	L. C for Lab. Equipment	-	44,88,000
	TANC	-	2,65,720
	AMC Franking Machine	11,043	-
	Total	**11,043**	**47,53,720**

COSTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai - 600 006.

Schedule 14 : Accounting Policies

1. Accounting Convention

The Financial Statements are prepared under the historical cost convention, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), the applicable mandatory Accounting Standards (AS) issued by ICAI and relevant Presentational requirements for Central Autonomous Bodies as prescribed by CGA. The Authority follows the accrual method of accounting in respect of all items of expenditure and Income except where otherwise stated.

2. Fixed Assests

a) Fixed Assets are accounted for after these are taken on charge duly inspected.

b) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation cost comprises the purchase price, inward freight, duties & taxes and any other directly attributable cost of bringing the Assets to its working conditions for its intended use. Financing cost relating to acquisition/construction of qualifying fixed assets are also included to the extent they relate to the period till such assets are ready for their intended use.

c) Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of ₹1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA.

d) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at value stated by corresponding credit to capital fund. Fixed Assets received as free gift are taken into account at nominal value of ₹1/-

e) Fixed Assets acquired against specific grant-in-aid accounted for as fixed assets in the Authority's account. Cost of assets created out of grants-in-aid is credited to Capital Fund. Depreciation on those assets is also charged over the useful life of the assets at the rates prescribed by the Income Tax Act and Rules and is recognized in the income and Expenditure Account.

3. Depreciation

a) Depreciation is provided on written down value method as per rates specified in Income Tax Act, 1961.

b) In respect of additions/ deductions of fixed assets during the year, full depreciation is charged at the rates specified in the Income Tax Rules on the assets acquired in the first half of the financial year and 50% of depreciation is charged on the assets acquired in the second half of financial year.

c) Each item of fixed assets costing ₹5,000/- and below are fully depreciated in the year of acquisition.

4. Lease/ Rent

Lease/ Rent rentals are accounted as expenses according to the terms and conditions of lease.

5. Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceeds its recoverable value. The impairment loss is charged to Income & Expenditure statement for the year in which the assets is identified as impaired. The impairment loss is recognized as recoverable amount.

6. Government Grants / Subsidies

Capital expenditure *i.e.* cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund' account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to 'Income and Expenditure Account'. Excess of grant over the expenses is transferred to capital fund account at the end of the year.

7. Retirement Benefits

a) Authority's contribution paid/ payable during the year to new pension scheme is recognized in the Income and Expenditure Statement.

b) The liabilities in respect of Gratuity, which is ascertained annually on actuarial valuation at the year end, will be provided and funded separately.

c) The liabilities for the leave encashment to employees are ascertained annually on accrual basis based on actuarial valuation at the year end and provided for.

8. Taxation

The Authority is not liable to pay to Union/ State in respect of Wealth Tax, Income Tax, Service Tax, CST or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

9. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent liabilities are not recognized but are disclosed in the Notes forming part of the accounts. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

10. Income and Expenses

All the income and expenses of the year, except those specified later in this paragraph, are accounted for on accrual basis under the specific direct heads of accounts:

a) Income or Expenditure of earlier year, which arise as a result of errors of omissions in making provision/creating the liability in the one or more prior periods, is accounted for under 'Prior Period Adjustment' account.

b) If actual expenditure or income exceeds the liability created/provision made on expenditure basis, the same is accounted for on cash basis.

c) Expenditure/ Income accruing to the Authority on account of decision taken after the date of finalization of annual accounts and extraordinary items, if any, having retrospective effect, is accounted for on cash basis.

d) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance Sheet and/ or Income and Expenditure Account, due consideration is given to the concept of materiality and hence pre paid/prior period items up to ₹1,000/- in each case are accounted for to the natural heads of account on cash basis.

11. Revenue Recognition

a) The Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLCs/ SLCs in the ratio of 70:30 between DLCs/ SLCs and CAA. In addition to that Authority is collecting Processing Fees for *L. vannamei* farms and hatcheries. As per the exiting policy of the Authority, fee is accounted as Earmarked/ Endowment Fund of the Authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes.

b) Interest income is recognized on a Cash basis taking into account the amount outstanding and rate applicable.

12. Separate Disclosure

Separate disclosers are made in the Income and Expenditure Account in respect of:

a) 'Prior period' items which comprise material items of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or expenses which arise in the current period as a result or errors of omissions in the preparation of the financial statements of one or more prior periods.

b) 'Extraordinary' items, which are material items of income or expenses that arise from event or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and therefore, are not expected to recur frequently or regularly.

c) Any item under the head 'Miscellaneous Expenses' which exceeds ₹50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

Sd/-
Sr. Admin Officer

Sd/-
Member Secretary

COSTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai - 600 006.

Schedule 15: Contingent Liabilities and Notes on Accounts

Contingent liabilities

As on 31st March 2014, there does not appear to be any case of contingent liability.

Fixed Assets

Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of ₹1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA. Depreciation on all the assets at the prescribed rate in Income Tax Rules have been calculated and charged for the financial year 2013-14 to Income and Expenditure Account.

Current Assets, Loans and Advances

Authority has taken Franking Machine from Post Office and the same is filled with stamps for a lump sum amount. In addition to that, Authority purchase Govt. Postal stamps from Post Office, the amount so paid is shown as stamps in hand. On the basis of register maintained for daily consumption of stamp, total expenditure incurred on stamps is debited to relevant expenditure head by corresponding credit to stamps in hand account on yearly basis. As on 31st March 2014 the stamps in hand amounted to ₹38,397/-.

An imprest of ₹3,000/- has been sanctioned to DDO for meeting day-to-day routine expenses.

Current Liabilities

Security deposits of ₹5,000/- received as performance guaranty will be retained till completion of its warranty period.

Taxation

The Authority is not liable to pay Wealth Tax, Income Tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No provision is, therefore, made for current and deferred Income Tax.

Government Grants/ Fees Collected

Capital expenditure *i.e.* cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund' account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to 'Income and Expenditure Account'. Excess of grant over the expenses is transferred to capital fund account at the end of the year as on 31st March 2014.

The Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLCs/ SLCs shared in the ratio of 70:30 between DLCs/ SLCs and CAA. In addition to that, the Authority is collecting Processing Fees for *L. vannamei* farms and hatcheries. As per the exiting policy of the Authority, fee is accounted as Earmarked/Endowment Fund of the Authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes. Out of the Earmarked Fund, a sum of ₹ Nil was utilized towards Review Workshop & Expenses on Inspection of farms and hatcheries in connection with registration of farms etc.

Previous year Figures

The accounting procedure laid down by the CAG for autonomous bodies, specifies to show the previous year's figures in the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payment Account along with various schedules are attached thereto.

Sd/-
Sr. Admin Officer

Sd/-
Member Secretary

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year ended 31st March 2014

We have audited the attached Balance Sheet of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as on 31st March 2014, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 20(3) of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005. These financial statements are the responsibility of the Authority's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report, contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in

the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4 Based on our audit, we report that:

i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Coastal Aquaculture Authority, Chennai as required in the Rules and Regulations of the Authority, in so far as it appears from our examination of such books.

iv. **We further report that:**

A) Effect of Revision in Accounts

The accounts of the Authority were revised based on audit which resulted in the following:

a. Liabilities increased by ₹ 30.64 lakh
b. Assets increased by ₹ 30.641akh
c. Deficit increased by ₹ 39.00 lakh

B) General

The authority has accounted for only 30% share of registratron fee pertaining to it, that too on cash basis. The same has to be accounted on accrual basis. Seventy per cent share pertaining to District Level and State Level Committees has not been accounted for in the accounts of the Authority. It has to be shown as receipts as well as payments.

C) Grants-in-Aid

Out of the Grants-in-Aid of ₹ 2.73 crore (Non-plan) received during the year, internal receipts of ₹0.20 crore and unspent balance of ₹0.77 crore (total ₹3.70 crore), the Authority could utilize a sum of ₹2.73 crore, leaving a balance of ₹0.97 crore as on 31st March 2014.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies

and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in **Annexure** to this Audit Report, give a true conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as at 31st March 2014; and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place: Chennai
Date: 21.11.2014

Principal Director of Audit (Central)

Annexure

1. **Adequacy of Internal Audit System**
   Internal auditor has been appointed and the audit of District Level Committees and State Level Committees were in progress.

2. **Adequacy of Internal Control System**
   The internal control system needs to be strengthened in accounting of total registration fee receivable from District Level and State Level Committees.

3. **Physical verification of fixed assets**
   Physical verification of fixed assets was conducted upto the year 2013-14.

4. **System of Physical Verification of Inventory**
   The Physical verification of inventory was conducted upto the year 2013-14.

5. **Regularity in payment of statutory dues**
   The Authority is regular in payment of statutory dues.

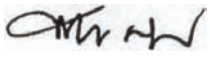

Deputy Director/ CE

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) चेन्नै का कार्यालय
लेखा परीक्षा भवन, 361, अण्णा् सालै, तेनामपेट, चेन्नैन - 600018

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL) CHENNAI
"LEKHA PARIKSHA BHAVAN', 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600018.
Phone: 044 - 2431 6400 Fax: 044 - 2433 8924 E-mail: dgacchennai@cag.gov.in

Date: 21.11.2014

No.PDA (C) /CE/ V/ 28-63/2014-15/95

To
The Secretary
Ministry of Agriculture
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries
Governmet of India
Krishi Bhawan , New Delhi - 110 001.

Sir,

Sub: Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2013-14 - reg.

I forward herewith the Audit Report along with the statements of accounts for the year 2013-14. The dates of presentation of the Accounts and Audit Report to Parliament may kindly be intimated to this office. Five copies of the report as presented to parliament may also be sent to this office in due course. The receipt of this letter with enclosures may kindly be acknowledged .

Yours faithfully
Sd/
Deputy Director/ CE

Endt.No.PDA (C) /CE/ V/ 28-63/2014-15/95 Date: xx.11.2014

Copy together with a copy of the Audit Report along with Annual Accounts for the year 2013-14 forwarded to the Member Secretary, Coastal Aquaculture Authority, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai - 600 006.

Deputy Director/ CE

Reply to Separate Audit Report for the year 2013-14

B. General The authority has accounted for only 30% share of registration fee pertaining to it, that too on cash basis. The same has to be accounted on accrual basis. Seventy per cent share pertaining to District Level and State Level Committees has not been accounted for in the accounts of the Authority. It has to be shown as receipts as well as payments.	Fees for registration of Coastal aquaculture farms are directly received by DLCs. Since the details are not furnished by all the DLCs, the information could not be furnished to Audit. CAA has appointed the Internal Auditors for inspecting the books of accounts of DLCs with effect from Finicial Year 2013-14 in order to depict the accurate Income/Expenditure earned / incurred by them in the books of accounts of CAA as per accounting standards. The Internal Audit is in progress. Noted for future compliance.
C. Grants-in-Aid Out of the Grants-in-Aid of ₹2.73 crore (Non-Plan) received during the year, internal receipts of ₹0.20 crore, and unspent balance of ₹0.77 crore (total ₹3.70 crore), the authority could utilise a sum of ₹2.73 crore, leaving a balance of ₹0.97 crore as at 31st March 2014.	Under Section 16 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 this office receives 'Grant-in-Aid' for each financial year and utilises it for the performance of its functions. Under Section 17(1) of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 this office receives 30% of registration fees from DLCs for registration of farms besides the fees received for registration of *L. vannamei* hatcheries and farms and utilizes the same for five years for specific purposes as earmarked fund, as decided by the Coastal Aquaculture Authority in its 17th meeting towards inspection and monitoring of coastal aqua farms and hatcheries, collecting and testing samples, organizing meetings and awareness programmes, translation of extension brouchers/ pamphlets etc.

	During the audit year, the amount of fee [internal receipts] collected was ₹0.20 crores and the balance amount brought forward from the previous year was ₹0.77 crores. Thus, the total amount available was ₹0.97 crores and the expenditure incurred was ₹ Nil towards earmarked expenditure out of earmarked/ endowment fund. Final balance available is ₹0.97 crores as on March 2014. Since the fund is earmarked for specific purposes, fees receipts are shown as earmarked/ endowment fund account in the balance sheet as per the accounting standards. Therefore, these observations may kindly be dropped.

Reply to the Annexure of Separate Audit Report for the year 2013-14

2 **Adequacy of Internal Control System** The internal control system needs to be strengthened in accounting of total registration fee receivable from District Level and State Level Committees.	Noted for future compliance.